खण्ड-221, अंक-8
गुरूवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1883
(6 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर सैयद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह श्री
गुरुप्रसादसिंह श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, चौहान, वैद्य श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्रंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री

शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुमसिंह विसेन,, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम-मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अंजनीवीर प्रसाद, डी० आई० जी० की लखनऊ मेडिकल कालेज में मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

१—श्री रामेश्वरप्रसाद** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री अंजनीवीर प्रसाद, डी०आई०जी, सेन्ट्रल इंटेलीजेन्स ब्यूरो, लखनऊ की, मेडिकल कालेज, लखनऊ में १२ मार्च, १९६१ को दर्दनाक मृत्यु होने की घटना घटित हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—श्री अंजनीवीर प्रसाद, डी० आई०जी०, सेंट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, लखनऊ की मृत्यु १२ मार्च, १९६१ को लखनऊ मेडिकल कालेज के अस्पताल में हुई।

२—श्री रामेश्वरप्रसाद**—क्या सरकार के पास यह शिकायत मृतक की पत्नी के द्वारा मौखिक या लिखित प्राप्त हुई है कि उचित उपचार न मिलने तथा डाक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी तड़प-तड़प कर मृत्यु हुई है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। ऐसी शिकायत मृतक की पत्नी के पास से ४ अप्रैल, १९६१ को ही मिली है।

३—श्री रामेश्वर प्रसाद**—क्या सरकार उपर्युक्त घटना की जांच करा कर तथा मृतक के परिवार वालों से पूछ-ताछ कर एक संक्षिप्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे प्रकट हो सके कि उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है ?

श्री धर्मसिंह—उक्त शिकायत लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पास जांच के लिये भेजी जा रही है। उनकी रिपोर्ट आने पर वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक की पत्नी के शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह लम्बा पत्र है कई सफे का। उसमें बहुत सी शिकायतें हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद—जब वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट और वी० सी० ने मृतक के घर वालों की सुनवाई नहीं की तो उन्होंने मुख्य मंत्री द्वारा फोन करा के क्या यह कोशिश की थी कि उनका इलाज अन्य डाक्टर से कराया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---यह सही है कि अंजनी वीर प्रसाद जी की धर्मपत्नी, जब अंजनी वीरप्रसाद अस्पताल में बीमार पड़े थे, मेरे पास आई और कुछ डाक्टरों की शिकायत की। मैंने इस विषय में सुपरिन्टेन्डेन्ट, गांधी अस्पताल से बात की और उन्हें अपने यहां बुलाया भी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हालत बहुत खराब होने से उनके बचने में आशंका है। मैंने उनसे कहा कि जहां तक उनकी पत्नी की ख्वाहिश उन्हें किसी और डाक्टर को दिखाने की है उसे उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये। उन्होंने मुझे इस सम्बन्ध में यह वचन दिया था कि वह दूसरे डाक्टर को दिखला देंगे। उनकी धर्मपत्नी की नाराजगी डाक्टर बी०एन० सिन्हा से थी और वह चाहती थीं कि उनके हस्बैंड का इलाज डाक्टर कुंवरजी, जो मेडिकल कालेज के फिजीशियन हैं, करें। सुपरिन्टेन्डेन्ट ने डाक्टर सिन्हा से सलाह करके डाक्टर कुंवर से इलाज कराने का प्रबंध कर दिया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या उनकी धर्मपत्नी को डाक्टर सिन्हा से यह भी शिकायत थी कि वह यह चाहते थे कि उनके घर पर इलाज करावें वरना वह अस्पताल में ठीक इलाज नहीं करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार की शिकायत तो उन्होंने नहीं की।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या दिल्ली के कोई डाक्टर मेनन भी उनका इलाज पहले कर रहे थे और उनके इलाज से फायदा था मगर उनके जाने के बाद डाक्टर सिन्हा ने अपनी जिद रखने के लिये ही उनका इलाज बन्द करा दिया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसा खयाल उनकी धर्मपत्नी को था मगर डाक्टरों की राय इसके विपरीत थी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि इंटेलीजेंस ब्यूरो की परमिशन लेने के बाद डाक्टर पारिया और डाक्टर हैदरी हैदराबाद से आये और उन्होंने मरीज को देखकर जो बीमारी बताई, डाक्टर सिन्हा उनसे ऐग्री नहीं किये और उन डाक्टरों को भी वापस जाना पड़ा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह बात सही है कि डाक्टर मेनन और दूसरे महाशय जिनका नाम लिया गया श्री अंजनी वीर प्रसाद को देखने आये थे। उन्होंने कुछ दवाई इत्यादि भी प्रेस्क्राइब की थी। लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया, क्योंकि मैं स्वतः डाक्टर नहीं हूं और न उस बीमारी के विषय में अधिक जानकारी रखता हूं, बाहर के डाक्टरों की और यहां के डाक्टरों की डायग्नोनोसिस यही थी कि उन्हें कैंसर की बीमारी है। वे देखकर चले गये। डाक्टर सिन्हा को अवश्य यह आपत्ति हुई कि बिना उन्हें सूचना दिये हुये, जैसा मुझे बताया गया, श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद ने और डाक्टरों को बुला लिया था। परन्तु चूंकि उनसे श्रीमती जी को नाराजगी थी, उन्होंने इस बात का खयाल न करते हुये जैसा कि प्रोफेशनल एटीकेट होता है, उनका इलाज दूसरे डाक्टर से कराने की रजामन्दी दे दी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर सिन्हा कैंसर की बीमारी के उपचार के लिये ज्यादा उपयुक्त थे या डाक्टर कुंवर जो मेडिसिन के थे वह ज्यादा उपयुक्त थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---किसी स्टेज पर सर्जन किसी पर फिजीशियन कार्य करता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी अहमियत को देखते हुये इसकी जांच वहां के अधिकारियों से न करा के सी०आई०डी० द्वारा या किसी और सोर्स से कराने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि डाक्टर सिन्हा विश्वविद्यालय के तहत में काम करते हैं हम शिकायती-पत्र को विश्वविद्यालय भेज रहे हैं। हमारा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के डाक्टर जो कि विशेषज्ञ भी हैं, इस विषय को इनक्वायरी करके सरकार के पास अपनी रिपोर्ट देंगे और यदि सरकार उससे असन्तुष्ट रहेगी तब कोई और इनक्वायरी की, यदि आवश्यकता होगी, तो विचार किया जायगा ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—जब मंत्री जी को शुरू से जानकारी है कि वी० सी० और अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट मृतक के घरवालों की सुनवाई नहीं कर रहे थे और डाक्टर सिनहा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वहां इन्क्वायरी न करा के किसी जुडिशियल कमेटी से बाहर से जांच हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे बताया गया है कि अंजनीवीर प्रसाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट के कोई रिश्तेदार थे और वी०सी० से भी दूरन्दाज की रिश्तेदारी थी। इसलिये यह समझना कि उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, मेरे लिये मुश्किल सी बात है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इससे पहले हास्पिटल के सम्बन्ध में ही माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो शिकायत की उसके सम्बन्ध में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने उसकी जांच एक सरकारी अधिकारी को दे दी है जो कि विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं हैं, तो इस तरह क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से इस मामले में जांच सी०आई०डी० से या स्वतंत्र रूप से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही वह वास्तविक बात नहीं है क्योंकि अभी एक बच्चे के मर जाने के सिलसिले में सवाल उठाया गया था उसकी भी इंक्वायरी हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट द्वारा स्वतः एक कमेटी नियुक्त करके करवायी जा रही है। सरकार ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इस कमेटी में २ विशेषज्ञ बाहर के हैं और ३ मेडिकल कालेज के हैं जो हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट ने नियुक्त किये हैं। यह बात नहीं है कि सरकार ने बाहर के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया हो। इस विषय पर भी मैं समझता हूं हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट कोई ऐसी ही कमेटी की स्थापना कर इंक्वायरी करायेगा और सरकार के समक्ष वस्तुस्थिति को रखेगा ।

तारांकित प्रश्न

बिजली उद्योग कर्मचारियों के लिए वेज–बोर्ड स्थापित करने की प्रार्थना

*१—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बिजली उद्योग के कर्मचारियों के लिये वेज बोर्ड की स्थापना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी नहीं, यह अखिल भारतीय प्रश्न है ।

*२–३—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—[हटा दिये गये।]

कानपुर की कथित यू० पी० हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी

*४—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी, कानपुर में डेढ़ लाख रुपये का गबन जाली वाउचर बना कर किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कानपुर में य० पी० हैंडलूम कोआपरेटिव सोसाइटी नाम की कोई समिति नहीं है ।

*५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गबन की जांच दिसम्बर, १९६० के पहले हफ्ते में किसी अधिकारी द्वारा की गई है, यदि हां, तो किसके द्वारा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या गबन के सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर केन डेवलपमेन्ट यूनियन में गबन

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—सीतापुर केन डेवलपमेंट यूनियन में गबन के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र १९६० के ५वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या २६–२७ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५५–५६ म जो अधिक भुगतान किया गया था, वह कुल कितने रुपयों का था और क्या इसे केवल एकाउन्टेन्ट महोदय ने ही प्राप्त किया था तथा इस अनियमितता से सम्बन्धित जिन लोगों को सस्पेन्ड किया गया था उनमें से कुछ के सस्पेन्शन आर्डर्स को फिलहाल स्टे कर देने का क्या कारण है ?

सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—सीतापुर केन डेवलपमेंट यूनियन में वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में रु० १२,७४७.६१ न० पै० का अधिक भुगतान हुआ है, पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस धन को केवल एकाउन्टेन्ट ने ही प्राप्त किया था। चूंकि मुअत्तल किये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने के लिये पूर्ण आरोप सामग्री एकत्र करने में विलम्ब हो रहा था अतः सस्पेंशन आर्डर्स को फिलहाल रोक दिया गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आडिट रिपोर्ट २३–१०–५८ को प्राप्त हो गयी थी और मुअत्तली का आर्डर ८–१०–५९ को दिया गया, फिर भी उस मुअत्तली के आर्डर को स्टे किये जाने का कारण यह बताया गया कि पूरी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसमें से कुछ कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के आदमी थे । एक के बार में कोआपरेटिव विभाग ने यह कहा कि उसको चार्जशीट देकर फिर मुअत्तल किया जाना चाहिये । चूंकि एक के लिये ऐसा करना पड़ा इसलिये औरों के खिलाफ भी कार्यवाही रोक देनी पड़ी ।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी सिविल अस्पताल बढ़ाने की योजना

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि झांसी सिविल अस्पताल में जिन मरीजों के लिये भर्ती होना आवश्यक है उनमें से बहुत से मरीज भर्ती होने से वंचित रह जाते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने जब स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से उक्त अस्पताल का निरीक्षण किया था तो उस समय यह निश्चय

हुआ था कि अस्पताल के पास बस स्टैण्ड खाली कराकर उस प्लाट तक अस्पताल का extension कर दिया जाय ? यदि हां, तो उक्त निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, जिस स्थान पर बस स्टैन्ड हटा कर ले जाना है वह समतल की जा रही है और उस स्थान पर उपस्थित अन्य बाधाओं को भी हटाने का नगरपालिका द्वारा प्रयत्न हो रहा है। नवीन भूमि उपयुक्त होने के पश्चात् बस स्टैन्ड अपनी पुरानी स्थिति से स्थानान्तरित कर दिया जायगा, तदुपरान्त वर्तमान बस स्टैन्ड की भूमि झांसी सिविल अस्पताल के बढ़ाने के हेतु सम्मिलित कर ली जायगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त अस्पताल में टी० बी० के मरीजों का कोई वार्ड नहीं है, अतः उसके मरीज वापस कर दिये जाते हैं ? ऐसी दशा में क्या मंत्री जी टी० बी० के मरीजों का एक वार्ड निर्मित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—वहां पर बहुत मरीज आते हैं और बेड्स की कमी अवश्य है लेकिन बरामदे वगैरह में चारपाई डाल कर उनका इन्तजाम किया जाता है। जहां तक टी० बी० के मरीजों का ताल्लुक है उनके लिये वार्ड खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बस स्टैन्ड की जगह वार्ड बनाये जाने वाले हैं या क्वार्टर्स ?

श्री धर्मसिंह—यह स्थान तो अस्पताल के बढ़ाने के लिये ही लिया गया है। आगे चल कर जो भी प्लान बने, इस समय इस बारे में कि वहां क्वार्टर्स बनेंगे या वार्ड बनेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता ।

झांसी में हैवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट स्थापित करने की प्रार्थना

*११—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या एक Heavy Electrical Plant की स्थापना की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या वह उक्त प्लान्ट को झांसी में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं, यह योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और वे ही स्थान का भी निर्णय करेंगे ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का विचार करते हुए कि बुन्देलखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वे केन्द्रीय सरकार से इस हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट को झांसी में स्थापना की सिफारिश करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इन बड़े-बड़े प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स के निर्मित करने और स्थापित करने का विषय है, वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है। केन्द्रीय सरकार स्वतः इसके लिये विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त करती है और वे सारी सुविधाओं और साधनों का अध्ययन करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर केन्द्रीय सरकार निर्णय लेती है कि अमुक प्रोजेक्ट के लिये अमुक उपयुक्त स्थान है। कहां रा मेटिरिअल लाने की सुविधा है और कहां उस प्रोजेक्ट को, जो कि उस प्रोजेक्टेड प्लांट के तहत में बनायी जायेंगी, वे सुविधाये हैं कि दूसरे स्थानों को भेजी जा सकती हैं यानी उसके आने और ले जाने की क्या सुविधायें उस स्थान पर हैं। इन तमाम बुनियादी बातों पर विचार करके केन्द्रीय सरकार प्रोजेक्ट के निर्मित और स्थापित करने के विषय में निर्णय लेती है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि झांसी देश के मध्य में है और उसके चारों तरफ आवागमन की सुविधायें हैं तथा भोपाल में जो एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसके अनुभवी इंजीनियरों की सहायता मिल सकेगी, केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बुन्देलखंड में लगाया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने जैसा कि निवेदन किया, केन्द्रीय सरकार ही प्रोजेक्ट कमेटी भी बनाती है और प्रादेशिक सरकार उसको स्थान अवश्य बतला देती है। तो झांसी भी उन स्थानों में है जो उन्हें बतलाये गये। और स्थानों के नाम भी उन्हें बतला दिये गये जहां यह प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। अब उसके बाद प्रादेशिक सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार रहता नहीं है क्योंकि विशेषज्ञों की राय के ऊपर ही सारे निर्णय केन्द्रीय सरकार लेती है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार इस बात पर विचार करके कि बुन्देलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह राय देगी कि झांसी में ही इस प्लांट को लगाया जाय ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी सदन को बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन स्थान हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाने के लिये बतलाये गये हैं और उस पर आगे सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---कई जगह हैं, जैसे झांसी, सहारनपुर में रुड़की और देहरादून के पास एक जगह है। असल बात यह है कि तजुर्बे से पता लगा है कि आबोहवा की भी बात होती है। जहां सर्दी और गर्मी के जमाने में कोई फर्क नहीं रहता है उसी जगह यह चीज अच्छी चल सकती है। फिर उसके लिये इंजीनियरिंग कालेज व यूनिवर्सिटी करीब हो तो और सुविधा होती है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए रुड़की को ही पसन्द किया गया है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बोर्डर एरिया में रानीखेत और कालापानी के बीच की आबोहवा इस तरह की है, वहां हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो ऐसा सवाल कर दिया गया जो असम्भव सा है। आखिर जब ऐसा हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट बनेगा तो वहां लाखों टन माल लदकर जायगा और इसके लिये न तो पहाड़ पर सड़कें ही बनायी जा सकती हैं और न माल के लाने और ले जाने की सुविधायें ही बन पायी हैं और शायद वर्षों लग जायेंगे जब कि ऐसी सुविधायें वहां बनायी जा सकें। इसलिये पहाड़ पर वी हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाने का प्रश्न अभी उठता ही नहीं है।

जैन्तो ग्राम में प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करने का विचार

*१२---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा में जैन्ती अस्पताल बने आज कितने वर्ष हो गये और अब तक उसमें कोई कम्पाउन्डर, नर्स, डाक्टर या दवायें क्यों नहीं भेजी गईं ?

श्री धर्मसिंह---ग्राम जैन्ती, जिला अल्मोड़ा में एक एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने के हेतु भवन निर्माण कराया गया था जो एक वर्ष पूर्व बन कर तैयार हो गया है। इस बीच केवल चिकित्सालय स्थापित किये जाने की योजना रद्द कर के प्रारम्भिक स्वास्थ्य

इकाइयों की योजना लागू की गयी। ऐसी इकाइयां केवल विकास खंडों में ही स्थापित की जाती हैं। अतः अभी स्वास्थ्य इकाई स्थापित करना संभव नहीं हो सका। यहां ऐसी एक इकाई स्थापति किये जाने का प्रश्न नियोजन विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह अस्पताल की बिल्डिंग बनाना स्वीकार हुई थी तो क्या उसी वक्त दवा वगैरह रखने के लिये वहां अस्पताल कायम होना स्वीकार नहीं हुआ था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब यह अस्पताल की योजना स्वीकार हुई थी उस वक्त केन्द्रीय सरकार का अस्पतालों को खोलने का पैटर्न भिन्न था। उसका प्रदेशीय सरकार निर्णय लेती थी और जहां के लिये निर्णय लेती थी वहीं अस्पताल खुलते थे। लेकिन इन ४ सालों में पैटर्न बदल गया और प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स की योजना चालू की गई। अब मैं भी इस चीज को अनुभव करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में और दूसरे अविकसित क्षेत्रों में लोगों को इस सम्बन्ध में तकलीफ है और आज ही मैं अधिकारियों से बातचीत कर रहा था कि हमें इस विषय में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना होगा और प्लानिंग विभाग को भी इस विषय में पुनः विचार करना होगा और तभी हम अपनी उस घोषित योजना को पूरा कर सकेंगे जिसके तहत में कि हम हर ५ मील के दायरे में एक अस्पताल बनाना चाहते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इन दिनों जो नया पैटर्न चालू किया है वह सोशलिस्टिक पैटर्न है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार जितने कार्य कर रही है वे सभी समाजवाद के तहत में कर रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जैंती के सबसे निकटस्थ अस्पताल २० मील से ज्यादा दूरी पर है, चूंकि पहले यह मंजूर हो गया था और इसका आर्डर पुराना है इसलिये वहां पहले अस्पताल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अस्पताल के तथा इस प्रकार के अन्य अस्पतालों के प्रश्न ने ही मुझे प्रेरित किया है कि मैं केन्द्रीय सरकार के समक्ष तथा नियोजन विभाग के सामने इस प्रश्न को उठाऊं कि ब्लाक के हेडक्वार्टर्स पर ही अस्पताल हों और वहीं हेल्थ विजिटर्स हों और इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाय।

भनोली में प्रसूतिगृह की आवश्यकता

*१३—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या यह सही है कि भनोली, पट्टी रंगोड़, जिला अल्मोड़ा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की मंजूरी थी ? अगर हां, तो उसे क्यों नहीं खोला गया ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि ब्लाक अधिकारियों की तरफ से यह सूचना मिली है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह सम्मिलित था ? यदि हां, तो यह सूचना वहां कैसे गई ?

श्री धर्मसिंह—इस विषय में मेरी जानकारी फिलहाल नहीं है, दिखला लिया जायगा कि यह बात कहां तक सही है।

कुमायूं डिवीजन के विकास के लिये प्रार्थना

*१४—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कुमायं डिवीजन भी उत्तराखंड के समान पिछड़ा व गरीब है ? अगर हां, तो क्या सरकार कुमाऊं के विकास

के लिये वही कदम उठाने की कृपा करेगी जो उसने उत्तराखंड के लिये है या जो वह वहां करने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---पिछड़े तो दोनों ही क्षेत्र में हैं परन्तु सरकार के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का देश में एक विशेष स्थान है। दोनों देशों को विकसित करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अभी जब वह दो बार रानीखेत गये थे तो वहां उन्होंने पब्लिक भाषण में कहा था कि हम दोनों डिवीजनों को समान रूप से विकास में मदद देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी बात तो मैंने नहीं कही थी, मैंने वहां के असंतुलन की चर्चा की थी और जिसके विषय में मैंने कई बार कहा भी है कि यह सही है कि उत्तराखंड के लिये जो धनराशि विकास कार्यों के लिये रखी और जो उस के नजदीक के दूसरे इलाकों के लिये रखी गई है उसमें असंतुलन है और हर आदमी जो इन पिछड़े इलाकों में विकास देखना चाहता है वह यह पसन्द करेगा कि यह असंतुलन शीघ्रातिशीघ्र मिटाया जायगा।

परिवार नियोजन योजनाएं

*१५---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्थ कंट्रोल सम्बन्धी कोई योजना सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां और उसमें कितनी प्रगति हुई ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, परिवार नियोजन की योजना सारे राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य में स्थापित परिवार नियोजन केन्द्रों की सूची संलग्न है। परिवार नियोजन सम्बन्धी विभिन्न उपकरणों तथा गर्भ निरोधकों का ३१, दिसम्बर १९६० तक २०,७४९ व्यक्तियों ने स्टरिलाइजेशन (sterilization) करवाये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५७-७५९ पर)

*१६---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में किसी इंजेक्शन की भी ईजाद की गयी है ? यदि हां, तो उसे लगाने की व्यवस्था प्रदेश में कहां-कहां है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन केन्द्र में मर्द और औरतों को जो नपुंसक बनाया जाता है तो वह कुछ समय के लिये नपुंसक हो जाते हैं या हमेशा के लिये ?

श्री धर्मसिंह---यह तो माननीय सदस्य खुद एक्सपेरीमेंट करें तभी मालूम हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी शादी करके बर्थ-कंट्रोल का अनुभूत प्रयोग बतावेंगे ?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया।)

प्रधान चिकित्सिका, डफरिन अस्पताल, लखीमपुर के विरुद्ध शिकायत

*१७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---विधान सभा के वर्तमान सत्र दिनांक ९ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के लिखित उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संचालक, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश को किस

तारीख में पत्र प्राप्त हुआ और जांच की आज्ञा किस तारीख में दी गई तथा जांच कुनिन्दा ने शिकायती-पत्र भेजने वाले को भी अपने आरोप प्रमाणित करने का अवसर दिया या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---संचालक चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश को कथित पत्र की प्रतिलिपि दिनांक १९-८-१९६० को प्राप्त हुई और जांच की आज्ञा उनक द्वारा सिविल सर्जन, लखीमपुर खीरी को दिनांक ७-९-१९६० को भेजी गई। जांच कुनिन्दा ने शिकायती-पत्र भेजने वाले को भी अपने आरोप प्रमाणित करने का अवसर दिया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पत्र किसको सम्बोधित था और इसकी प्रतिलिपि किस-किस को भेजी गई थी ?

श्री धर्मसिंह---यह पत्र माननीय मंत्री जी को भी भेजा गया था, उप-मंत्री को भी भेजा गया था और नीचे के अधिकारी सिविल सर्जन साहब को भी भेजा गया था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिविल सर्जन को जो पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई थी क्या उन्होंने उस पर जांच की थी ?

श्री धर्मसिंह---उन्होंने तो जांच तभी की जब यहां से निर्देश गया। वैसे उनसे यह उम्मीद की जाती है कि जैसे ही उनको किसी बात की सूचना मिले, चाहे सरकार सूचना मांगती है या नहीं, वह उसकी छान-बीन करें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था उसने जो अपना बयान दिया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह---मुख्य-मुख्य बातें यही हैं कि कुछ लापरवाही की गई, कुछ इलाज में गड़बड़ियां की गईं, देख-भाल नहीं की गई।

द्वारी ग्राम के किसानों का गलत इन्दराज सम्बन्धी-पत्र

*१८---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम द्वारी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों का २६ दिसम्बर, १९६० का लिखित प्रार्थना-पत्र परगना व तहसील, घोसी को प्राप्त हुआ है, जिसमें गलत इन्दराज करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री उदयशंकर)---जी हां, जांच के पश्चात् शिकायत निराधार पायी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि इस शिकायत की जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---कानूनगो ने की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि गलत इंदराज की तस्दीक कानूनगो ने ही की थी और उसी से फिर जांच कराई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बात सही नहीं है कि गलत इंदराज कानूनगो ने ही किया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये न्याय मंत्री जी को बताऊं कि लेखपाल जब किसी किसान के खेत के ऊपर कोई नया इंदराज करता है तो कानूनगो जब उस पर तसदीक कर देता है तब वह जिमन ९ माना जाता है और अगर गांव समाज की

सम्पत्ति पर इंदराज करता है तो कानूनगो की तस्दीक के बाद जिमन ४ होता है। इसमें लेखपाल ने इंदराज किया और कानूनगो ने तस्दीक की, तो वह जिमन ४ हुआ। तो फिर उसी से जांच कराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गांव-सभा की जमीन पर एक शख्स विजयी हैं, उसने एन्क्रोचमेंट किया, उसके खिलाफ २११-ए की कार्यवाही हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि शिकायत निराधार पाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट जो आई जिले से उसके आधार पर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—शिकायत तो यही थी कि लेखपाल ने इंदराज गलत किया और आप कहते हैं कि शिकायत निराधार पाई गई। तो जांच में जब शिकायत निराधार पाई गई तो वह इंदराज था कि नहीं था जैसा कि अभी आपने कहा कि २११-ए की कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह जो तीन आदमियों ने दरख्वास्त दी थी उनकी शिकायत निराधार पाई गई। लेकिन तहकीकात से मालूम हुआ कि खसरा नम्बर १६०७/२, रकबा ४०० कड़ी पर श्री विजयी ने कब्जा कर लिया था। उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। वह गांव समाज की जमीन थी।

भूसाडोही से तकावी माफ करने के लिए प्रार्थना-पत्र

*१९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम भूसाडोही, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के बाढ़ पीड़ितों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के १ अगस्त, १९६० के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें तकावी की माफी की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदयशंकर—जी हां, उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक जांच हो रही है जिसके पूरे होने पर ही आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच उनके विभाग द्वारा कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जल्दी की जायेगी, अनावश्यक विलम्ब न किया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—तहसील घोसी और ग्राम भूसा। मंत्री जी इस बात का इन्तजाम करेंगे कि घोसी की भैंस कहीं भूसा खा न जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां की भैंस कुछ खाती नहीं।

दरगाह स्थित मकबरा मीराशाह की मरम्मत के लिये प्रार्थना-पत्र

*२०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा हुआ ८ सितम्बर, १९५९ का एक पत्र ग्राम चकमानों उर्फ दरगाह, जिला आजमगढ़ में स्थित मीराशाह के मकबरे की खास मरम्मत के लिये मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकबरे की मरम्मत कराने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां, इस प्रश्न के उत्तर में प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जा चुका है। चूंकि इस समाधि की ऐतिहासिक वास्तविकता या महत्व प्रमाणित नहीं हो सका, इसलिये उसकी मरम्मत कराने का विचार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई थी और इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं है यह किस आधार पर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यहां के जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं, डाक्टर दीक्षित, डाक्टर खरे और डाक्टर कानूनगो, इनको यह मामला भेजा गया था और उन्होंने जांच करके यह बताया कि इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि जांचकर्ता लोगों ने उस स्थान पर जा कर जांच की थी या यहीं से जांच पूरी कर दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की आवश्यकता नहीं है। यहीं से यह बात अनुसंधान-कर्ता लोग बता सकते हैं कि अमुक स्थान ऐतिहासिक है या नहीं क्योंकि उनके अनुसंधान और अन्वेषण उन्हें इस प्रकार की राय देने का बराबर अवसर देते रहे हैं ।

पिथौरागढ़ जिले के 'वन रावत'

*२१—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड में 'वन रावत' रहते हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां, कुछ परिवार 'वन रावतों' के रहते हैं जिनकी कुल संख्या मय औरतों व बच्चों के १४७ है ।

*२२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त परिवारों के रहन-सहन का तरीका और उनकी आजीविका का साधन क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ये लोग जंगलों के बीच एक मंजिले कच्चे मकानों में रहते हैं, जो घास व लकड़ी के बनाये जाते हैं। ये काष्ठ के बर्तन बनाते हैं और उन्हें आस-पास के गांवों में बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। जहां पर जंगलों के बीच कृषि योग्य भूमि देखते हैं कृषि भी कर लेते हैं। कुछ गांवों में मजदूरी भी करते हैं।

*२३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त परिवार ५० साल पूर्व से जंगलों में रहते आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—'वन रावत' कब से इस जिले में बसते हैं इसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है। चूंकि ये लोग पुश्तों से एकान्त जगलों में स्वाधीनता से विचरण करते आये हैं वे अब भी एकान्त में रहना ही पसन्द करते हैं। परन्तु अब वे कुछ-कुछ गांव वालों से सम्पर्क स्थापित करने लग गये हैं और शनैः-शनैः आधुनिक सभ्यता को ग्रहण करने लगे हैं।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि सदन में पहली बार 'वन-रावत' नामक शब्द आया है अतः बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १४७ परिवार 'वन-रावत' के हैं यह कोई ट्राइब हैं या मंत्री जी तथा मेरी तरह से कोई इंसान हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा मैं कह चुका हूं यह लोग साधारण व्यक्ति हैं जो अधिकतर जंगलों में रहते हैं। उनमें कोई फर्क तो है नहीं। थोड़े से लोग हैं। हमने यह तो निश्चय नहीं किया कि वे माननीय प्रतापसिंह जी के ग्रूप के हैं या माननीय तिवारी जी के।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि 'वन-रावत' कहीं से आये नहीं बल्कि पिथौरागढ़ जिले के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं की बिरादरी के हैं, इसलिये जो सुख-सुविधा वहां के प्रतिनिधि को प्राप्त है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वही सुविधायें इन १४७ परिवारों को दिलाने की कोई योजना सरकार ने क्यों नहीं बनाई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन इलाकों में जो विकास के कार्यों की योजनाय हैं वे इस बात की सबूत हैं कि उत्तरोत्तर वह लोग जो कि अब तक पिछड़े रहे हैं उनसे फायदा उठा कर वे भी वैसे ही बन जायेंगे जैसे प्रताप सिंह और मुख्य मंत्री बन गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या विकास के जो कार्यक्रम हैं उनमें यह भी कार्यक्रम रखा गया है कि ये जो १४७ परिवार हैं उनको ठीक तरह से बसा कर जीविका दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन क्षेत्रों में जिन लोगों को जीविका इत्यादि नहीं मिल रही है उनमें से अधिक को जीविका मिले इसकी व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना में है। खेती के जरिये से, उद्योग धंधों के जरिये से, कुछ दवायें इत्यादि बोकर वहां के लोगों को अधिक रोजगार मिल सके इसके लिये चेष्टा की जा रही है और वे रोजगार इन लोगों को दे दिये जायंगे।

वृद्धावस्था पेन्शनों की स्वीकृति

*२४—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १५ फरवरी, १९६१ तक प्रत्येक जिले में कुल कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन प्रदान की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१५-२-६१ तक कुल ७३८३ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। प्रत्येक जिले में पेंशन पाने वालों की संख्या संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६०-७६१ पर)

*२५—**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस योजना में अब तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि रखी गयी थी और कितनी-कितनी व्यय हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसका विवरण इस प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	वास्तविक व्यय (पेंशन)
१९५७—५८	२५,००,००० रु०	७७,५३३ रु०
१९५८—५९	२२,००,००० रु०	५,०४,२१४ ,,
१९५९—६०	२३,००,००० रु०	७,१९,२७८ ,,
१९६०—६१	२३,००,००० रु०	७,७४,९५२ ,, (फरवरी, १९६१ तक)

देवरिया जिले में ओला-पीड़ितों का प्रदर्शन

*२६—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या दिनांक २२,२४ तथा २५ फरवरी, १९६१ को तहसील केन्द्र हाटा, सलेमपुर तथा देवरिया, जिला देवरिया पर ओला पीड़ित किसानों का प्रदर्शन सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके द्वारा दिये गये स्मृति-पत्रों की मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, प्रदर्शन हुआ था। संबंधित तहसीलदारों के समक्ष प्रस्तुत किये गये स्मृति-पत्रों में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं वे संलग्न नत्थी 'क' में दी हुई हैं।

*२७—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने देवरिया जिले की हाटा, सलेमपुर तथा सदर तहसीलों के ओला पीड़ित किसानों द्वारा दिये गये उपर्युक्त स्मृतिपत्रों में की गयी मांगों की पूर्ति के लिये कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संबंधित स्मृतिपत्रों में जो मुख्य-मुख्य १२ मांगें की गई हैं और जो संलग्न नत्थी 'क' में अंकित है उनमें से मांग संख्या १,२ (मालगुजारी व तकावी में छूट के संबंधित) ३,५,६ और ८ का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है और इन मांगों की पूर्ति के लिये जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण संलग्न नत्थी 'ख' में दिया हुआ है। शेष मांगें सचिवालय के सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६२–७६३ पर)

*२८–२९—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—**श्री नारायणदत्त तिवारी** तथा **श्री प्रतापसिंह**—[हटा दिया गया।]

गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने की प्रार्थना

*३१—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में गोरखपुर में खुलने वाले मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में दो मेडिकल कालेज खोलने का प्राविधान है। इनमें से एक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में १९६१–६२ में खोलने का निश्चय हुआ है। दूसरे मेडिकल कालेज का स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है। अतः गोरखपुर में मेडिकल कालेज खुलने के सम्बन्ध में प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

*३२—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३–३५—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

चुर्क सीमेन्ट, फैक्ट्री, मिर्जापुर

*३६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर की चुर्क सीमेंट फैक्टरी ने वित्तीय वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में ३१ जनवरी, १९६१ तक कितनी सीमेंट तैयार की तथा बेची ?

श्री रऊफ जाफरी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६४ पर)

*३७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में इस समय प्रति वर्ष कितनी सीमेंट बनाने की क्षमता है ?

श्री रऊफ जाफरी—चुर्क सीमेंट फैक्टरी में इस समय प्रति वर्ष २,३१,००० टन (long ton) सीमेंट बनाने की क्षमता है।

*३८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में कितने कर्मचारी इस समय किस–किस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—पत्थर खदानों में लगे मजदूरों को छोड़कर इस समय चुर्क सीमेंट फैक्टरी में कुल १०८५ कर्मचारी operatives, non-operatives, supervisory तथा clerical सभी प्रकार के पदों पर, कार्य कर रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में यह कमी क्यों हो रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक वर्ष कमी होती जाय। यह जरूर है कि कभी-कभी जरूरत होती है जो कि हर कारखाने में होती है। कुछ मरम्मत की या ओवर-हालिंग की जरूरत होती है, इसलिये उस वक्त कमी हो जाती है। चुनांचे पिछले दो वर्ष ५८-५९ और ५९-६० में कमी कुछ हो गयी थी लेकिन इस साल जो क्षमता मुकर्रर है उससे भी ज्यादा पैदावार हुई।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या यह शिकायत आई है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जो बोरियां लगाई जाती हैं वे झिर्री होती हैं जिससे सीमेंट बहुत गिर जाती है ?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसी कोई शिकायत मुझे पता नहीं है। मुमकिन है कि ऐसा हो।

*३९-४१---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---[हटा दिये गये।]

सरकार द्वारा लिये गये जिला परिषदों के अस्पतालों के डाक्टरों व कम्पाउन्डरों का वेतन तथा फंड

*४२---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों द्वारा संचालित जिन अस्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनमें कार्य करने वाले कम्पाउन्डरों तथा डाक्टरों की जिला परिषदों में की गई सेवा अवधि क्या सरकारी सेवा अवधि में गिनी जायेगी और जिला अन्तरिम परिषदों द्वारा काटा गया उनका प्राविडेंट फंड उन्हें मिलेगा या गवर्नमेन्ट प्राविडेन्ट फंड के रूप में बदल दिया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह---जिला परिषदों द्वारा संचालित जिन अस्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनमें कार्य करने वाले उन कर्मचारियों की, जिनकी उम्र ३० वर्ष से अधिक नहीं है, जिला परिषदों में की गई वह सेवा अवधि जब से कि वे जिला परिषदों (employer) द्वारा संचालित प्राविडेंट फंड में अंशदान जमा करने के अधिकारी हुये हैं, सरकारी सेवा अवधि में पेंशन के लिये गिनी जायेगी और अन्तरिम जिला परिषदों (employer) द्वारा काटा गया उनका प्राविडेंट फंड गवर्नमेन्ट प्राविडेन्ट फंड के रूप में बदल दिया जायेगा, लेकिन शर्त यह है कि वे जिला बोर्ड द्वारा जमा किया हुआ अंशदान ब्याज सहित राजकीय कोष में जमा कर दें।

लेकिन प्रान्तीयकरण के समय जिन कर्मचारियों की उम्र ३० वर्ष से अधिक है वे सामान्यतया पेंशन के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन वे कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड कटाने के अधिकारी होंगे, परन्तु नियमानुसार जिला परिषदों द्वारा उनके प्राविडेन्ट फंड में जमा किया हुआ अंशदान व्याज सहित सरकारी प्राविडेन्ट फंड में जमा कर देना आवश्यक होगा।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बतलायेगी कि वह जिला परिषदों को यह हिदायत देगी कि जो अस्पताल सरकारी अधिकार में आ गये हैं उनमें काम करने वाले अधिकारियों के प्राविडेंट फण्ड ठीक से जमा कर दिये जायं ?

श्री धर्मसिंह---उसके तो नियम बने हुये हैं। जब किसी अस्पताल का प्रान्तीयकरण होता है तो उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है। यदि माननीय सदस्य किसी खास केस के बारे में बतलायेंगे तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जो नये ग्रेड्स हैं वे जिला अन्तरिम परिषदों के तत्वावधान में जो अस्पताल हैं उनको मिलना शुरू हुये हैं या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---प्रान्तीयकरण जब होता है तो उसमें जो शर्तें होती हैं वे लागू होती हैं और कोशिश यह की जाती है कि जो ग्रेड्स वहां पहले होते हैं उनको नये ग्रेड्स के मुताबिक ऐडजस्ट करें ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---अन्तरिम जिला परिषदों के अधीन अस्पतालों में बहुत से ऐसे कम्पाउन्डर हैं जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं और उनको प्राविडेन्ट फंड आदि की सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनको स्थायी करके ये रियायतें दी जायं ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हुये कि प्रदेशीय सरकार के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि सारे अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया जाय लेकिन जो नये ग्रेड्स कम्पाउन्डर्स को दिये गये हैं वह अधिकतर कम्पाउन्डरों को, जो गांवों में काम करते हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं, तो वह केवल इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि ये नये ग्रेड्स के आधार पर जितना अधिक रुपया कम्पाउन्डर्स को मिलेगा उतना रुपया उन अस्पतालों को दे दें ताकि उनको वह ग्रेड मिल सके ?

श्री धर्मसिंह---यह तो बहुत ब्योरे की बात है, इस वक्त कहना कठिन है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स तथा दवाइयों का कारखाना खोलने की योजना

*४३---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार सहारनपुर जिले के ज्वालापुर परगने में हैवी इलेक्ट्रिकल्स का और देहरा न जिले में ऋषीकेश के पास दवाइयों का बड़ा कारखाना खोलने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो इस योजना की क्या रूपरेखा है और इन दोनों कारखानों पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है ?

श्री रऊफ जाफरी---ये योजनायें केन्द्रीय सरकार की हैं । हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार की टेक्निकल कमेटी अभी देश में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रही है। उत्तर प्रदेश में रुड़की के समीप भी निरीक्षण हो रहा है। अतः इसकी रूप-रेखा अभी नियत नहीं हो सकी है । अनुमान है कि इस योजना पर लगभग ४५ करोड़ रुपया व्यय होगा ।

दवाइयों का कारखाना ऋषीकेश के पास खुलेगा और इसमें लगभग ३०० टन प्रति वर्ष पेनीसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, क्लोरो एवं अन्य टेट्रासाइक्लिन तथा नये ऐन्टीबायटिक्स बनाये जायेंगे। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग १० करोड़ रुपया होगी।

ये दोनों कारखाने रूसी सरकार के सहयोग से खोले जायंगे और वर्तमान योजना-काल में कार्यान्वित होंगे ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सही है कि भारत सरकार की टेक्निकल कमेटी ने रुड़की के पास का स्थान सब से अच्छा पसन्द किया था और यहां की पिछली प्रादेशिक सरकार ने उसके लिये संस्तुति की थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सुनने में यही आया है कि टेक्निकल कमेटी ने रुड़की के नजदीक के स्थान को पसन्द किया है और विशेषज्ञों की जब यह राय है तो प्रदेशीय सरकार को भी उस राय को मंजूरी देनी होती है और उसने दी भी है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि टेक्निकल कमेटी ने जब वह झांसी पहुंची थी तो उसने अपनी राय झांसी के लियेब हुत उपयुक्त जाहिर की थी लेकिन केन्द्र के कुछ उच्चस्तरीय नेताओं के प्रभाव में आकर उस समिति ने सहारनपुर के लिये सिफारिश की है, यह बात कहां तक सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है और मैं समझता भी नहीं हूं कि विशेषज्ञ लोग अपनी राय, किसी एक दो व्यक्ति के कहने पर चाहे वह कितने ही प्रमुख हों, इतनी आसानी से बदल देते हों।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि ऋषीकेश के नजदीक, जो पशुलोक की भूमि है, उसी के नजदीक के लैंड को एकवायर करके यह फैक्टरी बनाई जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, पशुलोक की जमीन में से ही कुछ हिस्सा लिया जायगा जहां कि एन्टी बायोटिक फैक्टरी बनाई जायगी।

खरगपुर बाजार में सस्ते गल्ले की दुकान का चावल पकड़ा जाना

*४४—**श्री दशरथप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या खरगपुर बाजार, जिला गोंडा में १९ अगस्त, १९६० को सस्ते गल्ले की दुकान से चोर बाजार में जाने वाला चावल पकड़ा गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री धर्मसिंह—दिनांक १९ अगस्त सन् १९६० को खरगपुर बाजार वालों ने ७ बोरे चावल बैलगाड़ी पर जाते हुये पकड़ा था। सूचना मिलने पर २० अगस्त को जिला पूर्ति अधिकारी, गोंडा मौके पर गये। उन्होंने चावल सुपुर्दगी में रख दिया। चावल के नमूने की जांच की गई लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि पकड़ा गया चावल सरकारी स्टाक का है। इसलिये उसको वापिस कर दिया गया।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकान का जो स्टाक था, उसकी भी जांच कराई गई या नहीं?

श्री धर्मसिंह—जी हां, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने मौके पर जा कर जांच की थी।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस गाड़ी वाले के भी बयान लिये गये थे कि वह कहां से गाड़ी भर कर माल ले जा रहा था?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्कता है।

जालौन जिले में वर्षा तथा ओला पीड़ितों को सहायता

*४५—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन में जिन १८६ ग्रामों में २७, ३०, ३१ जनवरी तथा १ फरवरी, १९६१ को ओला पड़ा उनमें कितने ग्राम ऐसे हैं जहां अभी हाल में अति वृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई थी?

श्री उदयशंकर—जिला जालौन के जिन १८६ ग्रामों में जनवरी २७,३०, ३१ व फरवरी, १, १९६१ को ओले पड़े हैं उनमें से केवल ६५ ग्राम ऐसे हैं जिनमें पिछली बरसात में अतिवृष्टि के कारण खरीफ १३६८ फसली को भी क्षति पहुंची थी।

*४६—**राजा वीरेन्द्रशाह**—उपर्युक्त जिन ग्रामों में पूरी फसल अति-वृष्टि से नष्ट हो गई थी और उनको अब ५० पैसे से कम नुकसान ओले से हुआ है, क्या सरकार उन्हें सहायता देने का विचार करेगी?

श्री उदयशंकर—ऐसे ग्रामों में क्षति यदि ४० नये पैसे या उससे अधिक है तो मालगुजारी व लगान में सहायता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त ग्रामों में आवश्यकतानुसार तकावी तथा अहेतुक सहायता बांटी गई है वह बट रही है।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, १४६ में से ६५ गांव ऐसे हैं जिनको पहले भी क्षति पहुंच चुकी है तो क्या सरकार इस ४० पैसे वाली हद्द को हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी जहां कि दोनों फसलें नष्ट हो चुकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो नियम है इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इन ग्रामों में पिछले फसल के वक्त ५० पैसे से ज्यादा नुकसान हो चुका है और इधर ओले पड़ने से ४० पैसे से ज्यादा नुकसान हुआ है, इस कैद को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, इन ६५ में से तीन मौजे ऐसे हैं जिनमें ४० से ५० पैसे तक नुकसान है और बुंदेलखंड का इलाका होने से वह सहायता पाने के मुस्तहक हैं और १० ऐसे हैं जिनमें ५० पैसे तक नुकसान हुआ है वह भी सहायता पाने के मुस्तहक हैं और बकिया ५२ गांव ऐसे हैं जहां ४० पैसे से कम नुकसान हुआ है लिहाजा वह सहायता पाने के मुस्तहक नहीं होंगे ।

लखनऊ जिले में ग्राम सेवकों की पदोन्नति

*४७---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में १ जनवरी, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक कितने ग्राम सेवकों की पदोन्नति हुई और उनमें प्रत्येक का सेवाकाल क्या है और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६५ पर)

*४८---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में ग्राम सेवकों की उपर्युक्त पदोन्नति करने का क्या आधार रक्खा गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ग्राम सेवकों की पदोन्नति, उनके कार्य श्रेष्ठता, कार्य क्षमता तथा पदोन्नति की उपयुक्तता के आधार पर की गई है ।

बांसी व नौगढ़ तहसीलों में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*४९---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षाकाल में बस्ती जिले में राप्ती, बानगंगा, जमुआर तथा घोघी नदियों की बाढ़ से बस्ती जिले की बांसी व नौगढ़ तहसीलों में कितने गांवों को क्षति पहुंची ?

श्री उदयशंकर---कुल ६०५ गांवों को क्षति पहुंची ।

*५०---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार इन दोनों तहसीलों में उक्त नदियों की बाढ़ से धन-जन, फसल तथा मकान की जितनी क्षति हुई है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री उदयशंकर---वांछित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७६६-७६७ पर)

*५१---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त दोनों तहसीलों में उक्त नदियों की बाढ़ से पीड़ित जनता को कितनी और किस प्रकार की सहायता तथा सुविधा उसके द्वारा दी गई ?

श्री उदयशंकर—अपेक्षित सूचना प्रश्न संख्या ५० के उत्तर से सम्बन्धित तालिका में दिखा दी गई है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस-किस गांव में कितने घर ध्वस्त हुये हैं और उनको कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गांवों के मकानात को जो नुकसान पहुंचा उसको फ्लड पर बयान देते हुए बता दिया था और स्टेटमेंट भी रख दिया था। अगर माननीय प्रश्न-कर्त्ता देख लें तो कुछ इत्तला हो जायगी ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है कि बहुत से गांव वालों को एक पैसा भी सहायता नहीं दी गयी जिनके घर ध्वस्त हो गये थे ?

श्री उदयशंकर—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सब नुकसान फसल का और मकानों के गिरने का करीब २५ लाख का हो चुका है, इसके लिये सरकार ने कोई उपाय सोचा है जो यह हर साल बाढ़ से क्षति हुआ करती है ?

श्री उदयशंकर—जितना नुकसान हुआ है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है । उसके हिसाब से बांसी और नौगढ़ तहसीलों के अन्दर कुल मिलाकर ६०५ गांवों में नुकसान पहुंचा है । दो मनुष्यों का नुकसान हुआ है और तीन पशुओं का नुकसान हुआ है । मकानों की संख्या २ हजार ४६ और उनका अनुमानित मूल्य ४ लाख ६५ हजार ४ सौ २५ रुपये हैं । बाकी, जब ऐसी विपत्तियां आती हैं सरकार लोगों की सहायता करती है ।

श्री धनुषधारी पांडेय—श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया था कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान तथा फसल से करीब २५ लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है, उससे बचने के लिये सरकार उस क्षेत्र में कौन-कौन से उपाय करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रेमिशन कुछ देंगे, तकावी कुछ देंगे । यही करते हैं ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सूची में उन्होंने दिया है कि मकान का अनुदान २५ पये से बढ़ाकर ५० रुपये कर दिया गया है और बांसी तहसील में ३२८ मकान गिरे, और केवल १९० रुपये की सहायता दी गयी तो किस अनुपात से सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब को नहीं दी गयी । जो मुस्तहक थे, गरीब और असहाय, उन्हीं को दी गयी ।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूची देखने से मालूम होता है कि नौगढ़ में १७२८ मकान गिरे जिसमें २४ हजार ५ सौ रुपया दिया गया और बांसी में ३२८ घर गिरे, उनको केवल १९० रुपया दिया गया, ऐसा क्यों किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने अर्ज किया था कि जिनके पास बिलकुल एक पैसा नहीं था उनको सहायता दी गयी है । जो मरम्मत कर सकते थे उनको नहीं दी गयी ।

*५२-५४—**श्री अब्दुलरऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५५—श्री मुक्तिनाथ राय—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में लेखपाल

*५६—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील नवाबगंज, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, फतेहपुर में कुल कितने लेखपाल हैं और उनमें कितने ट्रेन्ड व कितने अनट्रेन्ड हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुल ३७४ लेखपाल हैं जिनमें से ट्रेन्ड ३२६ तथा अनट्रेन्ड ४८ हैं ।

*५७—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कितने ट्रेंड लेखपालों का कार्य करने के लिये, क्रमशः १९५७, १९५८, १९५९ व १९६० ई० में प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने लिये गये और कितने कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्रमशः शून्य, १, १ और १६ अर्थात् कुल १८ प्रार्थना-पत्र आये जिनमें से सभी को ले लिया गया। इस समय उनमें से १६ कार्य कर रहे हैं।

*५८—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसीलों में कितने ट्रेन्ड लेखपाल १९५९ तथा १९६० ई० में हटाये गये और अन-ट्रेन्ड लेखपाल रखे गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक भी नहीं ।

गोविन्दपुरी में सिनेमा खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५९—श्री जयदेवसिंह आर्य (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोविन्दपुरी जिला मेरठ में सिनेमा का लाइसेंस देने का विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां ।

*६०—श्री जयदेवसिंह आर्य—यदि हां, तो उसके लिये अब तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—६ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुए ।

श्री जयदेवसिंह आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सा आधार इसके लिये रखा गया है जिस पर विचार किया जायगा कि किस आदमी को वह जगह दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह सिनेमा की इजाजत देने के लिये कुछ रूल्स बने हुए हैं और जिलाधीश उसके हिसाब से इजाजत देते हैं । अभी तो वहां प्रार्थनापत्र ही आये हैं । एक मोदी साहब का आया है, उनका तो कोई मकान है । दूसरों ने प्रार्थनापत्र दिया है कि उनको जमीन दे दी जाय । तो कुछ जमीन के टुकड़े हैं वह नीलाम होंगे और नीलाम होने के बाद जिलाधीश गौर करेंगे । उसमें जो नियमानुसार आयेंगे उनको वह इजाजत दे देंगे ।

*६१—श्री होरीलाल यादव—[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२–६४—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[वापस ले लिया गया ।]

मेंहदावल अस्पताल में डाक्टर न होना

*६६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के कस्बा मेहदावल में जो एलोपेथिक अस्पताल है, उनमें कितने महीनों से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—बस्ती जिले के मेहदावल एलोपैथिक अस्पताल में १-१२-६० से डाक्टर नहीं है ।

*६७—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के अस्पताल में कृपा करके शीघ्र से शीघ्र कोई डाक्टर भेजेगी ?

श्री धर्मसिंह—मेहदावल एलोपैथिक अस्पताल में जो पहले डाक्टर थे उनकी लम्बी छुट्टी अस्वीकृत कर दी गई है और उन्हें पुनः कार्यभार सम्भालने के लिये उपयुक्त आदेश भेज दिये गये हैं ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस महीने के अन्दर डाक्टर साहब वहां पहुंच जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—उनको लिख तो दिया गया है कि वह जाकर के अपना चार्ज लें और उनकी छुट्टी स्वीकार नहीं की गई है । इसके बाद क्या हुआ है इसकी अभी सरकार को सूचना नहीं है ।

सेनीटरी इन्सपेक्टरों की सर्विस का प्रान्तीयकरण करने की प्रार्थना

*६८—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह प्रदेश में नगरपालिका अथवा अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन कार्य करने वाले सेनीटरी इन्सपेक्टरों की सर्विस का प्रान्तीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*६९—श्रीमती शकुंतलादेवी (अनुपस्थित)—अगर यह प्रश्न विचाराधीन है तो क्या इसका अन्तिम निर्णय १९६२ से पूर्व हो सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

साहिबाबाद के समीप जापानी सहयोग से घड़ी का कारखाना खोलने की योजना

*७०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गाजियाबाद में केन्द्रीय शासन की सहायता से तथा जापान की सहायता से एक घड़ी का कारखाना खुलने जा रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का उसमें क्या भाग रहेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—गाजियाबाद में कोई ऐसा कारखाना केन्द्रीय सरकार की सहायता से नहीं खुल रहा है किन्तु साहिबाबाद के समीप निजी क्षेत्र में जापानी सहयोग से एक घड़ी का कारखाना खोलने की योजना है । इसमें राज्य सरकार का कोई भाग नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जापान क्या और कैसे इस निजी संस्थान को सहयोग दे रहा है और क्या प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार ने उसके लिये आज्ञा दे दी है ?

श्री रऊफ जाफरी---चूंकि यह निजी क्षेत्र का है तो इसका ब्योरा जो है कि क्या-क्या सहायता जापान से मिल रही है वह सरकार के पास नहीं है ?

गोबर गैस प्लांट के उपयोग के लिए कार्य

*७१---**श्री राजेन्द्र सिंह**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोबर गैस प्लान्ट के प्रदेश में अधिक से अधिक उपयोग के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)---प्रदेश में गोबर गैस प्लान्ट के अधिक से अधिक उपयोग के लिये सरकार निम्नांकित दिशाओं में कार्य कर रही है :---

(१) गोबर गैस को विविध प्रयोगों में लाने के लिये विकास अन्वेषणालय अनुसंधान कर रहा है, तथा

(२) गोबर गैस प्लान्ट का प्रचार करने के लिये :

(क) तकनीकी सहायता देना,

(ख) ऋण देना,

(ग) मूल्य का ५० प्रतिशत या अधिकाधिक २०० रुपये का राज्य अनुदान देना,

(घ) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारियों को ट्रेनिंग देना,

(ङ) सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में एक गोबर गैस प्लान्ट का प्रदर्शन हेतु स्थापित करना,

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि वित्तीय सहायता भी देंगे तो जिन लोगों ने सरकार की इस योजना के पहले ही गैस प्लांट बनाया है जैसे कि पीलीभीत में डाक्टर इन्द्रदेव ने बनाया है और गवर्नमेंट ने उनको कोई इमदाद इसमें प्रोत्साहन के लिये नहीं दी है, तो ऐसे अनेक लोग होंगे, उनको सरकार कुछ प्रोत्साहन देने के लिये मदद करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उन्होंने जो प्लान्ट बनाया है उसे हमारे टेकनिकल एक्सपर्ट्स देखकर अगर यह समझें कि वह सही है और उसके बाद वह उचित ढंग से लोन के लिये दरख्वास्त करें तो हम उनको लोन या अनुदान दे सकेंगे ।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस चालू वित्तीय वर्ष में कितना रुपया इस गोबर गैस प्लान्ट के लिये दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अभी तक यह पाइलट स्कीम के अन्तर्गत है । अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है । एक्सटेंशन स्टेज में अब यह जा रहा है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---क्या माननीय विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोबर गैस प्लान्ट की कीमत क्या होती है और इसमें जो साधारण चूल्हे होते हैं उनकी अपेक्षा क्या लाभ होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इसके जो उन्होंने आंकड़े निकाले हैं उसके अनुसार एक मामूली गोबर प्लांट के लिये ३०० से ५०० रुपये तक खर्चा होगा और फायदा क्या है यह आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं । डोमेस्टिक परपज में वह इस्तेमाल हो सकता है और इंडस्ट्री के लिये भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी किया है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जो इस बात को देखते हुए कि जिस गोबर गैस प्लांट का जिक्र मैंने किया पीलीभीत का, वह उन्होंने इस सरकार की स्कीम चालू होने से बहुत पहले लगभग ५ साल पहले बना डाला है तो कोई एक्सपर्ट सरकार अपना वहां भेजेगी या जिले के एक्सपर्ट से कहेगी कि वह उसकी जांच करके बताये कि वह उनकी स्कीम के अनुसार ठीक है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वे दरख्वास्त करेंगे तो हम विचार करा लेंगे।

*७२---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जखोली विकास खंड के सीमा परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

*७३---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह टिहरी-गढ़वाल को ग्यारह गांव हिन्दाव और नैलचामी पट्टियों को जखौली विकास खंड से पृथक कर भिलंगना विकास खंड में शामिल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इस मामले पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय कठिनाइयों के कारण इन पट्टियों को जखोली विकास खंड से निकाल कर भिलंगना विकास खंड में शामिल करना संभव नहीं है।

जनगणना में कार्य करने वाले अध्यापकों को मानदेय देने की जानकारी

*७४---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल तथा प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों से जन-गणना में जो काम लिया जा रहा है क्या उनको उक्त परिश्रम के लिये कुछ पैसा देने का विचार है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जनगणना में काम करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को जो इन्यूमिरेटर अथवा सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर चुके हैं, मानदेय देने का निश्चय भारत सरकार ने किया है।

मानदेय की दर अभी पूर्णतया निश्चित नहीं हुई है किन्तु भारत सरकार का विचार है कि ७०० व्यक्तियों के ब्लाक की गणना के लिये २४ रुपया प्रति ब्लाक की दर से मानदेय दिया जाय। इस दर से पूरे देश में करीब एक करोड़ ६० लाख रुपया खर्च होगा और भारत सरकार का प्रस्ताव था कि यह खर्च केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें आधा-आधा दें किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश में होने वाले खर्च का केवल एक तिहाई हिस्सा ही देना स्वीकार किया है। इस साल के बजट में इसके लिये ९.४५ लाख रुपया शामिल कर लिया गया है।

*७५---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले के देहाती क्षेत्र में डाक्टरों का न होना

*७६---**राजा वीरेन्द्रशाह**---क्या यह सही है कि जालौन जिले में पूरे देहाती क्षेत्र के अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तथा कहीं-कहीं तो जब से अस्पताल खुला है तब ही से डाक्टर नहीं भेजे गये ?

नोट---तारांकित प्रश्न ७१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जालौन जिले के देहाती क्षेत्र में नदी गांव अस्पताल के अतिरिक्त, अन्य अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं।

इन अस्पतालों में से खुथोन्ड तथा रामपुरा अस्पतालों में, डाक्टरों के अभाव के कारण उनके खुलने की तिथि से डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर में नियुक्तियां

*७७—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर में १ जनवरी, १९५२ से अब तक किन-किन श्रेणियों के कितने स्थायी पदों का सृजन किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गजटेड	२७
नान-गजटेड-सबार्डिनेट सर्विस	३३
मिनिस्टीरियल	२१३
निम्न श्रेणी	१०७
कुल ..	३८०

*७८—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त जिन स्थायी पदों का सृजन किया गया है, उनमें से कितने पदों की पूर्ति कर ली गई है और कितने स्थान अब तक रिक्त पड़े हैं ?

श्रीमती सुचेता कपालानी—

	पूर्ति किये हुये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
गजटेड	२२	५
नानगजटेड–		
सबार्डिनेट सर्विस	२७	६
मिनिस्टीरियल	२०८	५
निम्न श्रेणी	९५	१२

कानपुर तहसील में वर्षा व बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*७९—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—दिनांक २३ फरवरी, १९६१ के विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ५२–५३ के उत्तर के संदर्भ में क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६० में अति वर्ष में बाढ़ के कारण कानपुर तहसील के किन-किन ग्रामों में खरीफ की मालगुजारी व लगान में कितनी छूट दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७६८–७७२ पर)

*८०--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त अति वर्षा व बाढ़ के फलस्वरूप दी गई अहेतुक सहायता व तकावी कानपुर तहसील के किन-किन ग्रामों को दी गयी और कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७६८-७७२ पर)

गन्ने की उपज

*८१--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में किन-किन जिलों में कितना-कितना गन्ना है, उसमें से मिलों में कितना लिया जायेगा और कितना खड़ा रह जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वर्तमान सीजन में केवल चीनी मिलों के क्षेत्र के जिलों के गन्ने की अनुमानित उपज की सूचना सरकार के पास उपलब्ध है। इस अनुमानित उपज में से जितना गन्ना जिलेवार चीनी मिलों को सप्लाई होने का अनुमान है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। शेष गन्ने की खपत बीज, गुड़, राब व खंडसारी आदि में होगी।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७७३ पर)

ग्राम पट्टी नरेन्द्रपुर में कूप निर्माणार्थ ऋण

*८२--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज के ग्राम पट्टी नरेन्द्रपुर में जनवरी, १९६० से अप्रैल, १९६० के बीच कितने व्यक्तियों को कूप निर्माण हेतु कितनी-कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गई ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सहायता पाने वालों के नाम क्या थे, उन्हें कितना रुपया अलग-अलग दिया गया तथा कितने कूप बन गये और कितने नहीं बन पाये और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--ग्राम पट्टी नरेन्द्रपुर में जनवरी से अप्रैल, १९६० तक केवल दो व्यक्तियों को पक्के कुंए बनाने के लिये कर्ज दिया गया --

१--श्री सरजू को ७५० रुपये, और

२--श्री भूषण को ६८५ रुपये।

इन कुओं के निर्माण की मियाद मार्च, १९६१ के अन्त तक थी, अतएव इनके निर्माण की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

गन्ना समिति, जिला बदायूं की ओर से कथित कूप निर्माणार्थ सहायता

*८३--श्री टीकाराम--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में गन्ना सोसाइटी ने वित्तीय साल १९५८-५९, १९५९-६० व १९६०-६१ में कितने रुपये सिंचाई के लिये कुयें बनवाने को दिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्राप्त सूचनानुसार बदायूं में गन्ना सोसाइटी ने वित्तीय वर्ष १९५८-५९, ५९-६० व १९६०-६१ में कुएं बनवाने के लिये कोई रुपया नहीं दिया।

मऊरानीपुर तथा सिविल अस्पताल, झांसी के विस्तार की प्रार्थना

*८४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--मऊरानीपुर, जिला झांसी के अस्पताल के प्रान्तीयकरण के विषय में ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना कब तक स्वीकार कर ली जावेगी और उक्त अस्पताल सरकार कब तक अपने अधिकार में लेगी ? क्या सरकार उक्त अस्पताल के विस्तार करने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या विस्तार किया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण की योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध नहीं है। अतः अभी निश्चित समय बता सकना सम्भव नहीं है। चिकित्सालय के विस्तार पर प्रान्तीयकरण के बाद ही विचार किया जा सकता है।

*८५--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार ६ मार्च, १९६१ के प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के सिविल अस्पताल के विस्तार की योजनायें कब स्वीकार की गयी थीं और क्या उन पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--झांसी के सिविल अस्पताल के विस्तार की निम्नलिखित योजनायें उनके सामने दी हुई तिथियों को स्वीकृत की गईं :

१--उच्च स्तरीयकरण के सम्बन्ध में भवन निर्माण	१४-४-५९
२--बालरोग चिकित्सा भवन निर्माण	१५-५-५९
३--क्षय रोग क्लिनिक के लिये भवन निर्माण	३-९-५९
४--३२ शय्याओं के रोगी कक्ष के लिये भवन निर्माण	१०-५-६०
५--नर्सेज होम	१९-८-६०

इन कार्यों के नक्शे तथा तखमीने सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन हैं। नक्शे तथा तखमीने प्राप्त होने पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

गाजीपुर जिले में सुगंधित तेल योजनान्तर्गत सहायता देने का आश्वासन

*८६--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह गाजीपुर शहर का मुख्य उद्योग गुलाब, केवड़े का इत्र निकालने के उद्योग को बढ़ाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुगन्धित तेल योजना के अन्तर्गत किसानों को गुलाब व केवड़ा की खेती बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रकार की खादों का उपयोग बताया जायेगा तथा गंधी लोगों को नवीन विधियों द्वारा इत्र बनाने का प्रदर्शन तथा शिक्षा दी जायेगी। इत्र उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार कर्जा भी देगी।

देवरिया की चीनी मिलों में गन्ने की खपत

*८७--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या देवरिया जिले के गन्ने के अतिरिक्त देवरिया की मिलों को बिहार तथा बलिया और आजमगढ़ से भी गन्ना सप्लाई होता है ? यदि हां, तो गन्ना आयुक्त के कार्यालय में ऐसी कोई सूचना है कि वहां से कितना गन्ना देवरिया की मिलों को इस वर्ष मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, वर्तमान सीजन में देवरिया जिले की चीनी मिलों को जितना गन्ना बिहार तथा बलिया व आजमगढ़ से मिलेगा उसका तखमीना इस प्रकार है:---

बिहार	..	..	..	५६.६०	लाख मन
आजमगढ़	..	..	..	२.२५	लाख मन
बलिया	..	..	..	५.४०	लाख मन
			योग ..	६३.२५	लाख मन

*८८---**श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया की मिलों में अथवा जहां कहीं भी इस जिले का इस वर्ष पैदा होने वाला गन्ना खपाने की योजना है, कितना-कितना गन्ना किस मिल में खपेगा और खपाने के लिये कब तक यह मिलें चलती रहेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

*८९-९०---**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)---[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

शाहाबाद जनाना अस्पताल में डाक्टरनी का न होना

*९१---**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा शाहाबाद जिला हरदोई के फीमेल (महिला) अस्पताल में लेडी डाक्टर कितने अरसे से नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कस्बा शाहाबाद, जिला हरदोई के महिला अस्पताल में दिनांक १५ सितम्बर, १९६० से लेडी डाक्टर नहीं है ।

*९२-९३---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़), **श्री सजीवनलाल** तथा **राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९४-९५---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---[२० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सरपतहा थाने से समोधपुर तक सड़क का निर्माण

*९६---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री गोबिन्द सिंह विस्ट** तथा **श्री अवधेश प्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में शाहगंज तहसील में सरपतहा थाने से समोधपुर ग्राम तक पक्की सड़क बनाने का कब और किसको ठेका दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ठेका नहीं दिया गया ।

*९७---**राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री गोविन्दसिंह विष्ट** तथा **श्री अवधेश प्रतापसिंह**---क्या वह सड़क बन कर तैयार हो गई ? यदि हां, तो कब तैयार हुई ? यदि नहीं तो तैयार न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अभी सड़क बन कर तैयार नहीं हुई है । इसका कारण गांव के लोगों की पारस्परिक दल बन्दी तथा वैमनस्य है ।

*९८--राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री अवधेशप्रताप सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सड़क को पक्की बनाने का कितने रुपये का ठेका हुआ था और कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रश्न नहीं उठता ।

विधायकों को निरीक्षण करने को अधिकार

*९९--श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसके द्वारा विधायकों को कुछ विभागों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, इस प्रकार के कुछ आदेश हैं जिनके अधीन विधायकों द्वारा कतिपय विभागों के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं, योजनाओं और कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है । उन की प्रतिलिपियां† सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

गोला गोकरननाथ व फरदहन गन्ना समितियों की बैठक न होना

*१००--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी की गोला गोकरन नाथ गन्ना समिति और फरदहन गन्ना समिति की, जिनके अध्यक्ष जिलाधीश हैं और जो कि गन्ना अधिकारी के प्रशासन में हैं, अब तक ऐनुअल जनरल मीटिंग न होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला खीरी के गोला गोकरन नाथ व फरहदन गन्ना समितियों की वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कारणवश न हो सकी :--

(१) गोलागोकरननाथ समिति के संचालक मंडल ने ग्राम प्रतिनिधियों (डेलीगेट) के चुनाव के सिलसिले में वैधानिक आपत्तियां उठाते हुये गन्ना आयुक्त से स्पष्टीकरण की मांग की थी। यह भी निश्चय किया गया था कि जब तक गन्ना आयुक्त से स्पष्टीकरण न प्राप्त हो जाय, समिति का सालाना जलसा स्थगित रखा जावे ।

(२) फरदहन गन्ना समिति के संचालक मण्डल ने अपनी मीटिंग में जो कि २६-२-१९६१ को हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग कराने के विषय पर निर्णय दूसरी मीटिंग के लिये स्थगित कर दिया था ।

अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त के विरुद्ध शिकायत

*१०१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास फरवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह में अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त के सम्बन्ध में जांच करने में ढिलाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा केवल एक शिकायती-पत्र फरवरी, १९६१ में शासन को प्राप्त हुआ था । उस पर जांच कराई गई । बन्दोबस्त सम्बन्धी जांच करने में ढिलाई के आरोप सिद्ध नहीं हो पाये ।

---

†नत्थी छापी नहीं गई ।

घोसी विकास खंड के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*१०२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम लखनी मुबारकपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों के दस्तखत से २६ दिसम्बर, १९६० का लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र उसे प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि घोसी विकास खंड के कर्मचारियों ने बिना पाइप दिये ही हस्ताक्षर बनवा लिये हैं और अब उसकी कीमत का रुपया वसूल किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*१०३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ९ अप्रैल, १९५९ तथा २३ जुलाई, १९६० को क्रमशः तहसीलदार घोसी एवं जिलाधीश और जिला नियोजन अधिकारी को उक्त अवैध कार्य के सम्बन्ध में दरख्वास्त दी गई थी पर जांच नहीं हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—९-४-५९ की दरख्वास्त तो उपलब्ध नहीं हो सकी । किन्तु २३-७-६० की दरख्वास्त पर समुचित जांच की गई ।

विधान मण्डल के सदस्यों के उपचारार्थ आयुर्वेदिक औषधालय न होना

*१०४—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विधान मंडल के सदस्यों के उपचार के लिये बलरामपुर अस्पताल की भांति किसी आयुर्वेदिक औषधालय में भी कोई व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*१०५—श्री गरीबदास—यदि हां, तो कहां ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कुओं को कथित क्षति

*१०६—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले में १९५३ और १९५५ के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के नष्ट-भ्रष्ट कुओं के पुनरुद्धार के लिये उसने कोई सरकारी व्यवस्था की है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से की गई है, किन-किन स्थानों पर की गई है और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५३ तथा ५५ की बाढ़ से किसी भी कुयें के क्षतिग्रस्त होने का समाचार नहीं प्राप्त हुआ। अतः उनके पुनरुद्धार का प्रश्न हीं नहीं उठता।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उत्पन्न होता ।

*१०७—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त व्यवस्था पर लगाये गये कर्मचारियों पर दिसम्बर, १९६० तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न १०६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के फलस्वरूप यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

हार्टीकल्चर ब्रांच के कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम

*१०८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या फलोपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश के हार्टीकल्चर ब्रांच में इस समय तीनों ग्रुपों (थर्ड, सेकिंड तथा फर्स्ट) में नीचे लिखे तीन प्रकार के कर्मकारी कार्य कर रहे हैं :—

(क) डिप्लोमा ऐण्ड मैट्रीकुलेट, (ख) डिप्लोमेट पर नान-मैट्रीकुलेट

(ग) नान-डिप्लोमेट और नान-मैट्रीकुलेट ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*१०९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—यदि हां, तो क्या ज्येष्ठता निर्धारित करने अथवा पदोन्नति के समय उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित (ग) पर (ख) को तथा (ख) पर (क) को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित करने अथवा पदोन्नति के समय केवल उनकी शिक्षा योग्यता को ही प्राथमिकता नहीं दी जाती, वरन् उनकी सेवा अवधि, कार्य कुशलता व चरित्र पंजिका में उल्लिखित लेखों को भी ध्यान में रक्खा जाता है ।

बुढ़हानपुर के भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र

*११०—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, १९६० से माह दिसम्बर, १९६० तक मौजा बुढ़हानपुर, तहसील औरैया जिला इटावा के कितने नागरिकों के इस आशय के प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिये गये हैं कि मौजा बुढ़हानपुर, परगना औरैया के प्रधान ने ५० एकड़ भूमि के पट्टे उन लोगों को कर दिये हैं जो मौजा बुढ़हानपुर सर्किल के निवासी नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, ऐसा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ३ अक्तूबर, १९६० का शासन को प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधीश इटावा के पास निस्तारण हेतु भेज दिया गया । यह प्रार्थनापत्र बुढ़हानपुर के भूमिहीनों की ओर से श्री नूर अली ने दिया था ।

इस मामले में परगनाधीश के यहां जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११९८ (२) के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ।

*१११—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उपर्युक्त ५० एकड़ भूमि में बहुत सी भूमि पशुचर है तथा बहुत सी आराजी ऐसी है जो कुछ लोगों के नाम पहले से ही चकबंदी कागजात में दर्ज चली आ रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*११२—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ५० एकड़ भूमि के पट्टे किये गये हैं वे कहां-कहां के निवासियों को किये गये हैं और उनका मुख्य पेशा क्या है तथा उनमें कितने सरकारी कर्मचारी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गांव बुढ़हानपुर के प्रधान द्वारा ४९.५० एकड़ भूमि के ४.५ एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से ११ पट्टे दिये गये । पट्टे दिये व्यक्तियों में से तीन तेज का पुरवा नगला गांव जानिश नगर के निवासी थे, ५ गांव मुढ़ी के निवासी थे व शेष कानपुर जिले के निवासी बताये जाते हैं । इन पट्टेदारों में से तीन सरकारी कर्मचारी थे, दो नाबालिग लड़के थे, तीन भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे व शेष का मुख्य पेशा अज्ञात है ।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मिनिस्टर्स डिस्क्रीशनरी ग्रांट का व्यय

*११३—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुब, श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री अवधेश प्रतापसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जैसा मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में हाल ही में कहा था कि पहले के मन्त्रि मंडल ने मिनिस्टर्स डिस्क्रेशनरी ग्रान्ट को कुल खर्च कर दिया है यह बात किन-किन विभागों के भूतपूर्व मन्त्रियों पर लागू होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जो मिनिस्टर्स डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट भूतपूर्व वित्त मन्त्री के लिये थी वह ही केवल कुल खर्च कर दी गयी थी ।

*११४—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री अवधेश प्रतापसिंह**—क्या यह सही है कि जो धन इन मदों में दिया गया है यह प्रार्थना-पत्रों की जांच और नियमित प्रक्रिया के बिना दे दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

बिना डाक्टर के अस्पताल

*११५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार राज्य के ऐसे एलोपैथिक अस्पतालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिनमें १७ फरवरी, १९६१ को क्रमशः २ वर्ष तथा १ वर्ष से डाक्टर नहीं हैं?

*११६---क्या सरकार राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये ऐसे एलोपैथिक अस्पतालों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जहां पर १७ फरवरी, १९६१ को क्रमशः २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष से दवा इत्यादि के आवर्तक या अनावर्तक अनुदान उपलब्ध रहे हैं परन्तु वहां पर क्रम में उसी समय से (१) अभी तक डाक्टर नहीं है, (२) अस्पताल का नियमित कार्य ही शुरू नहीं हुआ है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूचना एकत्रित की जा रही है।

उद्योग कार्यालय गोंडा से हड्डी की खाद बनाने के लिये ऋण

*११७---श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग कार्यालय गोंडा से जिन लोगों को हड्डी की खाद बनाने के लिये १ अप्रैल, १९५८ से १९ फरवरी, १९६१ तक धन दिया गया है उनके नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जिला गोंडा में १ अप्रैल, १९५८ से १९-२-१९६१ तक हड्डी की खाद बनाने के उद्योग हेतु केवल एक व्यक्ति, श्री अब्दुल गफ्फार हाशमी को ३,००० रुपये व ६,००० रुपये के दो ऋण क्रमशः १९५८-५९ व १९५९-६० में दिये गये।

बरेली कलेक्टरेट में खाद्य व रसद विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति

*११८---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली कलेक्ट्रेट में खाद्य तथा रसद विभाग से छटनी किये गये कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और वे कब से वहां कार्य कर रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन---तेरह कर्मचारी नियुक्त किये गये। इनमें से चार १९५३ से, चार १९५४ से, तीन १९५५ से तथा दो १९५६ से कार्य कर रहे हैं।

*११९---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वे सब अभी तक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, क्योंकि कोई स्थायी स्थान रिक्त नहीं हुआ।

निर्दिष्ट गन्ने की मात्रा से अधिक पेराई करने वाली मिलें

*१२०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० के वर्षों में प्रदेश की किन-किन गन्ना मिलों ने सरकार द्वारा निश्चित कोटे से अधिक गन्ने की पेराई की है और कितने-कितने मन अधिक गन्ने की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९५९-६० को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में प्रदेश की जिन चीनी मिलों ने क्रशिंग लाइसेंस में निर्दिष्ट गन्ने की मात्रा से अधिक गन्ने की पेराई की है और जितने मन अधिक उसका† विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है।

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

*१२१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिन मिलों ने अधिक गन्ने की पिराई की है, क्या सरकार ने ऐसी मिलों को सेस और ड्यूटी में रियायत दी है ? यदि हां, तो यह धनराशि उपर्युक्त अवधि में प्रतिवर्ष प्रत्येक मिलवार कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*१२२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि उपर्युक्त जिन जिलों को सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि में सेस और ड्यूटी में रियायत दी गई है, इस धनराशि में से क्या कुछ अंश मिल वालों ने गन्ना उत्पादकों (काश्तकारों) को भी दिया है ? यदि हां, तो यह धनराशि उपर्युक्त वर्षों में प्रतिवर्ष मिलवार कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--निर्दिष्ट वर्षों में चीनी मिलों को अधिक गन्ना पेरने पर सेस में कोई छूट नहीं दी गई । केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक गन्ना पेराई पर एक्साइज ड्यूटी में कोई छूट उपरोक्त अवधि में नहीं दी गई किन्तु १९५९-६० में गत दो वर्षों के औसत से अधिक चीनी उत्पादन पर जो मिलावर ड्यूटी में छूट दी गई उसका विवरण †संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है । केन्द्रीय सरकार के प्राइस लिंकिंग फार्मूला में की गई व्यवस्था के अनुसार इसमें किसानों का जो हिस्सा निकलेगा वह उन्हें अतिरिक्त मूल्य के रूप में दिया जायगा । केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में इस फार्मूले को टैरिफ कमीशन के पास जांच के लिये भेजा है और कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किसानों के हिस्से का भुगतान हो सकेगा ।

*१२३--श्री आदिराम सिंघल (जिला आगरा)--[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

इंजीनियरिंग कालेजों में प्रोफेसर आफ ट्रेनिंग ऐण्ड प्लेसमेंट के पद का निर्माण

*१२४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्य मन्त्रणालय (साइंटिफिक ऐण्ड कल्चरल अफेयर्स मिनिस्ट्री) की सलाहकार समिति ने ११ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में किसी ऐसे सुझाव को स्वीकार करके राज्य सरकार से सिफारिश की है कि प्रत्येक इंजीनियरिंग स्कूल में "प्रोफेसर आफ ट्रेनिंग ऐण्ड प्लेसमेंट" के पद का निर्माण किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पद का निर्माण ३० नवम्बर, १९६० तक किन-किन इंजीनियरिंग स्कूलों में कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की क्षेत्रीय समिति ने अपनी १४ दिसम्बर, १९५७ (न कि ११ दिसम्बर, १९५८) की बैठक में डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग स्कूलों के लिये प्रोफेसर आफ ट्रेनिंग ऐण्ड प्लेसमेंट के पद के निर्माण की सिफारिश की थी । इस पद का निर्माण प्रदेश में हरकोर्ट बटलर टैक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में हुआ है ।

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् की उत्तर प्रदेशीय समिति

*१२५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्" की कोई उत्तर प्रदेशीय समिति भी है ? यदि हां, तो इस समिति का निर्माण किस प्रकार होता है और वर्तमान समय में उसके सदस्य और प्राधिकारी कौन-कौन हैं ?

---

*नत्थी छापी नहीं गई

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । इस समिति का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । इसके वर्तमान सदस्यों और प्राधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७३५-७३९ पर)

अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त के विरुद्ध शिकायत

*१२६--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दानपुर के सभापति व सरपंचों का पत्र, प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न पत्र संख्या एल० एक्स० वी० आई / ७ पी० ओ०/८-६०, दिनांक १ जनवरी, १९६० के साथ, मिला था, जिसमें जिला अल्मोड़े में चल रहे बन्दोबस्त की गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--ऐसा एक पत्र जनवरी में नहीं बल्कि मई, १९६० में शासन को प्राप्त हुआ था । उस पर जांच कराई गई पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप कर्मचारियों के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुए । अभिलेखों में कुछ मामूली भूलें रह गई थीं जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*१२७--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या न्याय मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ३४-३५, दिनांक ८-९-६० के संबंध में दिये गये उत्तरों के क्रम में यह आज्ञा जारी करेंगे कि कुमायूं में जिन खेतों में फल के पेड़ हों पर पानी (सिंचाई) न लगता हो तो उन्हें उप्राऊ (अर्सिंचित) दर्ज कर बन्दोबस्त रिकार्ड में सुधार किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--संबंधित बन्दोबस्त के नियमों में संशोधन शासन के विचाराधीन है ।

कलेक्टरियों का पुनस्संगठन

*१२८--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--कलेक्टरियों के पुनः संगठन के संबंध में दिनांक २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३-११४ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना के लागू होने पर कुछ नये पदों का सृजन भी किया गया और कुछ पदों को उसी समय क्रमोन्नत करके उन्हें स्थायी बना दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

चक्की भूसाडोही और देवरिया का सीमा विवाद

*१२९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ और देवरिया जिलों की ओर से पैमाइश एवं अभिलेख क्रियायें समाप्त हो गईं ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१३०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमा संबंधी विवाद का अन्तिम हल सरकार द्वारा क्या निकाला गया है ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१३१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चक्की भूसाडोही, जिला आजमगढ़ के निवासियों के रहने के स्थान को ऊंचा करने की योजन पर देवरिया जिले के किसानों द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--सूचना एकत्र की जा रही है।

मोरारपुर कासिमपुर गांव समाज की सम्पत्ति

*१३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत मुरारपुर-कासिमपुर गांव समाज की सम्पत्ति कासिमपुर गांव की खरी को बिना गांव समाज की राय लिये ही अन्य गांव के उन लोगों को दे दी गई है जो बड़े खेतिहर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव समाज ने २६ सितम्बर, १९६० को सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार करके जिलाधीश, आजमगढ़ के पास पोखरी को वापस करने हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के लिये जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनमें मैंने एक को स्वीकार किया है जो श्री प्रतापसिंह जी का है । वह यह है कि :—

"प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों के विद्यार्थी, जिनकी संख्या लगभग १५०० से अधिक है, एक माह से निम्न मांगों के लिये हड़ताल पर हैं । (१) उनको किसी विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध किया जाय, (२) उन्हें भी पी० एम० एस० का ग्रेड दिया जाय । सरकार से बार-बार प्रार्थना करने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे २८ मार्च से प्रारम्भ परीक्षा में वे विद्यार्थी भाग नहीं लिये, जिसके कारण १५०० भावी नागरिकों का भविष्य खतरे में है और इससे प्रदेश में डाक्टरों की न्यूनता और अधिक बढ़ गई है । १५०० युवकों में दिनों दिन उत्तेजना एवं निराशा बढ़ती जा रही है । इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।"

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इसके विषय में ४, ५ रोज के बाद वक्तव्य दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, मैं इसके लिये अगले भंगवलार का समय रख देता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस रोज मैं बतला दूंगा ।

जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है, उसके संबंध में वक्तव्य देने का कष्ट करें । आपको ज्ञात ही है कि जन संख्या १९६१ की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है । हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना १९५१ की जनगणना के आधार पर, जो अनुमानित है, बनाई गई है । जो सारे देश में और हमारे प्रदेश में जो जनसंख्या बढ़ी है उसका अनिवार्य परिणाम हमारी योजनाओं पर पड़ने वाला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे जो लक्ष्य हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ? क्या कोई परिवर्तन योजना में हमारे प्रदेश में होने वाला है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अगर माननीय मुख्य मंत्री किसी रोज इसके लिये वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । जो प्रश्न माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने उठाया है उसके संबंध में, जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनके अध्ययन से प्रदेशीय सरकार की योजना में कोई बहुत अन्तर आने वाला नहीं है क्योंकि जो अनुमानित आंकड़े हमारी आबादी के सिलसिले में थे, उससे कदाचित एक ही फीसदी आबादी हमारी बढ़ती हुई प्रतीत होती है । लेकिन केन्द्र के लिये २ करोड़ या २। करोड़ की आबादी सारे देश में हो गई है, तो अब उस विषय में विचार होगा । प्लानिंग कमीशन, उत्पादन के विषय में और दूसरे आवश्यक विषयों पर, जो उसने विषय निर्धारित कर रखे हैं, उनमें पुनः विचार करके परिवर्तन करेगा । परिवर्तन करने के बाद उसका उत्तर प्रदेश में असर पड़ सकता है, लेकिन अभी तक वह विषय अधिकृत रूप से हमारे सामने नहीं आया है । इस विषय पर बहुत विचार भी नहीं किया है और न अभी केन्द्र से हमारे पास इस संबंध में कोई हिदायत आई है कि चूंकि आबादी उनके अनुमान से अधिक बढ़ गई है इसलिये वे कोई परिवर्तन उस योजना मे करने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष---अब इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---जो प्रेजेन्ट पापुलेशन १९६१ की है उसके हिसाब से यह थर्ड फाइव इयर प्लान बना है क्या ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कह तो दिया कि इतना एस्टीमेट वे करते थे। एस्टीमेट से १ परसेंट ज्यादा बढ़ी है आबादी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---वैसे कंसालिडेटेड प्लान तो वह हम लोगों को देंगे, लेकिन उसके अलावा हर विभाग अपना-अलग प्लान बनाता है कि उसको क्या क्या काम प्लान पीरियड में करने हैं । तो यदि वह अलग-अलग विभागों का प्लान हम सब सदस्यों को मिल जाता तो हम लोगों को समझने में बहुत सुविधा रहती ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आपका सुझाव सुन लिया गया ।

प्रश्नों के संबंध मे जानकारी की मांग

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, मुझे प्रश्नों के संबंध में इतना निवेदन करना है कि मुझे जवाब नहीं मिला है प्रश्न संख्या ११३ और ११४ के ।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये तो समय निकल गया । आप इस बारे में मुझसे कमरे में आ कर पूछ लें ।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ११---सिंचाई अधिष्ठान और अनुदान संख्या ४६---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ११,५४,१७,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, कहिये तो तीनों अनुदान पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, तीनों आप एक साथ ले लें ।

श्री राममूर्ति---मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११, सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ५,०३,३९,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---आपने ३९ हजार २०० पढ़ा है, यह २९ हजार दो सौ होना चाहिये ।

श्री राममूर्ति---मैं क्षमा चाहता हूं । यह ५,०३,२९,२०० रुपये हैं ।

"मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६, सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत के अंतर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १२,३५,७३,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई विभाग से संबंधित तीन अनुदानों की मांग आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । इसमें आज करीब ४ करोड़ १८ लाख या इससे कुछ ज्यादा एकड़ जमीन के ऊपर खेती हो रही है और सिंचाई विभाग का संबंध ७४ या ७५ फीसदी जनता से है, घनिष्ट संबंध है और जिन लोगों का इससे कम वास्ता है वह बढ़ता चला जा रहा है, ज्यों ज्यों सिंचाई के कार्य बढ़ रहे हैं ।

स्वराज्य होने के बाद हमारे खयालात में काफी क्रान्ति हुई । लोगों की जो दबी हुई तमन्नायें थीं वह उभरीं और प्रकृति के नियम भी कुछ बदले । हमारे प्रदेश के वह हिस्से जहां पहले बड़ी वर्षा हुआ करती थी, वहां के बजाय दूसरे इलाकों में वर्षा ज्यादा होने लगी । पूर्व के जिलों में जहां ८० इंच पानी बरसता था वहां ३५ और ४० इंच बरसने लगा और मुजफ्फरनगर में ४८ घंटे में ४४ इंच पानी बरसा । लखनऊ में ४८ घंटे में १८, २० इंच बरसा यानी ये हालात भी बदलने लगे । इसके साथ ही साथ जिन लोगों को पहले सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं थे, उनकी भी यह ख्वाहिश हुई कि सिंचाई के साधन उनको दिये जायं । इंजीनियर्स का यह खयाल था कि इस प्रदेश के पूर्वी भाग में, चूंकि वहां की जमीन का ढाल बहुत कम है, इसलिये नहरें बनाना मुनासिब न होगा । पानी की सतह ऊंची है, नहरें बनाने से मलेरिया और अन्य बीमारियां फैलेंगी । लेकिन स्वराज्य के बाद पूर्व के जिलों की ख्वाहिश हुई कि वहां भी आबपाशी के काम किये जायं, काम बढ़ाये जायं । पहले जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम के और बीच के हिस्से थे वह और बुन्देलखंड का जो इलाका था उनमें ही सिंचाई के कार्य होते रहे । अब वह ऐक्टिविटीज बढ़ कर पूर्वी जिलों में भी गयीं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी गयीं । इतना ही नहीं हुआ, हमारे इंजीनियरों की तालीम के जो तरीके थे उनमें भी परिवर्तन हुआ, वे तरीके भी बदले । हमारे इस प्रदेश में जो रुड़की यूनिवर्सिटी है वहां केवल बी० एस-सी० इंजीनियरिंग क्लासेज लिये जाते थे । लेकिन वहां पर अब पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी खुल गये । जितने किस्म की साइन्सेज का आज विस्तार हुआ है, कैमिकल, माइनिंग वगैरह, सभी की पढ़ाई के क्लासेज अब वहां पर खुल गये हैं ।

साथ ही साथ प्लान युग भी आ गया । जब से हमको स्वराज्य मिला, हमारी सरकार ने इस बात का खयाल किया कि देश में और प्रदेश में इस तरह की चीजें बनायी जायं जिनसे भविष्य में आने वाली जेनरेशन्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके । इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमारी योजनायें बनीं । यह भी सही बात है कि जिस तरीके से प्लान के द्वारा हमारे यहां तरक्की हुई, सिंचाई के क्षेत्र में भी तरक्की हुई, बाकी और क्षेत्रों में भी तरक्की हुई । प्लानिंग एक कन्टीनुअस प्रोसेस है । अगर हमने पहले १०० रुपये खर्च किये तो बाद में हमने

[श्री राममूर्ति]

यह महसूस किया कि उसकी जगह २०० रुपये और ५०० रुपये खर्च करें और उस खर्च से लोगों के आराम को बढ़ायें । यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हमारे मुल्क में पिछले १०० साल का जो वक्त गुजरा उसमें न केवल हमारी उन्नति की उपेक्षा की गई, बल्कि रोका भी गया । इसलिये आज हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा रिसोर्सेज जुटाने की जरूरत है, ताकि हम अपनी गिरी हुई हालत को दुरुस्त कर सकें ।

यह भी देखने में आया है कि पिछले १०-१२ सालों के अन्दर हमारी राष्ट्रीय आय भी करीब ४० प्रतिशत बढ़ी है । (Industrial) आउटपुट भी बढ़ा है । किन्तु खेती की पैदावार में केवल ३३ फीसदी की ही तरक्की हुई । यद्यपि इसका पूरा संबंध सिंचाई से नहीं है, उसके लिये खाद, अच्छे बीज आदि की भी जरूरत होती है, किन्तु सिंचाई भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है । सिंचाई के साधन भी बढ़ाये गये हैं । आज हमारे सामने सवाल यह है कि वह कौन से नये ढंग निकालें, जिससे हमारी खेती की पैदावार बढ़े ।

अध्यक्ष महोदय, कल एक पुस्तिका सिंचाई विभाग की तरफ से हर साल की तरह बांटी गई है । मुझे इस बात का अफसोस है कि हम उस पुस्तिका को, बावजूद सदस्यों के कहने पर और हमारी कोशिशों के, दो तीन दिन और पहले नहीं पेश कर सके । इसका कारण यह था कि प्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम था और वहां से वह पुस्तक जल्दी छप कर नहीं आ सकी । मैं इसकी माफी चाहता हूं ।

उस पुस्तिका में एक खाका दिया हुआ है जिसमें सिंचाई विभाग ने जो कार्य किया है, उसका विवरण है । जो भी कार्य इस विभाग ने किये हैं, उनका उसमें जिक्र किया गया है । चूंकि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि एक मोटे तरीके से, जो हमने पिछले सालों में काम किया है और जो अगले सालों में करने का विचार है, उसका भी खाका दे दें । अध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वे सभी ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । उस हैसियत से वह सिंचाई के काम को जानते भी हैं । पिछले १०–१२ साल के अन्दर जो काम हुआ है, बल्कि कहना चाहिये कि नुमायां काम हुआ है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

अक्सर कुछ माननीय सदस्य इन पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते हैं । मैं उनके दिमागों में तरोताजगी बनी रहे इसलिये कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं ।

पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई, उस वक्त हमारे पास इस प्रदेश में करीब २८,२७३ मील लम्बी इर्रीगेशन चैनल्स थीं और कुछ ड्रेनेज की चैनल्स थीं और २,२९९ के करीब ट्यूबवेल्स थे । हमने ३५ करोड़ रुपया पहली पंचवर्षीय योजना में खर्च किया था, उसके फलस्वरूप आगरा कैनाल, गंगा कैनाल, ईस्टर्न जमुना कैनाल, इनका रिमाडेलिंग, चन्द्रप्रभा और नौगढ़ डैम, दोहरी घाट और टांडा पम्पु कैनाल, नारायणी और बान गंगा कैनाल, सारदा सागर और उससे करीब २,००० मील लम्बी नहरें, ट्रांस कल्याणी और प्रतापगढ़ ब्रांच, माता टीला, ललितपुर, सपरार, कवरई रेघवां और सिसरी डैम, साथ में बेलन और टोंस कैनाल और बुन्देलखंड में नगवां डैम की योजनायें बनाई ।

पहाड़ी क्षेत्र में छोटी-छोटी योजनायें बनाकर चैनल्स के जरिये से पानी का प्रबन्ध किया गया । यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जब समाप्त हुई तब हमारे पास बजाय २८,२७३ माइल चैनल के ३४,७७० मील लम्बी नहरें बनीं, या उनसे ड्रेनेज सम्बन्धी नालियां बनीं, और ४,५१५ ट्यूबवेल बने, जोकि पहले करीब २,३०० थे । सिंचाई का पोटेंश्यल इर्रीगेटेड एरिया ७६,२९,००० से ९६,२९,००० हुआ । फिर दूसरा प्लान हुआ । उसमें भी ४६ करोड़ २३ लाख रुपया खर्च किया गया । जो मेजर और मीडियम स्कीम थीं, उनमें २४ करोड़ ७८ लाख रुपया खर्च किया, एक करोड़ कम खर्च कर पाये, क्योंकि फारेन एक्सचेंज की दिक्कतें थीं और कुछ कोयला, लोहा, सीमेंट, गैलवेनाइज्ड मैटिल कम पड़ गया । लेकिन माइनर

इरिगेशन कीम्स में ९ करोड़ के बजाय १३ करोड़, ३० लाख रुपया खर्च हुआ । बाढ़ सम्बन्धी और ड्रेनेज सम्बन्धी स्कीमों पर करीब ८ करोड़, १५ लाख रुपया खर्च किया । यह सब ४६ करोड़, २३ लाख रुपये के करीब होता है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना अभी समाप्त हो रही है, उसका मैं अभी जिक्र नहीं करता, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जरूर करता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---एक सवाल करना चाहता हूं कि जो योजनायें आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थीं, वह सब पूरी हो गईं या कोई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट रह भी गये ?

श्री राममूर्ति---जो माननीय प्रताप सिंह जी ने सवाल किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो कार्य थे, जो बनने वाले थे, उनमें कुछ स्पिल वर्क होकर आगे को हुये हैं, जो काम कम्पलीट नहीं हो सके । कुछ तो हो रहे हैं, १९६०–६१ में हो गये और बाकी जो रह गये वह १९६१–६२ में लिये जा रहे हैं । २४ करोड़ रुपये का काम है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्पिल होकर तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया है । यह मेजर और मीडियम स्कीम्स के बारे में बताया और माइनर स्कीम्स ८ करोड़ १९ लाख रुपये की हैं । फ्लड की स्कीम १ करोड़ रुपये की है जो स्पिल होकर थर्ड प्लान में आयेगी ।

अब मैं कुछ थर्ड प्लान की चर्चा कर देना चाहता हूं । इस प्लान में बड़ी राम गंगा रिजर्वायर का निर्माण ६८ करोड़ की लागत से किया जायगा । इससे १७ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी होगी तथा ७३ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी ।

नरौरा वीअर का पुनरुद्धार ४ करोड़ की लागत से किया जायगा । शारदा सागर का दूसरा स्टेज करीब-करीब समाप्त होने को है । थोड़ा सा काम सागर पर बाकी रह गया और थोड़ी सी चैनल्स बनना बाकी हैं । नानकसागर का काम करीब-करीब समाप्त है ।

पूर्वी क्षेत्र में गंडक और सरजू की दो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जो ११–११ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हैं । गंडक योजना से पूलाब ९२ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और सरजू योजना से ४ लाख १८ हजार एकड़ जमीन को पानी मिलेगा ।

बुन्देलखंड में माताटीला रिजर्वायर का द्वितीय चरण दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ बाकी रह गया है जो तीसरी योजना में पूरा होगा । इसके अतिरिक्त ११ छोटे-छोटे रिजर्वायर और बांध बनाये जा रहे हैं ।

पहाड़ी इलाके में भी जो काम दूसरी पंचवर्षीय योजना के रह गये हैं, वे और कुछ अगले काम ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज के द्वारा तथा कुछ बराहरास्त सिंचाई महकमे के द्वारा कराये जायेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५०० रु० फी एकड़ के बजाय १००० रु० फी एकड़ की जो उनकी मांग है, क्या सरकार उसको स्वीकार करना चाहती है ?

श्री राममूर्ति---जब आप अपना भाषण दें तो विस्तारपूर्वक अपनी कहें, तब मैं उसका जवाब दे दूंगा । अभी मैं उसको समझ नहीं पाया ।

तीसरी योजना में कुल १३,००० ट्यूबवेल्स बनाने वाले थे चूंकि तजुरबे से यह मालूम हुआ है कि ट्यूबवेल्स एकोनामिकल नहीं हैं और उनकी वजह से काफी नुकसान होता है, इसलिये ऐसा खयाल है कि करीब ७०० ट्यूबवेल्स बनेंगे, बाकी पैसा दूसरी माइनर स्कीमों में खर्च करेंगे । इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे भी अपने इलाकों में जहां पानी

[श्री राममूर्ति]

की सतह ऊंची है, वहां इस बात की कोशिश करें कि लोग मेसनरी वेल्स बनायें और रहट आदि लगा कर काम चलायें । इससे वे किसी के आश्रित भी नहीं रहेंगे, साथ ही कुछ अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और एकोनामिकली भी वे फायदे में रहेंगे ।

पश्चिमी जिलों में राम गंगा रिजर्वायर बन रहा है । उससे गंगा की कैनाल को भी पानी मिलेगा तथा ऊपरी और नीचे के हिस्सों को भी पानी मिलेगा ।

बिजली का काम भी इसी महकमें के द्वारा कराया जाता है । हायडल प्रोजैक्टस् और बड़े कारखाने हमारे महकमे द्वारा बनाये जाते हैं । रिहण्ड डैम का जो प्रोजैक्ट था उस पर काम करीब-करीब समाप्त है । ओवरा, सिंगोली, हरदुआगंज और राम गंगा पर पावर हाउसेज बनाये जावेंगे ।

जमुना स्कीम के दो चरण हैं । पहले चरण पर काम आरंभ कर दिया गया है । हम आशा करते हैं कि हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है, वह ठीक समय पर पूरा हो जायगा । अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त लग जायगा । माननीय सदस्य जो इस अनुदान से सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त करेंगे उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और मेरा विभाग उन विचारों से पूरा-पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :---

सम्पूर्ण अनुदान संख्या १० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

अनुरक्षण व भवन निर्माण आदि पर होने वाले अपव्यय व भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, पर चर्चा करना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :---

सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

सिंचाई शोध आदि के अधिकारियों द्वारा कार्यों के सम्पादन में आलस्य एवं अन्य अपव्ययों के उद्घाटन आदि पर चर्चा करना ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :---

सम्पूर्ण अनुदान संख्य ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

अनुत्पादक सिंचाई कार्यों पर अधिक और उत्पादक कार्यों का सम्पादन न करने पर चर्चा करना ।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने, नहर विभाग का जो कार्यक्रम, मुनाफा व संचालन के सम्बन्ध में है, उस पर कोई विस्तृत प्रकाश नहीं डाला और स्पष्ट है कि यह गुरुतर कार्य भी मुझे ही करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि जब तक हम वस्तुस्थिति को न पेश करें, इन अनुदानों के सम्बन्ध में अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकेंगे ।

श्रीमन्, मैं पहले आपका ध्यान और आपके द्वारा आदरणीय सदन का ध्यान, सरकार की जो योजनायें इस सम्बन्ध में हैं और प्रदेश को नहर विभाग से जो लाभ हुआ है, इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय ६१.६२ हमारे यहां नहर विभाग की कुल अनुमानित रवेन्यू नहरों और कुओं से ९,५६,६५,००० होनी चाहिये । अब श्रीमन्, जरा देखा जाय कि सन् ४६ में जब कि अंग्रेज यहां से चले गये तब ग्रास रेवेन्यू कितना था । सन् ४५--४६ में ग्रास रेवेन्यू ४,४८,४४,१३१ रु० था, तो इस दृष्टि से ५ करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। अब देखा जाय कि प्रदेश के लोगों के धन के कैसे प्रयोग की कीमत पर वृद्धि हुई । एक तरफ आप उत्पादक और अनुत्पादक नहरों का अलग-अलग खर्चा देखें तो मालूम होगा कि ४५--४६ तक उत्पादक नहरों में १७,९९,४९,३३३ रु० लगा हुआ था और अनुत्पादक नहरों में १४,४६,१६,०३३ रु० लगा हुआ था यानी कुल ३२,४५,६५,३६६ रु० हुआ ।

अब इस समय जो रुपया लगा हुआ है उसे देखें । उत्पादक व अनुत्पादक नहरों की अलग-अलग संख्या तो प्राप्त नहीं है, सब एक साथ है और वह है ९६,७५,४४,००० रु० नहरों पर तथा ट्यूबवेल्स पर ३१,१८,५८,००० रु० लगा हुआ है, यह होता है १,२७,९४,०२,००० रु० कुल नहरों व कुओं पर जब कि ३२ करोड़ रुपया लगा हुआ था तो यह देखा जाय कि उससे सिंचाई कितनी होती थी, यह ४५--४६ की संख्या है । उसके बाद कांग्रेस सरकार ने अपने हाथ में शासन सूत्र लिया उस वक्त कुल सिंचाई ६० लाख एकड़ के करीब थी और अब वह सन् १९६० में ९० लाख एकड़ है । श्रीमन्, ध्यान दिया जाय कि ३२ करोड़ रुपया में सूबे की ६० लाख एकड़ जमीन सिंचती है और अब ९० लाख एकड़ सिंचती है १२७ करोड़ रुपये में । अब अगर ६० लाख अंग्रेजी काल में सिंचित भूमि को निकाल दें तो ९५ करोड़ रुपये में ३० लाख एकड़ जमीन सिंची । यह लगभग सवा तीन सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई का खर्च आता है । इस तरह से कहां जायगा प्रदेश ? कहां इस हिसाब से सींचने के लिये इतने साधन हमारे पास हैं, यह मंत्री जी बतायें ? आश्चर्य यह है कि ब्रिटिश काल के १४ करोड़ की पूंजी लागत से यह अनुत्पादक नहरें बढ़ी और अब वह अस्सी करोड़ से भी ज्यादा की हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि इस सरकार के यहां जितनी योजनायें बनीं उन सब में अनुत्पादक नहरें ही बनीं और ऐसी हालत में खर्च बढ़ाकर सरकार ने सूबे का दिवाला पीटदिया । आज सिंचाई के कार्य में कोई दक्षता दिखाई नहीं देती । क्या इस विभाग के पास कोई ऐसा तरीका नहीं रहा कि जिसके अनुसार वह उत्पादक नहरें बनाते और उनसे लाभ उठाया जाता ?

सिंचाईरेट के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज हमारे यहां तिगुना रेट है और वह भी प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार का है जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी है। लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी पहले नहीं थी जितनी कि अब बढ़ गई है । क्योंकि सरकार ने अब तक ३ आना जो रिबेट दे रखा था उस को भी वापस कर के ९ करोड़ ५६ लाख अपनी आय कर ली है । लेकिन इतने पर भी आप देखें कि पहले सरकार को कितना लाभ होता था और अब क्या हालत है। सन् ४५--४६ में सरकार को जो कुल लाभ हुआ नहरों से और ट्यूबवेल्स से, सब मिलाकर वह था ६०,४८,५७६ रुपया। यह नेट प्राफिट यानी शुद्ध लाभ हुआ था। अब आप मंत्री जी के काल में देखें कि वह क्या है । अब इस शुद्ध लाभ के २ भाग किये गये हैं, नलकूपों और नहरों का, अलग-अलग कर दिया गया है । परन्तु वह अब लाभ न रहकर हानि हो गया है । अब आप देखें १९६१--६२ में ट्यूबवलों से २ करोड़ ६० लाख ६२ हजार का अनुमानित घाटा है और यह तिगुना आबपाशी के बावजूद इतना है । अब आप नहरों पर देखें कि ८१ लाख पांच हजार का घाटा होगा । मुझे ताज्जुब हुआ कि यह करीब साढ़े तीन करोड़ रुपया का घाटा तो ट्यूबवेलों व नहरों पर हो रहा है । जब कि सूबे का किसान तिगुनी आबपाशी दे रहा है और फिर भी उसको सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । मैंने इसके बारे में बार-बार कहा और शायद मंत्री जी की नाराजगी भी हो लेकिन वह अपनी सन्

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

५७ की जो प्रशासनिक रपट है उसको देखें तो उसमें लिखा है कि ७४,१३८ एकड़ जमीन सोख्ता रही जब कि वह सन् ४५–४६ में साढ़े छब्बीस हजार एकड़ से ज्यादा नहीं थी । आप देखें कि कितना क्षेत्र सोख्ते में चला जा रहा है । यह कौन-सी दक्षता का सचक है । सरकार की नहरें बिना भली भांति सोचे जल्दी-जल्दी में बनती हैं जिससे जो काम होता है वह मैच्योर नहीं होता । अगर ४ योजनायें हैं और उनमें हम देखें कि सब से कम लागत किसमें है, तो ठीक पता चले । इसके लिये मंत्री जी तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्लान का अवलोकन करें । मझे इसकी हिन्दी की कापी नहीं मिली, मैंने विधान सभा सचिव को लिखा भी था, थोड़ा सा समय व्यर्थ अनुवाद में लगेगा क्योंकि यह अंग्रेजी में है इसकी ओर जरा ध्यान दें । यह लिखा तो जल विद्युत् के संबंध में, लेकिन जल विद्युत चूंकि सिंचाई से ताल्लुक रखती है इसलिये इसे देख लें । पृष्ठ १९१ है, इसमें लिखा है :—

"By the end of the Third Plan only 11 per cent of this will have been exploited. As hydro-electric projects require extensive investigations, there has been a paucity of fully investigated projects which had hampered the more rapid development of this source of cheap power. In several States separate investigating units have already been set up."

तो यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारे पास पूर्ण रूप से जांचे गये प्रोजेक्टों की इतनी पासिटी यानी कमी है ।

मैंने बार बार कहा कि सरकार जो अपने शोध को विभाग डिवीजन देहरादून में कायम किये हुये है उसका कोई इस्तेमाल करे । लेकिन मालूम होता है कि या तो वह विभाग बिलकुल आलसी है या उस विभाग के मंत्री ही अकर्मण्य हैं क्योंकि अगर शोध होती तो ऐसे प्रोजेक्ट आते जिनमें कैसा कम लगता और मुनाफा ज्यादा होता । आज रिहन्द और माताटीला को लें । कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ उसका निरूपण करे तो इसी नतीजें पर पहुंचेगा कि उसमें जितना पैसा लगा, उसका अधिकांश राष्ट्र का अपव्यय है और जो लाभ होना चाहिये उससे बहुत कम लाभ है । यह भी स्पष्ट है कि जो निरूपित लाभ है उससे भी कम लाभ मिलेगा । माताटीला के बारे में मैं बार-बार कह चुका हूं । भ्रष्टाचार की तमाम बातें पुरानी हो गई हैं । सरकार कोई जांच नहीं कराने जा रही है । एक करोड़ रुपये के गबन की जो बात मैंने कही थी, वह अपनी जगह पर है फिर भी शायद माननीय मंत्री जी जांच कराने के लिये और कुछ प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हैं, चाहे साधन न हों, चाहे मन न हो यह वह जानें । माताटीला का ४ करोड़ का बांध जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में लिखा था आज ११ करोड़ से अधिक का हो गया है । मैं कहता हूं कि अभी ७ करोड़ लगने के बाद भी उससे बिजली वर्ष भर पूरी मात्रा में नहीं मिलेगी । किसने ऐसी गलत योजना बनाकर हमारे प्रदेश की आशाओं को धूल में मिला दिया, इसे देखना होगा ।

रिहन्द के बारे में कितना रुपया खर्च हुआ ? कितनी जमीन प्रदेश में सिंचेगी ? रुपया प्रदेश का लग रहा है, और पानी बिहार में जायेगा । राष्ट्र की एकता की दृष्टि से तो ठीक है । लेकिन ४५ करोड़ रुपया इस प्रदेश का व्यय होने के बाद इस प्रदेश में सिंचाई होगी, बिजली कितनी बन सकेगी, इसपर भी ध्यान देना चाहिये । आखिर अक्ल तब आई जब नुकसान हो चुका । अब कहते हैं कि हमारे पास भली-भांति जांचे हुये प्रोजेक्टों की कमी, यानी पासिटी है, हम अच्छे बांधों का आयोजन नहीं कर सकें ।

तीन चार दिन हुये मैंने मन्त्री जी के पास एक निवेदन किया था और इसलिये किया था कि आम तौर से उधर के सदस्य यह कहा करते हैं कि विरोधी पक्ष की जो आलोचना होती है वह विध्वंसात्मक होती है, रचनात्मक नहीं होती लेकिन वह अपने गरेबां में हाथ डाल कर अपने अवगुणों को नहीं देखते । हम लोगों के साधनों की कमी को देखें । मैंने मन्त्री जी से फोन पर बात की कि जो हिमालय पर्वत है और उसमें जो नयार बांध है उसकी

क्या सम्भावनायें है। और उसके बाद देवप्रयाग है, जहां अलकनन्दा और भागीरथी ऐसी बड़ी नदियां मिलती हैं वहां पर कितना पानी का डिस्जार्च है और वहां अलकनन्दा व भागीरथी का बैड लेविल क्या है तथा कमसे कम और अधिक से अधिक पानी का डिस्चार्ज वर्ष में क्या है? नदी की बैड की ऊंचाई समुद्र धरातल से क्या है तथा ७५ मील ऊपर चल कर इन तमाम बातों की सूचना के लिये मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नक्शे जो हैं वह बहुत सीक्रेट हैं, वह नहीं दिये जा सकते। मैंने कहा कि नहीं दिये जा सकते हैं तो आप देख कर बता दें। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बता देंगे। मैंने एक चिट्ठी भी भेजी कि हम यह-यह सूचना चाहते हैं। आज तक उत्तर नहीं आया है कि क्या सम्भावनायें हो सकती हैं।अगर यह उत्तर मिल जाता तो हम सदन के सामने बहुत प्रमाणिक रूप से अपनी बात कह सकते। अगर सरकार पंगु हो जाय तो भी विरोधी दल सजग और सचेत रहेगा, वह जरूर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है जिससे कि तमाम देश लहलहा जाय और हमारे प्रदेश की जो शक्ति रुपया खर्च करने की है, टैक्स देने की है, उसपर ज्यादा बोझ न पड़े। इस दृष्टि से देखा जाय तो हिमालय और दूसरी जगहों की सम्भावनाओं में एक बड़ा भारी अन्तर है क्योंकि आमतौर से इन्जीनियरों का एक निर्णय यह है कि केवल सिंचाई के लिये ही बांध बांध कर बहुत सी योजनाओं में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर दूसरी तरफ बिजली से संयुक्त कर दें, यानी सिंचाई के साथ-साथ बिजली उत्पादन की दृष्टि से भी देखा जाय, तो लाभ हो सकता है। मैंने यह ज्ञात किया और मेरी जो सूचना है, यद्यपि १ इंच बराबर १ मील वाले नक्शे हमको उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन जो मैंने बहुत ही साधारण-सा अनुमान लगाया है वह यह है कि देव प्रयाग पर अगर ७०० फीट ऊंचा बांध बांध दिया जाय तो १५,००० क्यूसेक्स का डिस्चार्ज मिल सकता है। अलकनन्दा और भागीरथी पर ७५ मील आगे ४,००० फीट की ऊंचाई पर बांध बांधा जाय छोटा-सा, १०० फीट से ज्यादा ऊंचा न हो, तो १४ लाख किलोवाट बिजली तीनों बांधों से मिल सकती है और १५,००० क्यूसेक्स पानी मिलेगा जहां आजकल मुश्किल से ४,००० क्यूसेक्स पानी अपर गंगा को और २,००० मुश्किल से नरौरा को मिलता है।

आज वहां प्रदेश की आंखें लगी हुई हैं। मैं तो उस नहर के किनारे रहने वाला हूं जो सबसे कम पानी देती है, लोअर गंगा नहर, उसका कमान्ड एरिया ५० लाख एकड़ है जबकि सिंचाई केवल १० लाख एकड़ की ही होती है। यद्यपि १९५७-५८ की रपट में इसमें १३ लाख एकड़ लिखा हुआ है, जिसमें ८ लाख एकड़ रबी और ५ लाख एकड़ खरीफ का सींचा जाता है, लेकिन वास्तविक क्षेत्र जिसमें पानी जाता है वह तो १० लाख एकड़ ही है, तीन लाख एकड़ के लगभग दो बार सींचा जाता है। कुल इतनी आबपाशी होती है। तो ऐसी नहरें जहां विद्यमान हों, यानी एक चौथाई ही भूमि मुश्किल से पानी पाती हो, उस जगह की समस्यों को न सुलझाना मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे मुनासिब है।

कुछ इलाकों को सींचने का मैंने सुझाव दिया। एक इलाका हमारी पुखरायां तहसील में है जो सुनाबनाला व यमुना के बीच स्थित है और बराबर अभाव ग्रस्त रहता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है, ट्यूबवैल वहां लग नहीं सकते क्योंकि ८०, ९० फीट पर पानी मिलता है। वहां का क्या उपाय है? मन्त्री जी को लिखा, नाप तौल हो गई, हिसाब बांध लिया, लेकिन मन्त्री जी कहते हैं कि तब पानी देंगे जब राम गंगा का बांध बन जायगा। मैंने कहा कि ऐसी नहर जो यदि पलेवा न कर सकें तो देश की सुरक्षा के लिये ही तालाबों को पानी गर्मी में दे दें, क्योंकि वहां जब आग लगती है तो पानी के अभाव से लाखों का नुकसान होता है जबकि नहर के बनने में ६ लाख रुपया ही लगने को है। अगर उस नहर को तब बनायेंगे जब राम गंगा का बांध बन जायगा तो तब तक जो इधर आग लगने से नुकसान होगा वह तो काफी हो जायगा। वास्तव में जहां साधनों का सही तरीके से जनहित में प्रयोग हो, वही योजना है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

यहां तो प्रश्न यह है कि मन्त्री जी के दिमाग में जो बात आई उसको कह दिया और उनके इन्जीनियरों ने चला दी। यों आज प्रदेश के अधिकांश इन्जीनियर इतने सजग नहीं हैं। यद्यपि कुछ अच्छे ईमानदार भी हैं, और मुझसे कहते हैं कि हम तो इसलिये नहीं कर पाते हैं कि अगर कोई ऐसी अच्छी योजना बना भी दें और किसी प्रकार से कोई गड़बड़ हो जाय तो मुश्किल उनकी आ जायगी।

राम गंगा योजना की बात आई। मैंने कहा कि वह बहुत बड़ी योजना है। सदन में बताया गया कि इससे ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। और अगर यही रकबा लोअर गंगा में चला जाय तो ५० लाख एकड़ जहां कमान्ड एरिया है और १० लाख एकड़ की ही सिंचाई होती है वहां १६ लाख एकड़ की आबपाशी होने लगेगी। सदन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि ४० करोड़ का बांध बनेगा। मैं कहना चाहता हूं, सरकार के बारे में मेरा अनुभव है कि बराबर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार को धोखे में रखकर अपनी योजना बनायेंगे और फिर वह योजना सुरसा के बदन की तरह बढ़ती चली जायगी और उसे पूरा करने के लिये नये टैक्स लगायेंगे। यह बात अच्छी नहीं है।

मैं फिर कहता हूं कि राम गंगा योजना किसी प्रकार ७५ करोड़ से कम में पूरी नहीं होगी। ४० करोड़ को पास कर लें उसके बाद प्रदेश के जितने साधन हैं उनके लग जाने के बाद बांध बंधेगा, वह मन्त्री जी कहेंगे कि अब नये बांध के लिये हमारे पास साधन नहीं हैं और जो देव प्रयाग या नयार डैम की योजना है वह साधन न रहने से खत्म हो जायगी। लिहाजा अगर ७५ करोड़ की योजना है तो ७५ करोड़ की कह कर चलाई जाय ताकि हम साधनों पर दृष्टि रखें और उनको जुटा सकें। मुझे खेद है कि सरकार की अपनी गलत नीति के कारण, अनुत्पादक नहरों तथा बिना सोचे समझे बांध बनाने के कारण नुकसान हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिये कि सबसे अधिक सस्ती और लाभप्रद योजनायें कौन सी हैं? देव प्रयाग को आप लें? उसमें ७५ हजार क्यूसेक पानी मिल सकता है और १४ लाख किलोवाट बिजली और कास्ट उस पर ४५ करोड़ के करीब आयेगी। यह कास्ट उतनी ही है जितनी कि रिहन्द की है, जिससे ५ हजार क्यूसेक पानी और १ लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी। तो सरकार को देखना यह चाहिये था कि कौन सी योजना उसे लेनी चाहिये। देव प्रयाग वाली या रिहन्द की या रामगंगा की। लेकिन होता यह है कि वे योजनायें ली जाती हैं जो छोटी होती हैं और जिन पर ज्यादा रुपया खर्च होता है। इसमें इन्जीनियर्स का फायदा ज्यादा होता है। माताटीला पर ही १ करोड़ से अधिक रुपये के गबन की चर्चा चल रही है। छोटे बांधों पर व्यय ज्यादा होता है और पैसे के अपव्यय का अन्दाजा नहीं लग पाता है। बड़ी योजनायें लाभप्रद होती हैं और उसमें ज्यादा पैसा खाने की गुन्जाइश नहीं होती।

इसका खासतौर से एक कारण यह भी है कि इन्जीनियर्स महोदय का सेवाकाल बढ़ा दिया जाता है। इससे वह सही बात कह नहीं पाते। मैं किसी की योग्यता या ईमानदारी पर शक नहीं करता, लेकिन जब अनावश्यक रूप से सेवायें बढ़ा दी जाती हैं तो कठिनाई हो जाती है। उनको मन्त्री की हां में हां मिलानी होती है, क्योंकि उनकी इच्छा पर उनकी सेवायें निर्भर करती हैं। १९५६ में जो सिंचाई मन्त्री थे उन्होंने वरुणा नदी पर रेगुलेटर लगाने का आदेश दिया गंगा की बाढ़ रोकने के लिये और यह भी आदेश दिया कि फ्लड रिलीफ फंड से इस योजना के लिये रुपया दे दिया जाय। उसमें ९ लाख रुपया खर्च कर दिया गया। यद्यपि फ्लड रुकी नहीं, क्योंकि वरुणा का लेविल गंगा से १९ फिट नीचे है और स्वीकार इसलिये यह स्कीम कर ली गई कि चीफ इन्जीनियर महोदय कैसे मन्त्री महोदय की इच्छा पूरी न करते, उन्होंने तो उनका सेवाकाल बढ़ा दिया था। इन सब फिजूलखर्चियों और अदूरदर्शिता के कारण घाटा बढ़ता

जा रहा है और उसे पूरा करने के लिये ही भविष्य में वाटर लेवी पड़ने वाली है। ड्राफ्ट-थर्ड प्लान के पृष्ठ १८२ में लिखा हुआ है--

"Further, in States where water charges are optional, there should be a compulsory water cess leviable on the entire area for which irrigation facilities are provided irrespective of whether water is taken by cultivators or not."

इससे स्पष्ट है कि प्रति एकड़ के हिसाब से वाटर सेस लगेगा जो सम्भवतः ५ रु० एकड़ से कम न होगा। लोअर गंगा नहर को लें; ५० लाख एकड़ जमीन सींचने को है और १० लाख एकड़ जमीन सींची जाती है, यानी १/५ हिस्से को पानी मिलता है, लेकिन वाटर सेस देना पड़ेगा कुल जमीन पर। तो माननीय मन्त्री जी इसकी सफाई करें कि भविष्य में इस प्रकार का टैक्स आने वाला है या नहीं जो सारी कमाण्ड की जमीन पर बराबर लगेगा इस घाटे को पूरा करने के लिये।

इसके अतिरिक्त अनुरक्षण तथा अनुसन्धान पर भी बड़ा अपव्यय हो रहा है। हरिद्वार में ५ लाख रुपये से तीन पुल बनाये जा रहे हैं यात्रियों के आने-जाने की सुविधा के लिये यद्यपि एक पुल पहले से ही है। लेकिन बोहला पावर हाउस से ऊपर पूठ तथा भला सोना के बीच में डूंगर गांव के सामने जो पुल बनना चाहिये, जिससे किसान अपनी भूमि को जोत बो सकें, उसको नहीं बनायेंगे। इसी प्रकार लोअर गंगा पर १५, १६ मील आगे सांकर गांव के सामने आदमियों को निकालने के लिये नाव रहती है, वहां पुल बनना चाहिये। लेकिन वहां पुल नहीं बनाये जाते जहां आवश्यकता होती है और जहां आवश्यकता नहीं होती वहां बनाये जा रहे हैं। जहां किसानों का लाभ होता है वहां पर खर्च नहीं किया जाता। विभाग के घाटे का विचित्र रहस्य है १८ हजार रुपये में एक ट्यूबवेल बनता है और ८० हजार दिखाया जाता है। बाकी ६२ हजार रुपया काहे पर खर्च होता है? यह खर्च होता है सड़क बनाने में, इंस्पेक्शन हाउस बनाने में और इन्जीनियर्स के दौरे में।

सरकार वाटर लेवी न लगाये अनुत्पादक योजनायें न रख कर ऐसी योजनायें रखे जिन से प्रदेश का लाभ हो सके। जो पुस्तिका में योजना दी गई है। उससे प्रदेश का लाभ होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, उसका मैं बड़ा आभारी हूं कि पिछले १०-१२ वर्षों में उसने इस प्रदेश में सिंचाई के लिये काफी काम किया है। मैं अपने बुन्देलखन्ड की ही बात कहूं। अंग्रेजी सलतनत जहां अपने समय में केवल दो, तीन ही बांध बना सकी थी वहां पिछले १०-१२ वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च करके हमारी सरकार ने अनेकों बांध बनवाये हैं और सैकड़ों मील नहरों का जाल बिछा दिया है। जहांतक माताटीला बांध का सम्बन्ध है, यह प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना है, करोड़ों रुपये उसपर खर्च किये गये हैं। यह सम्भव है कि उसमें कुछ अपव्यय भी हुआ, हो लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे का सारा रुपया वहां बेकार खर्च कर दिया गया हो। जो सरकार की अच्छाइयां हैं उनकी ओर हमें बिलकुल आंख नहीं मींच लेनी चाहिये।

मैंने अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य का भाषण सुना। उनकी समझ में सारे प्रदेश में करोड़ों रुपये जो सिंचाई पर खर्च हुये हैं, उससे कोई इस प्रदेश मे लाभ नहीं हो रहा है-ऐसा उनके भाषण से मालूम हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में जो सिंचाई के कार्य हुये हैं उसी का परिणाम है कि जब प्रदेश को गल्ले की आवश्यकता पड़ी तो हमारे बुन्देलखन्ड ने सबसे अधिक गल्ला देकर उस कमी को पूरा किया।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

मैं एक निवेदन माननीय सिंचाई मन्त्री से माताटीला बांध के बारे में करना चाहता हूं। वहां और झांसी जिले में भी पिछले तीन वर्षों से सिंचाई का काम प्रायः ठप्प पड़ा हुआ है।

(इस समय १२ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

जहां इतना बड़ा विशाल सागर बना हुआ है उस क्षेत्र की क्या दशा है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जिस स्थान पर माताटीला बांध बनाया जा रहा है उससे न केवल उत्तर प्रदेश के बुन्देलखन्ड के झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों की ही सिंचाई होगी बल्कि मध्य-प्रदेश की जमीन भी उससे सींची जायगी और लगभग एक करोड़ रुपया भांडेर कैनाल पर भी सरकार खर्च करने जा रही है क्योंकि वहां की दशा बहुत खराब है। वहां छोटी-छोटी योजनाओं के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कि वह क्षेत्र भी ऐसी सिंचाई की सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें। इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि सरकार की कुछ सीमायें निर्धारित हैं कि इतने एकड़ तक जहां खर्च होगा हम वहां पर बांध बनायेंगे, तालाब बनायेंगे, सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। इस व्यापारिक नीति को, व्यापारियों की तरह लाभ और हानि की बात को अगर सरकार सोचेगी तो उन पिछड़े हुये इलाकों के साथ इन्साफ नहीं होगा जहां पर ऊंची-ऊंची जमीनें हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। वहां पर छोटी-छोटी योजनाओं से लाभ हो सकता है। वहां पर दो सौ, तीन सौ, पांच सौ रुपये एकड़ का टार्गेट निश्चित करने से काम नहीं चलेगा। वहां पर भी इन्सान रहते हैं। वहां के किसानों को भी आज के इस युग में लाभ हो, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार को छोटी-छोटी योजनाओं को कामयाब बनाना चाहिये और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन कर दूं कि तालबेहट के पास सन् १९५८ में एक सर्वे हुआ। वहां पर बभौरी के पास एक खजुआ नाला है। सन् १९५९ में मुझे जवाब मिला कि उसका सर्वे हो रहा है, लेकिन आज तक पता नहीं कि उसका क्या हुआ।

एक और निवेदन कर दूं उन अधिकारियों के बारे में कि जो इस सदन में भी न जाने किस तरह की सूचनायें भेजते हैं। मैंने ही १२-४-६० को प्रश्न किया था कि क्या तालबेहट के पास बरुआ नाला पर बांध बनाने की योजना सरकार की है और क्या कोई सर्वे कराया है? उन्होंने कहा कि कोई सर्वे नहीं कराया। मैंने पूछा कि क्या सरकार वहां सर्वे कराने की कृपा करेगी? तो इसका मुझे स्वीकृति में जवाब मिला था और अब उत्तर मिला है जो १५-९-६० को आश्वासन समिति के पास भेजा गया है। मेरा प्रश्न था "ताल बेहट जिला झांसी में बरुआ नाले पर बांध बांधने के लिये सर्वे"। उत्तर मिला है कि "बरुआ नाले पर बांध बांधने के लिये सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह बांध तृतीय पंचवर्षीय योजना के अस्थायी प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है तथा इसकी अनुमानित लागत ४५ लाख रुपया है। श्रीमन् यह बांध बांदा जिले का है जिसे झांसी जिले में बना दिया गया है। मुझे मालूम है, मैंने बुन्देलखंड डिवीजन की तृतीय पंचवर्षीय योजना देखी है और श्रीमन्, मन्त्री जी ने अभी कहा भी है कि बान्दा जिले में बरुआ नाले पर बांध बनाने की योजना है। अब यह बात सही है, जो मन्त्री जी ने कही है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में प्रश्नों के सम्बन्ध में और आश्वासन समिति में इस तरह की गलत सूचना नहीं देनी चाहिये। इस प्रकार की सूचना देना कहां तक उचित है यह विचारणीय बात है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तम्बीह होनी चाहिये। इससे हम लोग मुगालते में पड़ जाते हैं। यदि मैं अपने जिले में, क्षेत्र में यह जाहिर करता कि तालबेहट के पास बरुआ नाले पर बांध बनाने के लिये ४५ लाख रुपये की योजना है तो मेरी क्या स्थिति होती जबकि यह बात सही नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बरुआ नाला तालबेहट से ११-१२ मील है और पूरा कलां के नजदीक है और यह योजना सात, साढ़े सात लाख रुपये की है। इससे १,२००-१,३०० एकड़ की सिंचाई होगी। इसको जल्द स्वीकार करने की कृपा करें।

माताटीला बांध में पिछले दो तीन वर्षों में किस तरह से नुक्सान हुआ, उसके बारे में एक जांच कमेटी झांसी डिवीजन के कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी थी। मैं उसकी रिपोर्ट जानना चाहता था, लेकिन अनेक बार प्रश्न करने के बावजूद उसकी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आ सकी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गौर किया जाय कि वहां पर दो-तीन वर्षों में कितना नकसान हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार की बात है, लेकिन वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता, अनुभवहीनता के मसले आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर एक डौला बनाया जाने वाला था। उसकी पत्थर की दीवार पर सीमेन्ट का प्लास्टर कर दिया गया, बावजूद इसके कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से ऊंचे स्तर के इन्जीनियरों ने कहा कि यह क्या करने जा रहे हो? लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। वह जनवरी में बना और मार्च, अप्रैल में क्रैक होकर सीमेंट गिरने लगा। आखिर उसको तोड़ा गया। मेरी जानकारी थी कि ३०-३५ हजार रुपया खर्च हुआ, लेकिन सरकार से जवाब मिला है कि ३-४ हजार रुपया खर्च हुआ। लेकिन उसको नहीं करना चाहिये था जबकि उस इन्जीनियर के एस० ई० या सी० ई० ने उसको बनवाने का मश्विरा नहीं दिया था। माननीय मन्त्री जी को इस पर गौर करना चाहिये।

बकेट्स के बारे में कई लाख रुपये का नुकसान हुआ था। उसका कारण यह था कि वहां पर जो काम प्रारम्भ किया गया था वह बहुत लेट किया गया था और समय पर पूरा नहीं हो सकता था। पहले वक्त जाया किया गया और मई में जाकर काम शुरू किया गया, जबकि झांसी में १५ जून से बारिश शुरू होने लगती है तो कोई भी काम हो वह १५ जून से पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। इन बकेट्स का काम जुलाई अगस्त में हुआ। जब सिंचाई मंत्री सितम्बर में गये थे मैंने देखा था कि वहां जाल पड़ा हुआ है। इसका जबाव दिया गया था कि ऐसा बकेट है जिस पर कांकरीट बिछाई गई थी और जाल डाला गया था। बारिश आ गई और वह बह गया जब कि नियम यह है कि सीमेंट की तराई के लिए २८ दिन कम्पलीट चाहिए। अगर २८ दिन नहीं तो कम से कम २१ दिन तो जरूर चाहिए। लेकिन फिर क्यों जुलाई, अगस्त में सीमेन्ट डाला गया और क्यों जाल बिछाया गया? यह ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिये और ऐसे इन्जीनियरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्रीमन्, वहां पर किस तरह सीमेंट और अन्य चीजों की चोरियां हुईं. यह भी हमारे लिए एक बड़ी लज्जा की बात है। मैंने पारसाल ९ जुलाई को शाम को ४ बजे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, झांसी को यह लिखित सूचना दी, मेरे मन्डल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने उसकी जांच करके बताया था, कि माताटीला के डीजल आयल के स्टाक में साढ़े ४ सौ गैलन की कमी है। वहां पर जो ड्रम बने हैं उनमें से कुछ में पानी भरा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चाहिये था कि वह तुरन्त उस पर अमल करते और मुझसे कहते कि आप मेरे साथ चलिये, लेकिन दो, तीन दिन का मौका दिया गया। कोई जांच-पड़ताल नहीं हुई और मुझे मालूम है कि किस तरह से तालबेहट पैट्रोल पम्प से रातोंरात पैट्रोल गया और साढ़े चार सौ गैलन की कमी पूरी की गई। मेरे पास १५ दिन पहले से सूचना आ गई थी और मैंने कुछ प्रमुख व्यक्ति लगा रखे थे। जब स्टाक की कम्पलीट फीगर आ गई तब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास गया था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने समय पर कार्यवाही नहीं की और वह कमी पूरी हो गई।

माताटीला बांध पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। इस पर १२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और यह हमारे प्रदेश की एक बड़ी योजना है, बाहर से लोग देखने को आते हैं, उसको सुन्दर बनाने की एक योजना थी। पता नहीं उसका क्या हो गया। पता नहीं, हमारी बचत योजना का जो डंडा है वह बुन्देलखंड पर जाकर ही पड़ गया है। क्योंकि जब दूसरी योजना में फारेन एक्सचेंज की कमी आयी तो माताटीला पर पड़ी, इसी तरह से प्रदेश की सरकार ने जो कुछ लाख की योजना रखी थी उसको सुन्दर बनाने के लिए, बाहर से चूंकि लोग आते हैं, इसलिये बाग-बगीचे

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां के कर्मचारियों की एक मिसाल मैं देना चाहता हूं कि किस तरह से सदान्ध होकर काम करते हैं। एक बरकंदाज से एक असिस्टेंट इंजीनियर ने बूट पर पालिश करने को कहा। उसने इनकार कर दिया। येनकेन प्रकारेण, पहले उसको दूसरी जगह दी गयी और दूसरे दिन बरखास्त कर दिया गया---केवल इसलिए कि उसने बूट पर पालिश नहीं किया। लेकिन मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने उसकी फरियाद सुनी और आज वह अपने स्थान पर पहुंच चुका है। इस तरह की बातें शोभा की बातें नहीं हैं।

मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि गुरसराय कैनाल पर बेरवई परसत के पास एक पुलिया बनाने की बात थी। उसको शायद स्वीकार कर लिया था। उस समय वहां के कर्मचारियों ने यह सुविधा दे रखी थी कि जब तक पुलिया नहीं पूरी हो जाती तब तक सर्विस रोड से आ जा सकते हो। लेकिन अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहां पर पुलिया बनायी जानी चाहिए।

अभी जामिनी नदी के बांध का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है। वह भी बड़ी अच्छी योजना है। उसके लिए सड़क बन रही है, नारहट से जामिनी बांध तक। वहां के लोगों की मांग है कि जो पुरानी कच्ची रोड है उसी को बना दिया जाय। लेकिन इंजीनियर लोग जो उपजाऊ जमीन है उसमें से उसको काट छांट कर आड़े तिरछे ले जा रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। एक ज्यादती की बात है। इस तरह के कामों को आप रोकने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि जहां करोड़ों रुपया आपने बड़ी बड़ी योजनाओं पर खर्च किया है वहां इस सब-डिवीजन पर आप कुछ लाख रुपया कुछ छोटी-छोटी योजनाओं पर खर्च कर दें, हमारी आपसे यही प्रार्थना है।

माननीय श्रीपाल सिंह जी नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि माताटीला बांध पर चूहों को मारने के लिए उल्लू पाले गए हैं। यह बात निश्चित है कि बुन्देलखंड में उल्लू नहीं हैं। इसलिए जौनपुर से या कहीं से वह वहां भेजे गए हैं। मेरा यह निवेदन है कि उनको वहां से वापस बुला लिया जाय, वहां चूहे नहीं हैं जिनको मारने के लिए उनकी आवश्यकता हो।

श्री गयूरअली खां (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, पिछले साल इसी अनुदान पर बोलते हुए मैंने इस आदरणीय सदन के सामने और पिछले माननीय मंत्री, चौधरी गिरधारीलाल जी के सामने कुछ सुझाव रखे थे और पूर्वी जमन नहर के काश्तकारों की कुछ कठिनाइयां और तकलीफें उनके सामने पेश की थीं। लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि मेरे वह सुझाव और कठिनाइयां वगैरह सब रद्दी की टोकरी में डाल दी गईं। इस सरकार की यह आदत होती जा रही है कि विरोधियों की तरफ से चाहे कितना ही अच्छा सुझाव, कितना ही बेहतर सुझाव इस सरकार के सामने पेश किया जाय, यह सरकार हमेशा उन बातों को एक दीवाने की बात और एक खफती की बकवास से ज्यादा अहमियत नहीं देती। पूर्वी नहर जमन के काश्तकारों को पानी की कमी की वजह से बहुत कठिनाइयां हैं और यही वजह है कि उस नहर से जो रकबा आबपाशी होता है, उसमें बहुत कम रकबा आबपाशी हो सकता है। इससे फसलें अच्छी तरह से तैयार नहीं हो सकती हैं, अक्सर सूख जाती हैं, जिसकी वजह से पैदावार में बहुत कमी पड़ रही है। श्रीमन्, मैंने जो चीजें माननीय मंत्री जी के सामने रखी थीं, उन्होंने उनको सुनकर खुद यह इकरार किया था और यह स्वीकार किया था कि वाकई पूर्वी नहर जमन में पानी की बहुत कमी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी फरमाया था कि धनाभाव के कारण वह इसमें कुछ कर नहीं सकते और इसका उनके पास कोई इलाज नहीं है।

आजकल हमारे देश और प्रदेश में गिजा की बहुत कमी है। गिजा की सूरते हालात अच्छी करने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी खेती की पैदावार में इजाफा करें। लेकिन

सिंचाई के साधन अच्छे न होने के कारण खेती की पैदावार में इजाफा होना बिलकुल नामुमकिन है। इसी तरह हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिये भी यह जरूरी है कि हम अपनी खेती की पैदावार में उन्नति करें। लेकिन अगर सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं तो मान्यवर, फिर कैसे खेती की पैदावार बढ़ सकती है? नहर जमना की सरहद पर लाखों एकड़ रकबा है। कमिश्नरी मेरठ के तीन जिलों, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, की आठ तहसीलों में से होकर यह नहर बहती है और इस नहर से लाखों एकड़ ऐसा रकबा है कि जिसकी अच्छी तरह से सिंचाई नहीं हो पाती। एकाध दफा पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। किसान को पूरी आबपाशी देनी पड़ती है, लेकिन जिस जिन्स में दस दफा पानी देने की जरूरत होती है उसमें मुश्किल से एक दो दफा मिल पाता है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी कठिनाई है और किसान इससे बहुत सख्त परेशान हैं। अगर सरकार ने कोई बन्दोबस्त न किया तो उस इलाके का लाखों एकड़ रकबा जिसको कि उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है, बरबाद होकर रह जायगा।

श्रीमन्, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को पेश करते हुये यह एलान किया कि तीन आना की रुपया छूट जो सन् १९५२–५३ से काश्तकारों को उनके आबपाशी के महसूल में दी जाया करती थी, वह अब आइन्दा नहीं दी जायगी। इस प्रदेश के काश्तकारों को इस एलान से बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। इसकी मिसाल बिलकुल ऐसी हो गई है कि जैसे हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं, लेकिन यह सरकार वह मदद देने के बजाय उलटे जुर्माना कर देती है। हम लोग सरकार से बराबर यह मतालबा करते चले आये हैं कि तीन आने की छूट मुस्तकिल करे और आज सरकार से हम फिर यह मांग करते हैं कि सरकार तीन आने की छूट को हमेशा के लिये लागू कर दे। मान्यवर, यह छूट प्रजा समाजवादी पार्टी के सत्याग्रह के सिलसिले में काश्तकारों को दी गई थी जो उन्होंने १९५२–५३ में किया था। सरकार को यह याद रखना चाहिये कि अगर इस छूट को मुस्तकिल नहीं किया गया या इसके लिये इन्तजाम नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है कि यह पार्टी फिर सत्याग्रह शुरू कर सकती है और अपने इस मतालबे के लिये फिर लड़ेगी।

जिन्स का भाव वही है जो १९५२–५३ में था। पैदावार में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार के लिये यह क्या तुक है कि उसने तीन आना, जो महसूल में छूट दे रखी थी उसको फिर वापस ले लिया है। मैं सिवाय इसके और क्या कह सकता हूं कि किसी शायर ने यह कहा है कि "गजब है, वह तो देते हैं हमें हरदम जवाब उल्टा, और बजाय मेहरबानी हम पे होता है अताब उल्टा।"

श्रीमन्, नहर जमना शरकी में पानी की कमी को दूर करने के लिये मैं मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। अगर वह इन पर ध्यान देकर कुछ अमल में लाने की मेहरबानी करेंगे तो वहां के काश्तकारों के लिये बहुत मदद होगी।

पूर्वी नहर जमुना का जो मोहन्ड है उसको रिपेयर करके उसको बढ़ाया जाय ताकि उसमें ज्यादा पानी आ सके और किसानों को इस नहर से ज्यादा पानी मिलने की सहूलियत हो सके। जमुना से दो नहरें निकलती हैं। एक पच्छिमी जमुना नहर है और दूसरी पूर्वी जमुना नहर है। पच्छिमी जमुना नहर पंजाब में जाकर आबपाशी करती है। अब पंजाब में भाखरा डैम तैयार हो गया है, वह सारे पंजाब की सिंचाई की आवश्यकता को अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। इसलिये अगर हमारे प्रदेश की सरकार पंजाब की सरकार से बातचीत करके पूर्वी नहर के लिये कुछ ज्यादा पानी मांगने का सवाल करे तो मुमकिन है कि उससे ज्यादा पानी मिल सके और हमारी जरूरत पूरी हो सके।

[श्री गयूरअली खां]

श्रीमन्, यह नहर, जो पूर्वी जमुना नहर कहलाती है, तीन जिलों की ८ तहसीलों में आबपाशी करती है। इन सब तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है। जिस वक्त चकबन्दी लागू की जा रही थी हम लोगों को और काश्तकारों को यह यक़ीन दिलाया गया था कि चकबन्दी के खत्म होने के बाद खातों के खत्म होने पर दोबारा नहर के अधिकारी खुद ओसरा बन्दी करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब नहर के अफसरों के पास ओसराबन्दी करने के लिये किसान जाता है तो उनकी तरफ से यह जवाब मिलता है कि दरख्वास्त देने पर ओसराबन्दी होगी। आज काश्तकारों के खाते बदल गये हैं, उनकी जोत बदल गई है इस चकबन्दी की वजह से, लेकिन पानी के वही पुराने ओसरे चल रहे हैं। इससे जगह जगह काश्तकारों में झगड़े होते हैं। मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह अपने विभाग को हुकुम दें कि जिन तहसीलों में जिस जगह चकबन्दी खत्म हो चुकी है वहां ओसराबन्दी करें। श्रीमन्, जिला सहारनपुर में जहां से होकर यह नहर बहती है, वहां नशेब का रकबा है और उसमें चोयेल आ गया है। उसकी वजह से वहां रबी की फसल नहीं हो पाती। अगर सरकार इस चोयेल को खत्म करने के लिये और इस नहर में पानी बढ़ाने के लिये दोनों किनारों पर इसके ट्यूबवेल बना दे तो उससे चोयेल भी खत्म हो सकती है और रबी की पैदावार भी बढ़ सकती है और उन ट्यूबवेलों से नहर का पानी भी बढ़ाया जा सकता है।

मान्यवर, मेरा एक और सुझाव है कि इस नहर में पानी की बेहद कमी है, इसलिये कमिश्नरी के उन ३ जिलों की ८ तहसीलों में, जिनमें से होकर यह नहर जाती है कम से कम दो हजार ट्यूबवेल सरकार बनवाये। इनसे काश्तकारों को सहूलियत मिलेगी और उनकी आबपाशी अच्छी हो सकेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो काश्तकारों को तकावी दे और उन्हें निजी ट्यूबवेल लगाने की लिये उकसाये और जो पुराने कुएं पड़े हुए हैं उनको अपने तरीके पर बनवा कर काश्तकारों को सहूलियत दे।

श्रीमन्, अगर सरकार ने काश्तकारों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया और उनके लिये इसी तरह की लापरवाही दिखायी, उनको ठुकराया जैसेकि पहले पहले ठुकराती आयी है तो काश्तकार मजबूर होंगे और आन्दोलन करेंगे और सरकार से अपने हक मनवा कर रहेंगे। उनके हकूक जायज हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उन्हें दिलाने में उनकी लीड करेगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई सम्बन्धी अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हम सब यह जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रदेश है जिसमें आज भी ७४ फीसदी इंसान खेती पर जिन्दगी काटते हैं। जहां तक हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का ताल्लुक है वहां तो ८२ और ८४ फीसदी तक इन्सान खेती पर निर्भर रहते हैं। खेती के लिये जो बहुत आवश्यक चीजें हैं उनमें से पानी भी एक बड़ी चीज है और इसकी बहुत आवश्यकता होती है। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि पिछले १२, १४ सालों में सिंचाई के साधन काफी बढ़े, इस माने में कि हमारे जो ट्यूबवेल्स थे उनकी तादाद तिगुनी से ज्यादा हो गयी। हमारे यहां जो नहरें थीं वह भी बढ़ीं, नये चैनेल्स भी खोले गये, कुछ डैम्स भी बने, साथ ही साथ कुछ सागर, रिजर्वायर्स भी बनाये गये। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात यह भी देखने की है कि जिस अनुपात में हमने उन पर धन खर्च किया है उस अनुपात में हमारी सिंचाई (सिंचित भूमि) नहीं बढ़ी और न उस अनुपात में हमारे प्रदेश के एवेन्यूज बढ़े। मैं यह जानता हूं कि सामान आदि की कीमतें बढ़ जाने से निर्माण कार्यों का व्यय बढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर अनुपात लें तो हम महसूस करते हैं और माननीय मंत्री जी भी अगर बारीकी से जांच करेंगे तो देखेंगे कि जितनी कीमतें बढ़ी हैं उस हिसाब से जितना व्यय बढ़ना चाहिये था उससे कहीं ज्यादा उन निर्माण कार्यों का व्यय बढ़ गया है।

दूसरी बात, मुझे याद है कि पिछली बार इस हाउस में गवर्नमेंट के एक माननीय मेम्बर ने जवाब दिया था कि सिंचाई विभाग परचून की दूकान नहीं है"। मैं इस बात को मान

कर चलता हूं कि यह परचून की दूकान नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि कल्याणकारी राज्य में व्यापारिक दृष्टिकोण से ही कार्य नहीं होता है, पर साथ ही अगर हम वही तमाम काम करते चले जायं कि जिससे आय घटती जाय और राज्य पर बोझ बढ़ता जाय, तो उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। हमको बैलेंस (सन्तुलन) करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्टिव और नान-प्रोडक्टिव स्कीम्स में।

हमारे इंजीनियर साहबान कहते हैं कि प्रोडक्टिव काम के होने का जो वक्त था वह तो अंग्रेजों के जमाने में खत्म हो गया, अब हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह एक गम्भीर समस्या है और उन्हें इस पर विचार करना चाहिये। हमारे लिये पानी का इन्तजाम तो करना ही है और इस तरह की मायूसी पैदा करने से कि कोई प्रोडक्टिव स्कीम नहीं बन सकती है, हमें अपने इंजीनियरों की स्किल पर ही शक होता है। मैं नहीं मानता कि वह इतनी खोखली है। मैं कभी इसको भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई प्रोडक्टिव स्कीम आज चल ही नहीं सकती। मैं इस बात की मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी बिठायें जो इस बात की जांच करे कि विभाग ने कितनी प्रोडक्टिव और कितनी अन-प्रोडक्टिव स्कीम्स बनायी थीं; जिन स्कीमों को गवर्नमेंट ने पास किया था वह कितनी कामयाब हुईं। जिसको सरकार ने जानबूझकर अनुत्पादिक समझते हुए भी पास किया, उसकी जिम्मेदारी हर हालत में गवर्नमेंट के ऊपर ही आती है। मगर वह स्कीम्स जो प्रोडक्टिव स्कीम्स बताई गई थीं, और बाद को अन-प्रोडक्टिव हो गयीं, उसकी पूरी जिम्मेदारी विभागीय कर्मचारियों पर है और इसका उनसे जवाब तलब करना चाहिये।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने किसी भाषण के दौरान में इस बात का ऐलान किया था कि आइन्दा से वह इस बात की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर साहबान के करेक्टर रोल में एन्ट्री इस बात को देख कर की जाया करेगी कि उन्होंने कार्य को निर्धारित समय और एस्टीमेट्स के अन्दर समाप्त किया है या नहीं। यह जो कास्ट इतनी बढ़ जाती हैं उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि उनके एस्टीमेट्स को बनाते समय विभाग की ओर से जितनी सावधानी बरती जानी चाहिये उतनी नहीं बरती जाती। यह मेरा दावा है कि सिंचाई विभाग ने सन् १९४७ के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाये हैं उनमें एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं निकलेगा जो बनाये हुये एस्टीमेट्स के अन्दर और निर्धारित समय के अन्दर बन कर तैयार हो गया हो। अगर कोई हो तो माननीय मंत्री जी उसे बतायें, उसके लिये मैं उनके तमाम कर्मचारियों को बधाई दूंगा।

श्रीमन्, यह एक गम्भीर मसला है कि हमारे एस्टीमेट्स इतने ज्यादा बढ़ जायें। हम तो नान-टेक्नीकल आदमी हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, अगर उनके बनाये हुए एस्टीमेट्स में ५० फीसदी, १०० फीसदी और २००–३०० फीसदी तक का फर्क हो जाये, वह १००, २००, ३०० टाइम्स बढ़ जायं, तो यह हमारे लिये एक दुख की बात है। हम यह मानते हैं कि महंगाई के कारण कुछ अन्तर हो सकता है, किन्तु वह भी ५ परसेंट या १० परसेंट का, न कि इतना ज्यादा।

मातातीला बांध की भी बात कही गयी। उस बारे में सभी जानते हैं, मैं अधिक नहीं कहूंगा, किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि यह जितने भी बांध हैं, उनके सम्बन्ध में इस हाउस का यह अधिकार है कि वह इस बात की मांग करे कि उनकी जांच के लिये जो कमेटियां बिठाई गई थीं उनकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश होनी चाहिये। हमें इस बात का पता होना चाहिये कि उसके अन्दर जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जिम्मेदारी किन-किन साहबान पर है और सरकार ने उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की।

[श्री नवलकिशोर]

मान्यवर, हम जानते हैं कि हमारा देश और हमारा प्रदेश गरीब है, हमारे यहां जो इंजीनियर्स हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। वे इतने कुशल हैं कि उनके ऊपर हमारे प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हमारे देश को भी गर्व होना चाहिये। इतना बेहतरीन स्टाफ होने के बाद भी अगर हमारे जन-कोष के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है तो यह बड़े दुख की बात है और इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। वह यह कि यह सही है कि आपको आबपाशी की व्यवस्था करनी है। यह भी सही है कि आप इसको पूर्णतया कामर्शियल दृष्टिकोण से नहीं चला सकते। मगर फिर भी इसके लिये आपको एक बैलेन्स करना पड़ेगा प्रोडक्टिव और अन-प्रोडक्टिव स्कीम्स के अन्दर। मैं एक बात की दरख्वास्त करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से और उनके द्वारा उनके कर्मचारियों से कि वे इस बात में अपना दिमाग लगायें कि हम किस तरह से ऐसी स्कीम्स बनायें जिसमें कुछ थोड़ा सा संतुलन हो। आप देखें कि जो ग्रान्ट नं० ४६ है उसमें प्रोडक्टिव स्कीम्स पर जो खर्चा रखा है वह है ९५ लाख रुपये, और अन-प्रोडक्टिव पर १२ करोड़, ४५ लाख रुपये है। तो यह जो १/१२ का अन्तर है, यह मुनासिब बात नहीं मालूम देती।

मुझे एक बात और भी कहनी है ट्यूबवेल्स के बारे में। उनकी तादाद तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे साथियों ने बताया है कि उनमें से काफी संख्या में ऐसी जगह पर बनाये गये हैं जो ठीक नहीं है, लेविल खराब होने के कारण पानी चढ़ता नहीं है। ऐसी भी शिकायतें हैं कि ट्यूबवेल बन गये, ५–६ साल हो गये, लेकिन नालियां नहीं बन पायीं। उससे पानी फिर कैसे चल सकता है और काश्तकार को फायदा कैसे हो सकता है? यही नहीं, अब तो स्थिति कुछ अच्छी हो गयी है, वरना ऐसी शिकायतें थीं कि कुएं बन गये और बिजली नहीं आ पायी। लेकिन खुशी की बात है कि उस मामले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है।

एक शिकायत यह है कि जिस काश्तकार की हम जमीन ले लेते हैं, मंत्री जी देखें कि कहीं ऐसे-ऐसे केसेज में ५–६–७ साल बीत जाते हैं और कम्पेंसेशन भी नहीं मिल पाता और यहां तक कि उसका नाम भी रेवेन्यू के रेकार्ड्स में से नहीं काटा जाता, तो लगान भी उसको ही देना पड़ता है। इसका इन्तजाम होना चाहिए।

नहर के मामले में पानी वक्त पर नहीं मिलता और जितना काश्तकार चाहता है उतना नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि चैनल्स तो बढ़ें, लेकिन पानी बढ़ाना आप के बस की बात नहीं थी। आपने सागर बनाये हैं---सारदा सागर और बहुत से बनाये हैं---लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जितनी लम्बाई के अन्दर चैनल्स बने हैं उसके अनुसार वहां पानी नहीं है। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। मुझे बताया गया कि बम्बई के अन्दर कुछ सिंचाई की गारंटी का सिस्टम है। मुझे मालूम हुआ है कि उसके अन्दर गारंटी कर दी जाती है कि इतना पानी जरूर दिया जायगा। हमारे स्टेट में भी अध्ययन किया जाय और यदि हमारी स्थिति ऐसी हो और कंडीशंस अगर वारंट करें तो माननीय मंत्री जी जरूर इस तरफ ध्यान देने की चेष्टा करें कि यहां भी वैसा होना चाहिये।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि हमारे यहां पिछले दो सालों से जो माइनर इरिगेशन के काम हैं, उन पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। मान्यवर, मुझे थोड़ी शिकायत भी होती है और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें शक नहीं कि काफी तवज्जह दी और गवर्नमेंट ने अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट की मार्फत जो पक्के कुएं थे, मैसोनरी वेल्स, उनकी तादाद भी काफी बढ़ाई है। हमारे मंत्री जी और हम दोनों सौभाग्य से एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कहते हुए मुझे संकोच होता है, लेकिन उसको हटाते हुए उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि एक जमाना हुआ जब कि वह डिप्टी मिनिस्टर थे, मेरी कांस्टीट्युएंसी में एक बांध,

अरर बांध के नाम से है और माइनर वर्क्स में रुपया भी उसके लिये सैंक्शन था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह छोटा-सा बांध बन जाय तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी मेहरबानी की बात होगी।

एक चीज इसमें यह भी है और मुझे इस बात का अन्दाज नहीं है ईमानदारी के साथ कि और सूबों में हमारे इर्रिगेशन के रेट्स क्या हैं। मुझे मालूम नहीं है, इसलिये मैं कम्पेरीजन कर भी नहीं सकता हूं और करना नहीं चाहता हूं। अच्छा हो कि उसका एक चार्ट वह बनवायें कि गल्ले की कीमतों के हिसाब से इर्रिगेशन के रेट्स क्या हैं, हम कितना पानी देते हैं, वह कितना देते हैं।

एक शिकायत यह है, जिसका ज्ञान उनको भी है और सौभाग्य से वह कृषक भी हैं, सिंचाई के भी मंत्री हैं, कि एक कानून हमारे यहां है कि धान की खेती के सिलसिले में चूंकि बारिश का वक्त होता है, तो किसान पानी दे या न दे, उसपर आबपाशी पड़ जाती है। डिपार्टमेंट की दिक्कतें भी हैं, उसका अन्दाज करना कि किसने पानी लिया, किसने नहीं लिया, इसमें बड़ी कठिनाई है, लेकिन यह न्यायसंगत बात नहीं है। हमारी कठिनाई हो, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई की वजह से वाकई जेनुइन काश्तकार जिसने पानी नहीं लिया, उसपर आबपाशी पड़ जाय तो यह न्यायसंगत बात नहीं है। यद्यपि मैं जानता हूं कि उनकी कठिनाइयां हैं, लेकिन वह उस तरफ भी देखने की चेष्टा करें।

मान्यवर, हमारे कोआपरेटिव के ट्यूबवेल्स बहुत से बने और यह भी एक खेद की बात है कि उसमें काफी पैसा हमारा बरबाद हुआ और वक्त बरबाद हुआ। मगर खुशी की बात है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने तय किया है कि उनमें से दो तिहाई ट्यूबवेल्स को अपने अंडर में लिया जाय, उससे मैं समझता हूं कि सिंचाई के साधन बढ़ेंगे। अगर इसमें रेड-टेपिज्म हो तो उसको तोड़ देना चाहिये और उसके लिए आगे हम को बढ़ना चाहिए। मैं एक बात की ओर मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं, हालांकि उसका विशेष तौर से इर्रीगेशन से सम्बन्ध नहीं है, यह मेरी ओवरआल मांग है कि गवर्नमेंट एक हाई पावर कमेटी बैठावे जो हमारी स्टेट के मौजूदा रिसोर्सेज का सर्वे करे और यह देखे कि कौन-कौन से ऐसे नये साधन हैं जो हमको उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें शक नहीं कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में पैसे की बहुत आवश्यकता है। यह भी सही है कि हमारी ४९७ करोड़ की योजना तभी कामयाब हो सकती है जबकि हम १४७ करोड़ रुपये का प्रबन्ध स्वयं कर लें। इसके लिये सरकार के समाने परेशानी है। यदि हमने यह इकट्ठा नहीं किया तो शायद ३५० करोड़ रुपया जो सेंटर से मिलने वाला है वह भी हाथ आनेवाला नहीं है। हमको टैक्स लगाने होंगे, लेकिन हमारे प्रदेश की मौजूदा स्थिति में सन्तुलन के साथ कदम उठाना होगा। तो मैं चाहता हूं कि वह कमेटी बैठे और अपने सुझाव दे कि कहां-कहां से हम नये साधन निकालकर आय बढ़ा सकते हैं।

इकोनामी की बड़ी चर्चा है। मुझे खुशी है कि हमारी मौजूदा सरकार इकोनामी पर बहुत एमफेसिस देती है। मेरा विश्वास है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी इकानामी की गुंजायश है। जहां मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां अच्छे अफसर हैं वहां मैं यह भी कहूंगा कि कुछ गैर-जिम्मेदार लोग भी हैं। उनका कैसे डिस्टिन्कशन हो, यह देखने की बात है। मेरी ख्वाहिश है कि ईमानदार आफिसर को प्रीमियम मिलना चाहिये, एनकरेजमेंट मिलना चाहिये। मंत्री इस बात को भी देखें कि, यद्यपि उनके विभाग में काम और जिम्मेदारी बढ़ गई है, फिर भी क्या ४ चीफ इंजीनियर्स की और ३० से अधिक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्ट की जरूरत है। मुझे याद है कि सेंटर की एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट रिडंडेंट है, इसे हम आसानी से समाप्त कर सकते हैं। हमारी स्टेट की एस्टीमेट्स कमेटी ने भी कहा था कि ये जगहें आहिस्ता-आहिस्ता कम की जावें। ऐसा कहते हुए हमने यह बात ध्यान में रखी थी कि काम अपसेट न हो।

[श्री नवलकिशोर]

दूसरी बात यह है कि वर्क लोड को भी देखना चाहिये कि उसमें कहां तक गुंजायश है। इसके लिये भी एक कमेटी बैठाकर देखा जा सकता है कि हमारा वर्कलोड ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो मौजूदा घाटे में जरूर कुछ न कुछ कमी होगी।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह मांग करता हूं कि हमारी मेरठ कमिश्नरी में कम से कम ५,००० ट्यूबवेल तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाये जावें। इनमें से कम से कम १,००० बुलन्दशहर जिले में हों और लगभग १५,००० रहट तृतीय पंचवर्षीय योजना में बुलन्दशहर जिले में लगाये जायं। फिर, गंगा नहर के सहारे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वे बन्द हैं, उन्हें चालू कर दिया जाय। उस नहर का पानी कम से कम सवाया बढ़ाया जाय। हम देखते हैं कि अगर ४० फीसदी सिंचाई हो जाती है तो यह मान लिया जाता है कि पूरी सिंचाई हो गई, तो मेरा सुझाव है कि कम से कम ८० फी सदी कमान्ड एरिया की सिंचाई होने पर ही पूरी सिंचाई मानी जाय।

आज हम देखते हैं कि काश्तकारों पर जो गूल वगैरह तोड़ने के मुकदमे चलते हैं उनमें बीसियों तारीखें लगती हैं। इससे काश्तकार परेशान हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा २ पेशी में मुकदमा खत्म हो जाना चाहिये।

अब चूंकि भाखरा नांगल बांध बन गया है जिससे पंजाब को काफी पानी मिलेगा, इसलिये पूर्वी नहर जमन का ड्योढ़ा पानी हो जाना चाहिये, जिससे उस इलाके की सिंचाई ठीक से हो सके।

मैनपुरी में कुरावली क्षेत्र में सलमपुर ग्राम में नहर खत्म की जाती है, जिससे गांव की आबादी को बड़ा धक्का पहुंच रहा है और वहां बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर उसे १।। फर्लांग आगे बढ़ाकर काली नदी में समाप्त किया जाय तो वह गांव बरबाद होने से बच सकता है।

हमारे प्रदेश में प्रोडक्टिव में अपर गंगा, लोअर गंगा और सम्भवतः पूर्वी नहर जमन भी आती है, जिनमें अपर गंगा में बुलन्दशहर, अलीगढ़, रुड़की इत्यादि हैं, लोअर गंगा में अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा भोगनीपुर और कानपुर तथा फतेहपुर हैं और पूर्वी जमन में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर डिवीजन आते हैं। प्रारम्भ से लेकर अब तक इनमें लाभ ही लाभ सरकार को होता चला आ रहा है। जब आज मंहगाई इतनी बढ़ रही है और ये लोग गवर्नमेंट को मुनाफा देते हैं तो ३ आने का रिबेट उनसे कौन से आधार पर छीना जा रहा है? इस आंकड़े की किताब में भी, पृष्ठ १२ पर, पढ़ने से मालूम होगा कि १९५७-५८ में ८,०४७ एकड़ की सिंचाई से रुपया मिला ७,७१,००० और १९५८-५९ में ७,४६७ एकड़ की सिंचाई से ८,३७,९६,००० रुपया प्राप्त हुआ। इसी की टिप्पणी में बतलाया गया है कि १९५७-५८ में पश्चिमी जिलों में पानी कम लिया और पूर्वी जिलों में अधिक लिया गया, इसलिये आमदनी कम हुई। १९५८-५९ में पश्चिमी जिलों ने पानी अधिक लिया, इसलिये आमदनी बढ़ गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम पश्चिमी जिलों में पानी का अधिक प्रयोग करते हैं, तब तो हमारी रिबेट की छूट रहने देनी चाहिये। वहां हाहाकार मच जायगा, अगर यह हटा ली गई। एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सत्याग्रह होगा, न जाने क्या क्या होगा, क्योंकि भूखा क्या न करता! आज हमारी सरकार वैसा ही कर रही है कि जो मुर्गी एक अंडा रोज देती है उसका पेट चीर कर एक बार सब अंडे निकाल लेना चाहती है जिससे वह जिन्दी ही नहीं रह सकती। सरकार को चाहिये कि उस मुर्गी को खिलाती भी रहे। तो यह रिबेट रहना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें रुपये की आवश्यकता है और सरकार खर्च भी कम करना चाहती है तो मैं उन्हें कुछ सुझाव देता हूं जिनसे रुपया बच सकता है। उनके यहां कंस्ट्रक्शन और रेजिंग में बरकन्दाज और दफेदार होते हैं जिनके ऊपर लगभग २५०, ३०० रुपये माहवार खर्च होते हैं। वे खजाने की हिफाजत करते हैं। महीने के शुरू में भले ही उनके खजाने में कुछ हजार रुपये होते हों लेकिन महीने के अधिक भाग में २००, ३०० रुपये से अधिक नहीं रहते हैं और इतना ही महीने में उनके ऊपर खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक असिस्टेंट इंजीनियर के यहां कम से कम ३,००० रुपया साल खर्च होता है और एक डिवीजन में कम से कम ५ असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, तो एक डिवीजन में १५,००० रुपये साल की बचत हो सकती है। इसी प्रकार सारे प्रदेश में लगभग १२५ डिवीजन हैं तो इनमें १८।।। लाख की बचत हो सकती है प्रत्येक वर्ष में। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

ऐसे ही हाइडिल विभाग के कर्मचारी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इंजीनियरों के लड़कों बच्चों के खिलाने और लड़कों को स्कूल ले जाने का काम नहीं करेंगे तो वहां के इंजीनियरों ने सोचा कि इसको इन्श्योर करा दें। इस तरह से वहां से जो रुपया बचेगा उसको आप दूसरी मदों में खर्च कर सकते हैं और आपका रुपया भी बहुत सा लूटमार में चला जाता है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

१९५५ में आपकी जो नहरों की प्लान थी वह १२९ लाख की थी जिसके बारे में यह कहा गया था कि उससे ७.४ लाख की आमदनी होगी। लेकिन १९५८ में उस प्लान को संशोधित कर दिया गया और १२९ लाख के बजाय योजना हो गयी १७३ लाख की। इसके अलावा प्रारम्भ में कहा गया था कि ४४१ मील नहर बनेगी लेकिन उसमें संशोधन होकर २८५ मील ही रह गयी। इसके क्या माने हैं? जो लाभदायक योजना थी उसको अनुत्पादक योजना में बदल दिया गया। इससे मालूम पड़ता है कि सरकार का ध्यान इन योजनाओं के ऊपर बिलकुल नहीं है।

इसी प्रकार गूलें बनायी गयीं, लेकिन उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। मौज उड़ाते रहे और कह दिया कि वर्कमेन और कान्ट्रेक्टर्स की गलती थी। इस पर भी एक लाख रुपया अधिक खर्च हो गया और पानी के कमांड में भी कोई तरक्की नहीं हुई। इसके माने हैं कि आपका सुपरविजन ठीक नहीं है। अगर आप इस ओर ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजूलखर्ची कहां-कहां होती है।

आप १९६१ की आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ २२ से लेकर २५ तक पढ़ लें। आपको मालूम हो जायगा कि डिपार्टमेंट में क्या-क्या होता है और कैसा-कैसा होता है। ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, लेकिन बाद में उसके रेट ऊंचे कर दिये जाते हैं और २-२ लाख रुपया उनको ज्यादा दे दिया जाता है। माननीय मंत्री जी के विभाग में सब के सब गड़गबड़ी में पड़े हुए हैं। किसी को होश नहीं है कि कहां-कहां किफायतशारी हो सकती है।

इस विभाग के पास बहुत सी सड़कें और बंगले हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है। अगर उनका लाभ जनता को उठाने दिया जाय तो बहुत अधिक लाभ हो सकता है।

गूलों की खुदाई ठीक से नहीं होती है। पानी ट्रेल तक पहुंच ही नहीं पाता है।

हमारे प्रदेश के अन्दर आपने, जो रिबेट दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया है। इससे किसानों में हाहाकार मची हुई है। इस पर आप पुनर्विचार करने की कृपा करें और जो रिबेट उनको पहले दिया जा रहा था वह दिया जाय।

[श्री हिम्मतसिंह]

नहर विभाग में बहुत धांधली मची हुई है। उसको दूर करने का एक ही रास्ता है और वह यह कि इसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी जाय जो इस बात की जांच करे कि कौन-सी स्कीम्स प्रोडक्टिव हैं और कौन सी अनप्रोडक्टिव। राम स्वरूप जी वर्मा ने बताया कि कुल १२५ करोड़ रुपये खर्च में से ६७ करोड़ प्रोडक्टिव पर और ६० करोड़ अनप्रोडक्टिव पर है यानी दोनों पर खर्चा बराबर कर दिया। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि २४ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी खर्च करने से बाकी है। जब हम इस आंकड़े को देखते हैं तो मालूम होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल ३०.०८ करोड़ रु० खर्च करने के लिये दिया गया था, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केवल १४ करोड़ रुपया ही खर्च हो सका और बकिया क्यों नहीं खर्च हो पाया, इसको भी वे बतलाने की कोशिश करेंगे। सरकार किसानों को तो अधिक अन्न उपजाने के लिये कहती है, लेकिन गवर्नमेंट जो अपनी बड़ी-बड़ी योजनायें बनाती हैं उससे किसान लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उसकी योजनायें समय पर पूरी नहीं हो पातीं। इसमें क्या त्रुटियां हैं इसके लिये फिर आपको एक कमेटी बैठानी पड़ेगी जो इस बात की पड़ताल करके बतला सके कि फलां-फलां जगह कमी है जिसकी वजह से वह अपना पूरा-पूरा पैसा भी नहीं खर्च कर पा रही है।

आज हमारे यहां प्रदेश में ठेकेदारों के जरिये जो कार्य होता है वह भी बहुत ही त्रुटिपूर्ण हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बांध टूट गया और दोबारा मरम्मत में उसी कंकड़ को ठेकेदार फिर इस्तेमाल करते हैं जिनमें ठीक से सीमेंट चिपक भी नहीं पाती। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी बातों को देखते हुए आपके नहर विभाग को हर तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी ढीले रहे तो इस विभाग में बराबर भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जायगा।

श्रीमन्, जब चौधरी चरण सिंह इस विभाग के मंत्री हुए थे तो सारे विभाग के अन्दर एक तहलका सा मच गया था और लोगों में एक जान पड़ गयी थी कि अब उनकी सारी शिकायत दूर हो जायगी। इसी तरह से अगर माननीय मंत्री जी अपने विभाग के कार्य को देखेंगे तो उससे जनता का लाभ होगा और प्रदेश में सुख शान्ति की व्यवस्था होती चली जायगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की है। श्रीमन्, सिंचाई के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसके पूर्व मैं मंत्री महोदय को १३ वर्ष के कार्य को देखते हुए बधाई भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, आज हाउस में जो १३ वर्ष के अन्दर सिंचाई सम्बन्धी कार्य हुए हैं उनके सम्बन्ध म अनेकों प्रकार की आलोचनायें हुई हैं, किन्तु १३ वर्ष के अन्दर जो कुछ भी किसानों की भलाई के लिये सिंचाई विभाग द्वारा काम किये गये हैं उससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। मैं भी देख रहा हूं कि १३ वर्ष पहले प्रदेश में सिंचाई की इतनी सुविधा नहीं थी जितनी कि १३ वर्ष के अन्दर सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त हुई है। आज मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के कोने-कोने में नहरों का जाल सा बिछा गया है और किसानों को नहरों से सिंचाई की काफी सुविधा उपलब्ध हुई है। सिंचाई के लिये प्रदेश के कोने-कोने में ट्यूबवेल्स के जरिये भी काफी सुविधा दी गयी है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस में ट्यूबवेल्स या नहर की व्यवस्था न हुई हो। साथ ही साथ नहर विभाग की तरफ से कुओं के लिये भी काफी सुविधायें दी गयी हैं, रहट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भी व्यवस्था की गयी है। इन सारी व्यवस्थाओं से किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इन सारे कार्यों को देखते हुए मैं माननीय सिंचाई मंत्री को इसके लिये बधाई देता हूं।

इसके साथ ही मैं आपके द्वारा अपने जिले की स्थिति की ओर भी माननीय महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जिले बलिया में १८ ब्लाक्स हैं और हर ब्लाक के अन्दर नहर और ट्यूबवेल्स की व्यवस्था है। लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बलिया में हमारे यहां १८ ब्लाक हैं और उन में से १५ ब्लाक ऐसे हैं कि जिनमें नलकूप लगे हैं। इस के सम्बन्ध में जब अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक बैठी थी उस समय मुझे एक लिस्ट देखने को मिली थी। उसके द्वारा मुझे जानकारी हुई कि प्रत्येक ब्लाक में जो दस पांच ट्यूबवेल्स लगे हैं, इसके बावजूद भी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहीं दस, कहीं आठ, कहीं १५ नलकूप स्वीकार हुए हैं, लेकिन इस लिस्ट को देखने से मालूम हुआ कि नवानगर और पन्दह ब्लाक में, नवानगर में तो एक भी नहीं पन्दह में केवल २ नलकूप हैं और कोई स्कीम वहां ट्यबवेल लगाने की नहीं है। इसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भी नलकूप लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है। यह ब्लाक मेरे क्षेत्र में पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि बलिया के इन ब्लाकों में सिंचाई की क्या व्यवस्था की जा रही है। यह जरूर है कि थोड़ी बहुत नहरें वहां पर हैं, लेकिन वे भी केवल इन दोनों ब्लाकों के दक्षिणी क्षेत्र में हैं जो उसी हिस्से को सुविधा दे सकती हैं, लेकिन इन दोनों ब्लाकों के उत्तरी भाग में न नहर है और न नलकूप की व्यवस्था है और न भविष्य में व्यवस्था की कोई स्कीम है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन ब्लाकों के लोगों से कौन सा ऐसा कसूर हुआ है कि इन ब्लाकों के लोगों के लिये न तो कोई नहर की ही व्यवस्था है और न नलकूप लगाने की ही योजना है ? मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अपनी जानकारी करायें और जांच करायें। मैं मंत्री जी को आश्वासन दिलाता हूं कि इन दोनों ब्लाकों के गांवों में काफी सिंचाई योग्य जमीन है और उससे सिंचाई की व्यवस्था होने से काफी अच्छी पैदावार हो सकती है।

इसके अतिरिक्त श्रीनगर तुरतीपार बांध और घाघरा के बीच में भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जहां की बहुत उपजाऊ जमीन है और वहां अच्छी पैदावार हो सकती है, लेकिन वहां सिंचाई का साधन न होने से पैदावार में काफी कमी हो गई है। वहां पर नहर तो नहीं जा सकती, लेकिन वहां पर समतल जमीन है और इस वास्ते नलकूप से सिंचाई हो सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां ट्यूबवेलों की व्यवस्था करा दें ताकि वहां के लोग भी सरकार की ओर से सिंचाई के साधनों का लाभ उठा सकें।

साथ ही साथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारे यहां बलिया में जितनी नहरें बनी हैं उनमें कुछ हद तक तो जमीन का मुआवजा दिया गया है जहां कि नहरें बनाई गई हैं, लेकिन सिकन्दरपुर क्षेत्र के गांवों में मैंने स्वयं दौरा किया है, वहां के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और जिन की जमीनें और खेत नहर में आ गये हैं उन से अभी तक लगान वसूल किया जा रहा है। इस तरफ भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह किसानों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें और उन का लगान भी अब वसूल न करने के आदेश दें।

इसके अलावा श्रीमन्, सिकन्दरपुर क्षेत्र के उत्तर में घाघरा के किनारे कठौरा का रेगुलेटर बनाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाय। ४ वर्ष से मैं इसकी कोशिश में हूं और मैंने प्रयास भी किया, लेकिन अब मैं माननीय मंत्री जी और चीफ इंजीनियर साहब का आभारी हूं कि ४ साल के प्रयास के बाद इस साल इस रेगुलेटर का बनना स्वीकार हुआ है।

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

परन्तु अभी तक उसका बनना शुरू नहीं हुआ है और इस विषय में मैंने असेम्बली में सवाल भी किया था और सरकार ने जवाब भी दिया था कि इस बांध के टूटने से प्रतिवर्ष लाखों पए की क्षति होती है। जो आज कार्य धीमी गति से चल रहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि इस बरसात के अन्दर इस रेगुलेटर का काम पूरा नहीं हो पाएगा। लिहाजा मेरी प्रार्थना है कि कठौरा के रेगुलेटर बनाने के संबंध में कुछ तेज रफ्तार करने की माननीय मंत्री जी कृपा करें ताकि १४ गांवों के किसानों को जो मुसीबत उठानी पड़ती है उससे वह बच जायं।

श्री नगर तुरतीपुर बांध जो करीब-करीब मुकम्मिल हो गया है बीच में सीसोटार गांव के पास तीन-चार फरलांग की दूरी तक अधूरा रह गया है। जब पूर्व से पश्चिम तक पूरा बांध मुकम्मिल हो गया तो बीच में ४ फरलांग छोड़ देने का क्या कारण है? जो अधूरा काम रह गया है उसे पूरा करा देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान है उसमें जो कटौती का प्रस्ताव श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उस समय हमारे सूबे की जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से अनाज की पैदावार नहीं बढ़ रही है और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे सिंचाई के जो साधन हैं वह सीमित हैं। जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से सिंचाई के साधन बढ़ाए जायं तो अनाज की समस्या हल हो, लेकिन इस तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं और वह यह हैं कि जो छोटे-छोटे सिंचाई के साधन थे वह धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। गांवों के अंदर कुंए, तालाब या जो छोटी-छोटी झीलें थीं वह आज नष्ट सी हो रही हैं। जिन कुओं से पुराने जमाने में पानी लिया जाता था, सिंचाई होती थी, आज उनकी नहरों की वजह से कैपेसिटी कम हो गई है। तो जो छोटे साधन हैं गांवों के उनको प्राथमिकता दी जाय। माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को अपने भाषण के दौरान में मान लिया है कि सिंचाई के छोटे साधनों की तरफ ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जमीन अब भी कृषि के लिए निकल सकती है। जो ड्रेन निकालने की योजना है उसको पूरी तरह से छान बीन की जाय तो निकल सकती है। कुछ ड्रेंस ऐसी हैं कि कुछ जगह कंट्रेक्टर्स ने छोड़ दी और पूरी तरह से झीलों का पानी नहीं निकलता है और गांव के किसानों को ड्रेनों से उचित फायदा नहीं पहुच पाता। तो यह देखा जाय कि ड्रेन खुदने के बाद अच्छी तरह से साफ भी होनी चाहिये और देखा जाना चाहिये कि उनका पानी निकलता है या नहीं। होता यह है कि जब गांव के रास्ते रुक जाते हैं, बैलगाड़ियां आना-जाना बन्द हो जाती हैं तो गांव के लोग कुछ मिट्टी डाल देते हैं और ड्रेंस का पानी निकलना बन्द हो जाता है।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि अभी तक जो सिंचाई योजना के अन्तर्गत खर्च किया गया है उस अनुपात से जो फायदा जनता को पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचता है। खर्चा अधिक हुआ, लेकिन फायदा वास्तव में उतना नहीं पहुंच रहा है। जरूरत इस बात की है कि यह देखा जाय कि इस बढ़ते हुए संकट में जहां पर कि अनाज की समस्या नहीं हल हो रही है, उस संकट को हल करने के लिये सिंचाई की योजना किस तरह से कार्यान्वित की जाय कि उससे गरीब जनता, गांव के किसान और गांव के लोग जो खेती कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंच सके। यदि हम इस तरफ अपनी निगाह न रखें तो हालत खराब होगी। ११ साल से जिस समस्या को हल करने के लिये सरकार जुटी हुई है, प्लानिंग विभाग जुटा हुआ है, रबी आन्दोलन और खरीफ आन्दोलन हुए ताकि अनाज की पैदावार बढ़े, लेकिन होता यह है

कि आन्दोलन तो चलाये जाते हैं, रासायनिक खाद दी जाती है और किसान उस खाद को खेतों में छोड़ता है, लेकिन पानी समय पर नहीं मिलता है जिससे जो भी उसकी फसल होती है वह जल जाती है। जरुरत इस बात की है कि सरकार की तरफ से गारन्टी होनी चाहिये किस समय में नहर और ट्यूबवेल चलेंगे और लोगों को पानी मिलेगा। प्लानिंग विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग यह तीनों जिम्मेदारी महसूस करें, तब कहीं अन्न की समस्या सिंचाई के द्वारा हल हो सकती है। अगर इधर ध्यान नहीं दिया गया तो अन्न की हालत खराब होती जायगी।

इसके अलावा इस समय भी जो सरकार की ओर से नहरें खोदी जाती हैं, ट्यूववैल बनाये जाते हैं उनमें काफी देर होती है। कारण यह है कि जमीन का मुआवजा बहुत दिनों के बाद मिलता है और किसानों को काफी परेशानी, दौड़धूप करनी पड़ती है। इसीलिये योजना देर में कार्यान्वित होती है। अतः इस बात की जरूरत है कि ऐसे कामों में जल्दी की जाया करे और लोगों को उनकी जमीनों का मुआवजा, जो सरकार द्वारा अर्जित की गई हैं शीघ्र मिल जाया करे और कार्य शीघ्र किया जाया करे। अगर इन कामों में देर होगी तो नतीजा किसान को भुगतना पड़ेगा।

सब से मुख्य बात यह है जिस समय पुरानी सरकार गई और नई सरकार आयी तो जनता में संतोष की लहर पैदा हुई कि इस सरकार के आने पर संभव है कुछ सुविधा मिले। लेकिन उल्टा हुआ। आज से कई साल पहले १९५४ में तीन आना की सिंचाई की दर में छूट मिली थी, उसको भी वापस ले लिया गया। जब गरीब किसान की कमर टूटी हुई है, जिसमें पैदा करने की क्षमता नहीं है, उसके बैल मजबूत नहीं हैं वैसी हालत में सिंचाई की दर बढ़ा करके किसान की बरबादी की जाय, यह कहां तक मुनासिब है? इससे उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। इसलिये जरूरत यह थी कि सिंचाई की छूट को वापस न किया जाय और मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो छूट वापस ली है इसको छोड़ दे।

पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये सिंचाई की योजनायें बनायी गई हैं, जैसे जमुना स्कीम, गंडक सारदा विस्तार योजना, इन कामों को जल्दी से पूरा किया जाय। सरकार कहेगी कि इन कामों को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दूसरे विभाग दूसरी स्कीमें सोचें और वे स्कीमें सरकार के पास हों जिनसे इस खर्चे को परा किया जा सकता है तो किसानों के ऊपर नये टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अब मैं अपने जिले के संबंध में २, १ बातें कहना चाहता हूं। मालूम होता है हमारे जिले से सरकार को कुछ विशेष दुश्मनी है। पहली, दूसरी योजना समाप्त हो गई, तीसरी शुरू होने वाली है, लेकिन उन्नाव जिले एक भी ट्यूबवैल नहीं बना सरकार की ओर से। अभी तीसरी योजना के संबंध में जब यहां सवाल रखा कि सरकार बतायेगी कि हमारे यहां कितने मील लम्बी नहर, कितने ट्यूबवैल तीसरी योजना में बनेंगे ? तो सरकार की तरफ से कहा गया न एक इंच नहर बनेगी और न एक ट्यूबवैल बनेगा और न एक ट्यूबवैल बनाया गया। तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार यह बतला सकती है कि यह जिला पूरे तौर से सिंचित जिला हो गया है? क्या वहां इर्रीगेशन के इतने साधन बढ़ गये हैं जिनकी वजह से वहां पानी की आवश्यकता नहीं रह गयी है ? मैं यह कहूंगा कि सरकार जो उदासीनता उस जिले की ओर बरत रही है उसे हटाये और वहां भी एक ऐसी योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पेश करे जिससे वहां नहरें निकलें तथा ट्यूबवैल बनें।

मुझे यह भी कहना है कि सिंचाई योजना के अन्तर्गत गांव के छोटे-छोटे तालाबों के या तो बड़े बड़े आदमियों ने अपने नाम पट्टे करवा लिये हैं या कुछ ऐसी स्कीमों के आधार पर उनका पानी निकाला जाता है जिससे गांव के छोटे-छोटे किसान आबपाशी करते थे। होता यह है

[श्री सजीवनलाल]

कि पानी निकल गया और पानी निकल जाने के बाद वे किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन गांवों में न नहरें हैं न ट्यूववैल हैं। उनका सहारा यही छोटे-छोटे तालाब हैं जिनसे वे खेत सींचते और छोटे-छोटे खेतों से संबंधित धन्धे चलाते हैं। लेकिन जब पानी निकल जाता है, गांव की जमीन सूखती है तो वह जमीन भी सूखती है जिस पर कृषि होती है। नतीजा यह होता है कि इन गांवों की पैदावार घटती है। ऐसी जगहों पर जहां तालाबों के पट्टे हो गये हैं उनको खारिज किया जाय और उनकी सुरक्षा की जाय ताकि उनमें पानी भरा रहे और उस पानी से किसान आबपाशी कर सकें। जब तक ट्यूबवैल या नहरें इन गांवों में नहीं बनती हैं तब तक तालाबों से पानी नहीं निकालना चाहिये।

एक सुझाव मेरा सरकार के सामने यह है कि हमारे सूबे के अन्दर ऊसर भूमि बहुत पड़ी हुई है। ऊसर भूमि के सुधार में नहर का पानी चाहिये। उसमें धान की खेती अच्छी तरह से हो सकती है। तो इन जगहों पर कुछ समय के लिये सरकार की तरफ से फ्री पानी दिया जाय। इससे ऊसर जमीन में लाखों मन धान तथा अन्य अनाज पैदा हो सकता है। ऐसी जगहों के लिये मैं चाहता हूं कि साल, दो साल के लिये फ्री पानी दिया जाय। जब पैदावार बढ़ जाय तो उसके बाद फिर सरकार अपना महसूल वसूल करे।

मेरे जिले में तोंदा मायनर है। बैंक की तरफ से अनुदान तथा स्वीकृति मिल गयी है कि उसको बढ़ा दिया जाय, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसे बढ़ाया नहीं गया, मामला उलझा पड़ा है जिससे वह मायनर नहीं बढ़ पा रही है। अगर यह मायनर इस साल खुद जाती तो न जाने कितने हजार मन धान इस वर्ष पैदा हो जाता। इसी तरह से कुसेर मायनर है। उसके पास ७ फर्लांग ५० फीट पर एक नल लगा हुआ है। एक बाअसर शख्स हैं जिनके पास १,९०० बीघे जमीन है। उन्होंने उस नल को उखड़वा दिया है। उससे छोटे-छोटे किसान अपनी जमीन सींचते थे। अगर उस नल को लगवा दिया जाय तो उससे किसानों को सुविधा हो जायगी। मैं देखता हूं कि जो अधिकारी हैं वे बड़े काश्तकारों के हाथ में हैं और वे उनकी हां में हां मिलाते हैं और छोटे-छोटे किसानों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अनुदान इस सदन के सामने प्रस्तुत किया।

अधिष्ठाता महोदय, पेश्तर इसके कि मैं कुछ और बातें कहूं, मैं यह कहूंगा कि मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारे सिंचाई मंत्री जी स्वयं एक किसान हैं और स्वयं किसान ही नहीं, बल्कि मेरा अनुभव अपना यह भी है कि उनको किसानों से हमदर्दी भी बहुत है। एक बार दो दिन का प्रोगाम उन्होंने मेरे जिले में लगाया था। बड़ी हमदर्दी के साथ उन्होंने किसानों की बातों को सुना और केवल बातों को ही नहीं सुना बल्कि जो समस्यायें उनके सम्मुख किसानों ने पेश कीं उनको बिला लिहाज इस बात के कि कानून क्या कहता है, कागज क्या कहता है, बजट क्या कहता है, उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया। यही कारण है कि आज वे किसान सचमुच सिंचाई मंत्री जी को याद करते हैं। परन्तु जो आज एक नयी समस्या किसानों के ऊपर उत्पन्न हुई है उससे मुझे सिंचाई मंत्री जी के प्रति संदेह तो नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि जो सिंचाई की दरें बढ़ाई जा रही हैं वह किसानों के लिये बहुत चिन्ता का विषय है और सिंचाई मंत्री जी के लिये भी एक चिन्ता का विषय है। मुझे इसमें पूर्ण विश्वास है कि सिंचाई मंत्री जी किसानों की हालत को समझते हुए अपने दृष्टिकोण को सरकार के सामने रखेंगे और मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि सरकार में उनकी यह बात नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चल पायेगी । लेकिन यदि यह भी समझ लिया जाय कि उनकी बात सरकार में नहीं चलती तो मेरा विश्वास यह है कि प्रदेश के किसानों की इतनी बड़ी तादाद जिस पर बराबर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं और सिंचाई की दरें आज के समय में बढ़ाना उन कठिनाइयों को और बढ़ाना है किसानों की इस हालत को समझते हुए सरकार के सामने वह उस दृष्टिकोण को रखेंगे और किसानों को इस कठिनाई से छुटकारा दिलायेंगे । ये सरकारें आनी जानी हुआ करती हैं और ये मंत्री पद भी आने जाने हुआ करते हैं, इसका मंत्री जी को अनुभव भी है, लेकिन जनतंत्र में ही नहीं, तानाशाही में भी जो कोई भी जनहित में काम कर जाता है वह हमेशा के लिये अमिट होता है। आप इस मंत्री पद की परवाह न करते हुए प्रदेश के किसानों के हित में यदि इस मंत्री पद से त्याग पत्र भी दे दें तो मेरा विश्वास यह है कि आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और वह किसान जो आपको सचमुच अपना रहबर समझता है, सचमुच जो किसान समझता है कि आपके दिल में किसान का दर्द है, मेरा अपना ख्याल यह है कि आपके इस दृष्टिकोण से आपका और इस प्रदेश का अधिक हित हो सकेगा ।

एक बार दलील दी गयी कि किसान की पैदावार के कुछ दाम बढ़ गये हैं । मैं बहुत आंकड़े तो नहीं रखता, लेकिन यह बात बिलकुल सही है कि सन् ५४ में जब सिंचाई की दरें कम की गयी थीं उस समय में और आज में किसानों की पैदावार का जो भाव है वह बढ़ने के बजाय कुछ जिन्सों का तो और कम हुआ है। यदि वह आंकड़े उस समय के दिये हों जब किसान के घर में पैदा होता है तब तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब किसान को खरीदना पड़ता है उस समय के भाव अगर देखे जायं तो उसमें बहुत अन्तर आज भी है। मैं विश्वास करता हूं कि आप किसानों की इस मांग पर अड़ेंगे और उनकी कठिनाइयों को दूर कर पायेंगे ।

सवाल होगा इस बात का कि रुपये की बहुत कमी है तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाने के लिये । मंत्री जी को जनता और सरकार, दोनों का अनुभव है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । सरकार कुछ ऋण दिया करती है, मिल-मालिकों को भी और उद्योगपतियों को भी मेरी राय है कि उस ऋण को सरकार वसूल ही कर ले, वह दो करोड़ से बहुत ज्यादा होगा और उसका वसूल करना उनके लिये लाजिमी है, कर लेना चाहिये । मेरी जानकारी में तो यह भी है, मैं अपने जिले की जानता हूं और पड़ोस के जिलों की भी जानता हूं, कि इंडस्ट्री के नाम से होशियार लोगों ने सरकार से कर्जा ले लिया है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है। आप लिस्ट मंगा लीजिये । एक तरफ तो सरकार को धोखा देकर लोग रुपया ले जाते हैं और सरकार उसको वसूल नहीं कर पाती और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर टैक्स का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। यह सरकार के लिये अच्छा नहीं है और उसे वसूल करना चाहिये ।

इसके अलावा अन्य बहुत से साधन ऐसे हो सकते हैं कि बिला किसी कठिनाई के रुपया बढ़ाया जा सकता है और फिर आजकल अपने यहां बचत आन्दोलन चल रहा है । इसमें बचत करीब आठ करोड़ की होगी, ऐसा मैंने कई दफा मुख्य मंत्री जी के स्टेटमेन्ट्स में पढ़ा है । जब इतनी बड़ी बचत कर रहे हैं तो आप देखें कि कितनी ही ऐसी योजनायें हैं जिनसे जनता का कोई हित नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वह चलाई जा रही हैं । कितने ही सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनको यदि तोड़ दिया जाय तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपके यहां इम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से कोई फायदा नहीं है। मेरे खयाल से जिस देश में बहुत बड़ी बेकारी हो वहां ऐसा दफ्तर रखें जो बेकारों को रोजगार दिलाये तो यह एक उपहासमात्र है। इसलिये इस को तथा समाजकल्याण विभाग को तोड़ा जा सकता है और रुपये बचाये जा सकते हैं । किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए सिंचाई की जो छूट खत्म की गयी है उसको वापस करें ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

मैं आपके मुहकमे की एक बात बताता हूं। हमारे यहां एक नहर माट ब्रांच है। उसको चौड़ा किया गया और हर पुल तोड़कर बनाया गया है और दूसरी नहर ओखला से निकली है। इसके भी पुलों को तोड़कर बनाया गया। लेकिन पानी नहीं बढ़ा। जब सरकार की योजना सही है और सही चलती है तो पानी न बढ़ने का क्या कारण है? एक दलील दी जाती है कि बर्फ पिघला नहीं। आपके तो बेकार में करोड़ों रुपये खर्च हो गये। एक बार आप उस इलाके में जा चुके हैं और आपके द्वारा अलीगढ़ बुलन्दशहर में एक योजना चालू की गई थी। उस समय ट्यूब बैल लगाये गये। उसका किसानों ने विरोध किया था। हमारे मंत्री जी उस समय भी सिंचाई मंत्री थे और आज भी हैं। उस समय आपने कुछ आश्वासन दिये थे। आज मैं फिर आपको वहां ले जाना चाहता हूं। जो रकबा कैनाल से सींचा जाता था उसमें भी कोई इंतजाम नहीं है। ट्यूबवेल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। नहर के कमांड एरिया में भी सिंचाई का कोई साधन नहीं है और आपके वायदे बेकार सिद्ध हुए। नुकसान यह हुआ कि कैनाल की गूलों वगैरह में किसान की जमीन घिरी हुई है और इधर ट्यूबवेल की नालियों वगैरह में भी उसकी जमीन ली जा रही है। जब देश में अन्न संकट हो तो आपकी योजनाओं में किसान की जमीन घिर जाय और किसान को न तो नहर से पानी ठीक से मिलता हो और न ट्यूववैल से ही पानी ठीक से मिलता हो तो किसान को बड़ी कठिनाई हो जाती है। आप वहां चलेंगे तो देखने को मिलेगा और आपके भूतपूर्व सिंचाई मंत्री गिरधारी लाल जी भी गये थे और आपके उच्च अधिकारियों ने तस्लीम किया कि सचमुच में यह योजना गलत बन गई। इस योजना का कोई फायदा नहीं हुआ, न आगरा मथुरा को पानी मिल पाया और हमारे यहां का पानी कम हो गया। इस तरह की कुछ बातें हैं। यदि आप बहुत सख्ती के साथ यह सोचें कि कौन सी योजना से कितने समय में कितने खर्च से कामयाब होगी तो मेरा विश्वास है कि आप की कितनी ही प्लानिंग की योजनाएं हैं जिनसे रुपया बच सकता है। अगर हमारा बचाने की तरफ ध्यान नहीं गया और बराबर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता रहा तो यह देश के हित में नहीं होगा।

कहा जाता है कि पूर्व में जो नहरें, ट्यूबवेल बनाये गये हैं वह कुछ घाटे में चल रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह घाटे की योजना क्यों चलायी जा रही है। शुरू में किसान पानी लेने का आदी नहीं होता। यह हर नहर का तजुर्बा है। किसान को स्वयं कुछ दिनों में फायदा मालूम होगा। मेरा यह भी विश्वास है कि किसान ही नहीं, जमीन को भी पानी की आदत देर में होती है। जो जमीन खाकी होती है उस को धीरे धीरे जैसे ही पानी मिलता जायगा उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है। पूर्व में योजनाएं जरूर घाटा देती होंगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व के किसान कभी भी पानी लेने के लिये तैयार नहीं होंगे आपकी योजना एंबढेंगी और जरूर बढ़ेंगी।

एक आप की योजना गावों को ऊंचा करने की चली थी। मेरे इलाके में यमुना और हिंडन का दोआबा है। सिंचाई मंत्री जी उसमें जा चुके हैं। वहां पर उन्होंने आदेश दिया था कि कुछ गांवों को ऊंचा किया जाय। वहां यमुना और हिंडन के बीच जो ८० गांव हैं हर वर्ष बाढ़ आने पर १५ मील तक पानी ही पानी नजर आता है। वह योजना शुरू ही हुई थी कि उसको बन्द करने के आदेश दे दिये गये। मेरा विश्वास है कि चाहे पूर्वी जिलों में गावों को ऊंचा करने की योजना असफल रही हो लेकिन मेरे यहां जिन गांवों को ऊंचा किया गया है उनको बाढ़ के समय अपने गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अपना बीज और खाद बचा लिया। मवेशी भी वहां रह पाये और बहुत सी कठिनाइयां जो स्थान परिवर्तन के कारण हुआ करती हैं वह सचमुच दूर हुई हैं।..इस लिए जो गावों को ऊंचा करने की योजना है उसको सिंचाई मंत्री जी चालू रखने की कृपा करेंगे। गांव के लोगों को इस योजना से फायदा हुआ है। उसको देखते हुए इस योजना पर यदि और ज्यादा व्यय करें तो मेरा विश्वास है कि इस योजना से गांव वालों को फायदा होगा।

मैं अन्त में सिंचाई मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वह स्वयं किसान हैं, किसान का दिल भी रखते हैं और किसानों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में वह सचमुच वैसे हैं जैसे एक साधारण जन को होना चाहिए। उसी दृष्टि को लेकर वह प्रदेश के किसानों का कल्याण कर सकेंगे यह मेरी उनसे आशा है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस अनुदान के ऊपर कुछ सुझाव और जो विभाग में कमियां हैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। श्रीमन्, इस विभाग में १९४७ से लेकर आज तक जितना खर्चा हुआ है मुझको भली प्रकार विदित है कि कितने ही बांधों के बनाने में जितना अनुमान लगाया गया था उससे दस, बारह गुना बढ़ोत्तरी हुई, जो उस पर रुपया व्यय हुआ। मैं चाहूंगा कि सरकार इसके लिए कोई जांच कमेटी बनाये और इसके पहले जो कमेटियां बन चुकी हैं और जांच कर चुकी हैं उनकी रिपोर्टों से सदन के सदस्यों को अवगत करायें कि इस प्रकार की बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं।

श्रीमन्, मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि सिंचाई दर में जो छूट दी गयी थी वह इस सरकार ने वापस ले ली है। इधर अन्न बढ़ाने के लिए प्लानिंग तथा दूसरे विभाग द्वारा करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा अन्नोत्पादन बढ़े और उधर जब किसान को सुविधाएं देने का सवाल आता है, तो जो रिआयतें उनको सिंचाई में दी गयी थीं वह भी वापस ली जाती हैं। श्रीमन्, हवा और पानी कुदरत की तरफ से मुफ्त हैं। यह शर्म की बात है कि इन्हें बेचा जाय। परन्तु समझ में नहीं आता कि जो एक रिआयत दी भी गई थी वह भी आज वापस ली जा रही है।

आज अगर आप देखें तो इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि सिंचाई विभाग में जो दफ्तरों के ऊपर और बंगलों के ऊपर खर्च किये गये हैं वह इतने अधिक खर्च हुए हैं कि उनसे बहुत थोड़े खर्चे से भी काम चल सकता था। मैं चाहूंगा कि इसकी भी जांच की जाय कि भवन निर्माण आदि पर जो खर्च हुआ है उससे कम खर्चे में भी काम चल सकता था या नहीं, या जिस तरीके से कि भव्य भवन बनाये गये हैं उन्हीं से काम चल सकता है? अभी हाल में जब राष्ट्रपति गोरखपुर गये थे तो उनके ठहरने के लिए कैनाल का ही बंगला मिला, और कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। तो इससे यह साबित होता है कि इस विभाग ने किस कदर भवन आदि के निर्माण पर रुपया खर्च किया है जबकि यह पैसा बचाकर अन्य कामों में लगाया जा सकता था और सिंचाई की अन्य स्कीमें बनायी जा सकती थीं।

श्रीमन्, मैं बड़ी बड़ी नहरों के बनाने के पक्ष में नहीं हूं। इसमें प्रदेश की उपजाऊ भूमि अधिक निकल जाती है। हमें देश में अन्न की पैदावार को बढ़ाना है और इस प्रकार की जमीन जब बड़ी बड़ी नहरों में निकल जायगी तो मौजूदा जमीन जिस पर खेती होती है उसके रकबे में कमी आयेगी और उत्पादन पर उसका काफी असर अवश्य पड़ेगा। इसलिए छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं पर अधिक बल दिया जाय और रहट के कुएं तथा छोटे नलकूप बनाये जांय और जो यह करोड़ों रुपया नहरों के लिए खर्च करने हेतु रखा गया है वह उसमें न खर्च करके उससे छोटे छोटे सिंचाई के साधन बनाये जा सकते हैं जिससे कि जमीन की भी बचत होगी और सिंचाई में भी और ज्यादा फायदा होगा। इसलिए सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे और छोटी छोटी सिंचाई की योजनाओं को प्रोत्साहित करे। आज जो छोटे नलकूप बनाये जाते हैं उन पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। आप श्रीमन्, जब पिछले साल गोंडा गये थे तो मैंने आपके सामने यह बात प्रस्तुत की थी कि यहां छोटी सिंचाई की योजनाओं पर कुछ सरकार द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। आपको शायद स्मरण भी हो। लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुई हालांकि यह गत वर्ष की बात है। तो मैं चाहता हूं कि छोटे ट्यूबवेल जो लगायें उनको सरकार कम से कम ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में दे और जो तकावी में रुपया दिया जाता है उन पर सूद नहीं पड़ना चाहिए तथा पुराने कुओं और रहट के कूप सरकारी पैसे से बनवा दे। यह एक

[श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह]

सुझाव मेरा है जिससे कि छोटे छोटे नलकूप लग जायेंगे और यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि इससे ज्यादा फायदा होगा। बड़े नलकूप लग जाने से यह भी डर रहता है कि अगर कहीं वह फेल हो गया तो एक बहुत बड़ा एरिया सिंचाई से वंचित रह जायगा। अगर छोटे छोटे नलकूप होंगे तो एकाध के फेल हो जाने पर भी काम चल जायगा। इसलिए रहट के कुओं को बनाने और छोटे छोटे नलकूपों को लगाने में सरकार से ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

हमारे गोंडे जिले में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के कई ट्यूबवेल्स हैं और बलरामपुर स्टेट में भी रियासत के जमाने के कुछ ट्यूबवेल्स थे। सहकारी समितियों ने सरकार से अपने जिले के द्वारा प्रार्थना की कि हम ट्यूबवेल चलाने में असमर्थ हैं। सिंचाई विभाग अगर इनको उचित मूल्य पर ले ले तो हम हस्तान्तरण करने के लिए तैयार हैं। जिले से भी लिखकर के सिंचाई विभाग के पास आया होगा, लेकिन अभी तक न कोई मूल्य निर्धारित हुआ और न कोई ट्यूबवेल सरकार ने लिये। अगर सरकार उनको ले लेती तो निश्चय ही उन क्षेत्रों में सिंचाई का इन्तजाम हो जाता जहां कि वह आज फेल पड़े हुए हैं।

दूसरी एक चीज श्रीमन्, यह हुई है कि हमारे जिला गोंडा में बहुत से ट्यूबवेल गलत जगह पर लग गये हैं, जैसे तरबगंज की एरिया में, जो कि बेकार पड़े हैं और उनसे कोई सिंचाई नहीं हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह जो लाखों रुपया प्रदेश का बेकार गया उस तरफ सरकार ध्यान दे और भविष्य में गलत जगह पर ट्यूबवेल न लगाये जांय जहां की जनता उनसे पानी न ले या जहां उनको जरूरत ही नहीं है। तो यह एक तरह की गलत प्लानिंग हो रही है, जिस तरफ माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान होना चाहिए।

एक और कठिनाई जो आज जनता के सामने है वह यह है कि उनकी भूमि जो नहरों तथा पूलों आदि में ले ली जाती है उसका उनको न तो पूरा मुआवजा दिया जाता है और यदि मुआविजा दिया जाता है तो प्रचलित बाजार के रेट से बहुत कम मुआविजा दिया जाता है। पता नहीं कि कौन से कानून के मातहत यह जमीन ली जाती है जिससे इस प्रकार से मुआविजा उन गरीबों को दिया जाता है। आज प्रदेश में जो प्रचलित रेट भूमि का है, गरीब किसानों को वह उचित दाम सरकार नहीं देती। जो सरकार अपने को जनप्रिय सरकार कहती है वह जब जनता को ज्यादा देना होता है तो अपनी आंख मूंद लेती है, यह कितने ताज्जुब की बात है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि जो उचित मूल्य भूमि का हो वह उनको दिया जाय। जमीन एक्वायर जब से हो, रेविन्यू रिकार्ड में देखकर इस प्रकार के आदेश दिये जांय कि उनसे लगान उस समय से न लिया जाय, जिस समय वह जमीन सरकार के हाथ में आ जाय। इस प्रकार से नहीं कहा जाना चाहिये कि अभी वह राजपत्रित नहीं हुई है। यह चीज मानने योग्य नहीं है। जब सरकार उसको ले ले तभी से उसका प्रबन्ध होना चाहिये।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी जनप्रिय सरकार ने सिंचाई की छूट को वापस लिया और यह कारण बतलाया है कि किसानों की अब आमदनी बढ़ गई है और जमीन की अब पहले से पैदावार में इजाफा हो गया है। जरा सोचने की बात है कि जिस समय से यह छूट दी गई है तब से किसान की आमदनी कितनी बढ़ी है। सन् १९५८-५९ में रूरल एरिया की आमदनी १९३.५ थी और सन् १९५९-६० में वह आमदनी १९१.१ हो गई। अब सोचा जाय कि किसान की आमदनी कितनी बढ़ी है। जब आमदनी बढ़ी नहीं है तो फिर यह छूट कम करने का क्या कारण है? मन्त्री जी को इस पर विचार करना चाहिये और इस रियायत को वापस नहीं लेना चाहिये। सरकार ने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। मगर सरकार उनके लिये आज कोई भी सीमा बांधने के लिये तैयार नहीं है। करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स का बकाया है मगर उसको वसूल करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसानों की आमदनी अगर कुछ बढ़ी तो उन से २५ फीसदी छूट को वापस लेने के लिये तथा और कर लगाने को तैयार हो गई। वह सरकार

जिसको जनता का विश्वास प्राप्त सरकार कहा जाता है, किसानों पर बेजा टैक्स लगा रही है। मगर मैं कहता हूं कि जनता के साथ यह विश्वासघात हो रहा है और पूंजीपतियों के साथ पक्षपात हो रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार किसानों की उपज और उनकी खुशहाली की तरफ ध्यान नहीं रखती है। उसे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को खुश रखने का केवल ध्यान रहता है। अगर वह अपने को पूंजीपतियों की सरकार कहती है तो मुझे इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि वह अपने को जनता की सरकार कहती है तो उसको लोगों को आबपाशी में छूट देने पर विचार करना चाहिये और बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये न कि छोटे मोटे किसानों को बरबाद करने के लिये इसकी स्कीम होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। साथ ही साथ मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अनुदान पेश किया है वह बहुत ही अच्छा अनुदान है और उसके द्वारा बहुत सी योजनाओं के ऊपर कार्य होने जा रहा है। जैसा कि अभी कहा गया, माननीय मन्त्री जी खुद किसान हैं और किसानों की समस्या को भली भांति समझते हैं और इसमें आपका अपना भी अनुभव है।

कानपुर जिले की कुछ समस्यायें मैंने उनको सामने रखीं। उनमें, मुख्यतः कानपुर कारपोरेशन के अन्तर्गत कुछ गांव आ गये हैं, उनके विषय में कुछ समस्यायें थीं। वहां पर सिंचाई करने के लिये अधिकारियों ने किसानों पर पानी के रेट को बढ़ा दिया था और वाटर वर्क्स के रेट के अनुसार उन्होंने सिंचाई रेट लगाये थे। जब माननीय मन्त्री जी को सूचना दी तो उन्होंने तुरन्त उसकी जानकारी करके जो पुराने सिंचाई रेट थे, उनको ही रखने का आदेश दिया। इससे मैं समझता हूं कि उनको किसानों से काफी हमदर्दी है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इस के साथ ही साथ मुझे एक बात यह कहनी है कि हमारे जिले कानपुर में जब पहली पंचवर्षीय योजना बन रही थी उस समय बिल्लौर, सकनपुर, नैला कटरा क्षेत्र के आसपास १५ नलकूप और रसूलाबाद क्षेत्र के आसपास १५ नलकूप, इस तरह से कुल ३० नलकूप बनने की योजना निश्चित की गयी थी। उस में से १५ नलकूप पहली योजना में पूरे हो जाने चाहिये थे, लेकिन धन की कमी या अन्य कारणों से वह पूरे नहीं किये जा सके और जिस तरह से प्रगति दूसरे जिलों में हुई उस तरह से हमारे जिले में नहीं हो सकी। हमारे यहां पहली योजना में चार नलकूप बने और दूसरे में चार बने। इस प्रकार कुल ३० में से ८ नलकूप बन सके। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो तीसरी योजना है इसमें वहां के लिये वे अधिक नलकूप बनाने की योजना रखें और साथ-साथ यह भी अनुरोध है कि बिल्लौर के पास नानामऊ क्षेत्र में पहले नलकूप बनाने के लिये नाप हो चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उस क्षेत्र से हटा कर नलकूप दूसरे क्षेत्र में बनाया गया। वह क्षेत्र गंगा के किनारे का क्षेत्र है। वहां कोई नहर नहीं बन सकती और न किसी नहर से उसका संबंध है। छोटी सिंचाई की योजनायें भी वहां नहीं चल सकतीं। नदी के किनारे होने के कारण जमीन इतनी ऊंची है कि किसान के बस में नहीं है कि वे छोटी योजनाओं से अपना काम चला सकें। इसलिये मेरा अनुरोध है कि नानामऊ क्षेत्र में एक नलकूप अवश्य बनाया जाय।

इस के साथ साथ, जैसा मैंने बतलाया, रसूलाबाद आदि क्षेत्र में भी कोई नहर नहीं बनायी जा सकती, न छोटे मोटे कुएं बनाये जा सकते हैं। पानी गहराई में मिलता है और इसलिये कुवें बनाने में काफी खर्च होता है। तालाब भी वहां नहीं है। इसलिये उस क्षेत्र की भी कोई खास व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री मुरलीधर कुरील]

दूसरे, नहर का वह पानी जो खारिजा कहलाता है, जो पानी काम में लाने के बाद बढ़ा हुआ पानी छोड़ दिया जाता है, उस पानी को अगर किसान ले लेता है तो उसे केवल पैसा ही नहीं देना पड़ता उसका, बल्कि उससे जुर्माना भी वसूल किया जाता है और अगर वह पानी बहने दिया जाय तो नदी नालों द्वारा बहकर बेकार चला जाता है। उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर यह कह दिया जाय कि किसान उस खारिजा पानी को अपनी सुविधानुसार उपयोग में ला सकते हैं उससे कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसान एक बार उस पानी से सिचाई कर लेंगे तो हमेशा वह पानी मांगेंगे और वह कोशिश करेंगे कि वह पानी काट लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह धारणा गलत है। ऐसी किसी किसान की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह सिचाई के लिये पानी को कटवा ले। वह पानी तो विभाग हर साल छोड़ता है। अगर किसान को जरूरत होगी तो वह उस पानी को ले लेगा और अगर जरूरी हो तो थोड़ी बहुत सिचाई उस से कस पानी के लिये ली जा सकती है।

हमारे यहां बिल्लौर तहसील में और कानपुर के कुछ अन्य भाग भी हैं, जहां पर आलू और धान की फसल काफी अच्छी होने लगी है। यह हमारे जिले की मुख्य फसलों में से है। लेकिन नहर विभाग में जो फसलें लिखी हैं उनके बोये जाने के समय ही वे पानी देते हैं और जो फसलें उनके यहां नहीं लिखी हैं उनके लिये वह पानी नहीं देते। मेरा अनुरोध है कि हमारे जिले में जो आलू व धान की फसलें होने लगी हैं उनको भी नहर विभाग अपने यहां अन्य फसलों की तरह दर्ज कर ले और फिर जिस तरह से धान आदि की फसलों को आप समय से पानी देते हैं, उसी तरह इस फसल को भी पानी देने का प्रबन्ध किया जाय। इससे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है।

इसके साथ जहां आप गांवों में बड़ी योजनाओं के साथ छोटी-छोटी योजनाओं को चालू कर रहे हैं, वहां मेरा निवेदन है कि तकावी आदि के रूप में आप जो उनको सहूलियत देते हैं उनमें कुछ वृद्धि की जाय। आप एक कुएं को बनवाने के लिये ४००या ५०० रुपये की तकावी देते हैं जब कि यह धनराशि बहुत कम है। आप उसमें एक चौथाई की छूट भी देते हैं। मैंने मालूम किया तो मुझे यह पता चला कि एक अच्छा कुआं डेढ़ हजार या दो हजार से कम में नहीं बन पाता। जो छोटा किसान होगा वह इतना रुपया खर्च नहीं कर सकता। अगर आप उनको कुछ सहूलियत देना चाहते हैं तो उनको इतनी तकावी दी जाय जिससे वे एक अच्छा कुवां बना सकें। यह धनराशि मेरी राय से कम से कम १,००० या १,५०० रुपया से कम नहीं होनी चाहिये। साथ ही साथ जो छूट आप देते हैं उसको भी बढ़ाना चाहिये। इससे बहुत फायदा होगा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि नहरें नहीं बनायी जा सकती हैं। वहां इस प्रकार के कुआं बना कर लोग अपना काम चला सकते हैं। अगर उनको इस प्रकार के कुआं बनाने के लिये सुविधा मिल जाये तो इससें काफी सिचाई हो सकती है।

इसके अलावा एक और शिकायत मेरे पास आई है और वह यह कि जब लोग अपना कुआं बनवा लेते हैं तो उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन उनकी समय से कर्मचारी लोग जांच नहीं करते। जब समय निकल जाता है तो थोड जांच के लिये जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने तो कुआं बनाया ही नहीं फिर पूरी धनराशि उनसे वापस वसूल की जाती है। इस तरह से भी काफी कठिनाइयां होती है। सरकार को उनकी जांच के लिये एक समय निर्धारित करना चाहिये कि एक महीने के अन्दर या दो महीने के अन्दर उन कर्मचारियों को उसकी जांच कर लेना चाहिये। इसलिये मैं यह अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश दे दें कि जैसे ही रिपोर्ट उनको प्राप्त हो कुआं बनने की उसके एक दो महीने के अन्दर ही उसकी जांच हो जाया करे। इससे काफी सुविधा लोगों को मिल जाया करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में लगभग ७९ फीसदी लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। खेती की तरक्की पर ही हमारे लोगों की आर्थिक दशा निर्भर करती है और उसकी तरक्की से ही लोगों की आर्थिक दशा सुधर सकती है। इसके लिये अच्छे बीज, अच्छी खाद और समय से सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता होती है। मौजूदा जो सिंचाई के साधन हमारे प्रदेश में चल रहे हैं और उपलब्ध हैं उनका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर उनका ठीक तरह से प्रयोग किया जाय और समय से पानी किसानों को मिल जाया करे तो खेती की हालत बहुत कुछ सुधर सकती है, किन्तु मान्यवर, जिस समय किसान को पानी की आवश्यकता होती है उस वक्त किसान को पानी नहीं मिल पाता, जिसका परिणाम यह होता है कि जो खरीफ या रबी आन्दोलन चलते हैं और जो नये वैज्ञानिक तरीके काश्तकारों को बतलाये जाते हैं उनको काश्तकार इस्तेमाल करता है, इससे उसकी फसल को ठीक वक्त पर पानी न मिलने पर जो उन वैज्ञानिक खादों के न डालने से पैदावार होती, वह भी नहीं हो पाती है, उससे उन्हे नुकसान होता है। खेती के मुहकमे और नहर के मुहकमे में कुछ ज्यादा सहयोग नहीं है, जैसा कि होना चाहिये। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के आन्दोलन चलते हैं, पर कृषि तथा सिंचाई विभाग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। पानी ठीक वक्त पर नहर विभाग दे नहीं पाता है और वैज्ञानिक खाद के लिये किसानों को कृषि विभाग उत्साहित करता है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी अपने मुहकमे को खासतौर पर हिदायत दें कि वह कृषि विभाग से गहरा सम्पर्क स्थापित करके ठीक समय पर पानी देने की व्यवस्था करे।

अभी माननीय रामचन्द्र विकल ने मन्त्री जी से अपील की थी कि वह किसान हैं, किसानों के बड़े हमदर्द हैं, और तीन आने की जो छूट उन्होंने वापस ले ली है उसे वह दिलाने का प्रयास करेंगे और अगर वह सफल नहीं होंगे तो मन्त्रिमन्डल से इस्तीफा दे देंगे। मुझे तो उम्मीद है कि जो उनके जजबात हैं, उनके अनुसार वे जरूर सिंचाई की छूट वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तीन आने की छूट को वापस लेते समय इस बात के लिये कहा कि किसान के पैदावार के दाम १९५४ के मुकाबले में अब ज्यादा मिलने लगे हैं, परन्तु मुझे अफसोस है कि जब टैक्स लगाया जाता है तो बड़े-बड़े आदमियों पर इनकम टैक्स के लिये उसके सारे इखराजात जोड़ लिये जाते हैं और जो नेट आमदनी होती है उसपर टैक्स लगता है। किसान को मान लीजिये कि अच्छे दाम मिलने लगें, लेकिन सरकार ने खयाल नहीं किया कि जिन चीजों को काश्तकार इस्तेमाल करता है अपनी खेती बाड़ी के लिये, क्या उनके दाम पहले से घट गये हैं? अगर पहले से घट गये हों तो वह छूट ले लेना उचित भी कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिन चीजों को किसान इस्तेमाल करता है उनके दाम पहले से ज्यादा उठे हैं, इसलिये यह दलील पेश करना कि चूंकि काश्तकार के लिये उपज के दाम ज्यादा मिलने लगे हैं, इसलिये छूट वापस ली जाती है, यह मुझे उचित नहीं मालूम पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी इस छूट को फिर काश्तकारों को वापस दिलाने के लिये हर सम्भव तरीके को इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे।

मान्यवर, चकबन्दी होने वाले इलाकों में जहां पर पहले बार-बन्दी थी, चकबन्दी खत्म होने से वह बार-बन्दी खत्म हो गई अब वह फिर से कराई जा रही है। चकबन्दी होने के पहले ही काश्तकारों ने अपने पैसे खर्च करके बार-बन्दी कराई थी और अब फिर से कहा जा रहा है कि फिर बार-बन्दी का खर्च अदा कीजिये, यह कहां तक उचित कहा जा सकता है? सरकार ने चकबन्दी अपनी मर्जी से करायी, काश्तकार ने कहीं नहीं चाहा कि हो, तो मैं अपील करूंगा कि जिन चकबन्दी के इलाकों में बार-बन्दी हो रही है उसको सरकार स्वयं चलाये, किसानों को रुपया देने के लिये बाध्य न करे।

[श्री होरोलाल यादव]

नहर का कानून भी बहुत पुराना कानून बन चुका है। इसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। सिंचाई की आबपाशी बढ़ाने का जो तरीका है वह झील की आबपाशी भरने का तरीका बड़ा ही अजीब है। मान्यवर, आप तो उसी जिले से ताल्लुक रखते हैं जहां धान की फसल अधिक पैदा की जाती है। वहां पर होता यह है कि एक झील के रकबे में थोड़े से हिस्से में पानी गया तो पूरा झील का रकबा भर लिया जाता है और सिंचाई के रकबे में उसकी बढ़ोत्तरी कर दी जाती है। इस प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ जाता है। लेकिन उसके बारे में सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि सिंचाई का रकबा तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जिन खेतों को या फसलों को दोबारा और तिबारा पानी की आवश्यकता होती है उनको पानी मिलता भी है या नहीं। वे तो रकबा बढ़ाने की धुन में इस कोशिश में रहते हैं कि चाहे एक बार ही पानी मिले, लेकिन रकबा अधिक हो जाय। यही कारण है कि सिंचाई का क्षेत्र तो बढ़ता जाता है, लेकिन पैदावार नहीं बढ़ती है क्योंकि उनको पानी दोबारा और तिबारा नहीं मिल पाता है।

विकास के कामों को पूरा करने के लिये सरकार ने २ करोड़ रुपये के घाटे को इस प्रकार पूरा किया है कि किसानों को जो छूट दे रखी थी उसको खत्म कर दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी को बचत का एक तरीका बतलाऊं। उनका बजट १२ करोड़ से अधिक रुपये का है उसमें ठेकेदारों से जो सवा ग्यारह प्रतिशत की कटौती होती है, जिसको ओवर-सियर और खजान्ची लेते हैं, उसको किसी प्रकार बचाने की कोशिश की जाय तो सरकार को एक करोड़ रुपये के करीब बच सकता है। इसी प्रकार से एक करोड़ रुपया पी० डब्ल्यू० डी० से भी बचाया जा सकता है।

नहरों की सफाई का तरीका भी बहुत खराब है। जब फसलों की सिंचाई का वक्त आता है तभी सफाई का वक्त भी आता है। वह इसलिये होता है कि जिस वक्त पानी की जरूरत होती है, हल्की-हल्की घास काट दी जाती है और फिर पानी उसपर से गुजर जाता है। ऐक्जीक्यूटिव इन्जीनियर या कोई और अधिकारी आता है तो कह दिया जाता है कि पानी निकल गया है इसलिये खंदे वगैरह गिर गये हैं। यानी उतनी मिट्टी नहीं उठाई जाती है जितनी मिट्टी उठाने से सफाई ठीक तरह से हो सकती है। इस तरह से नहरों की सफाई भी कम होती है।

अक्सर ठेकेदारों की तरफ से यह शिकायत होती है कि जब ठेका दिया जाता है तो वर्क आर्डर नहीं दिया जाता है। लेकिन जब पेमेन्ट का समय आता है तब अगर किसी ठेके-दार ने फीसदी देने में आनाकानी की तो वर्क आर्डर उसके पास न होने से तरह-तरह से उसको परेशान किया जाता है। मेरी इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। बहुत से ऐसे अच्छे ठेकेदार हैं जिन्होंने नहर विभाग का काम इसलिये छोड़ दिया कि वर्क आर्डर समय पर नहीं दिया जाता और पेमेन्ट के समय परेशान किया जाता है क्योंकि, अफसरान को वे राजी नहीं कर पाते थे।

पिछड़े क्षेत्र की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सड़क के किनारे ही ट्यूबवेल्स बनाये जाते हैं जिससे लोगों को यह मालूम हो कि पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत काम हो रहा है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा और राम गंगा, काली और गंगा नदी के बीच के इलाके में, मान्यवर को तो मालूम ही है, दो योजनायें निकल गईं लेकिन वहां अभी तक सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो सका है। काश्तकार भी अपने साधन को वहां जुटा नहीं सकते, क्योंकि वह इलाका ऐसा है कि जहां न तो ईंट मिल पाती है और न सीमेन्ट पहुंच पाता है और तकावी बांटने का जो तरीका है, जिस कार्य के लिये तकावी बटती है, उस कार्य में वह प्रयोग नहीं की जाती है।

मान्यवर, मेरे जिले में एक ब्लाक है जिसके अन्दर सन् ५६ में २६ कुयें बनाने के लिये तकावी दी गई, लेकिन सन ६१ में जाकर देखा गया कि केवल ८ कुयें ही बने हैं और बाकी १८ कुयें नहीं बन पाये। बहुत जगह तो ऐसा भी हुआ कि पुराने कुओं में ही सीमेंट की लीपा पोती कर दी गई और उसे नये बने हुये कुयें के रूप में दिखा दिया गया। खैर, बाद में मालूम हुआ कि चार वर्ष बाद उनसे तकावी वापस ले ली गई और इस तरह से बिना इस्तेमाल किये हुये वे रुपये उनके पास पड़े रहे। ऐसे सरकार द्वारा तो २६ कुओं से होने वाला सिंचित क्षेत्र भी रकबे में दिखला दिया गया होगा जबकि १८ कुयें बन ही नहीं पाये। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से तकावी का पूरे तरीके से सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि तकावी नकद रुपये के रूप में न दी जानी चाहिये। तकावी किसानों को साधन के रूप में यानी ईंट और सीमेन्ट के रूप में दी जानी चाहिये ताकि वह कुयें तो बन सकें। इसके साथ ही जो लोग विकास क्षेत्र में रहते हैं उनकी रिपोर्ट भी महीने, दो महीने, चार महीने में आनी चाहिये कि उस मामले में कितनी प्रगति हुई और अगर प्रगति नहीं हुई तो उसमें कौन सी बाधा पड़ी जिसके कारण वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका। फिर उस बाधा को दूर करने में सरकार की ओर से प्रयास किया जाय तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि कुयें, जो सिंचाई के छोटे साधन हैं, जल्दी बन सकते हैं जिनसे आबपाशी ज्यादा हो सकती है।

मान्यवर, मैं अपने जिले की एक खास शिकायत के बारे में माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। मेरे यहां एक लाख ताल है जहां ड्रेनेज का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे १०–१२ मौजे के किसान बहुत तबाह रहते हैं। उस सम्बन्ध में काफी लिखा पढ़ी हुई और पिछले साल नैनीताल में सिंचाई कमेटी की मीटिंग में जब मैंने सिंचाई विभाग के चीफ इन्जीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि ताल से पानी निकालने के लिये ड्रेनेज की रिमार्डलिंग करदी जायगी। मैंने कहा कि अगर रिमार्डलिंग हो जाय तो भी अच्छा होगा। उन्होंने उसका एस्टीमेट बनाकर भेजने के लिये कहा था लेकिन जब मैंने सवाल के जरिये से जानना चाहा कि क्या सरकार के पास एस्टीमेट बन कर आ गया है तो कहा गया कि "जी नहीं", और आज दो साल के बाद भी उसकी रिमार्डलिंग नहीं हो पाई। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर विशेष ध्यान देगी और ड्रेनेज रिमार्डलिंग कराने की विशेष कृपा करेगी।

श्री अधिष्ठाता—समय थोड़ा रह गया है और ४ बजे तक डिस्कशन खत्म होना है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सब पसन्द करें तो अब भाषण के लिये ७—७ मिनट का समय रखा जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, पहाड़ की समस्या भिन्न है, तो उस पर बोलने के लिये समय मिलना ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—अब आप बैठें, आपको बाद में मौका मिलेगा।

(कुछ देर पश्चात्)

तो अब तय रहा कि माननीय सदस्य ७—७ मिनट बोलेंगे।

कुछ सदस्य—ठीक है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—मान्यवर, आपने मुझे जो आज बजट पर बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। सिंचाई विभाग वह विभाग है जिसकी अधिक प्रशंसा की नहीं जा सकती। इस सम्बन्ध में एक बात कहना बहुत जरूरी है। मैं मन्त्री जी का ध्यान उन किसानों की ओर दिलाना चाहती हूं कि जिनके क्षेत्र में नलकूप

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

तो ज्यादा लग गये हैं लेकिन उनसे किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता। कभी बिजली फेल हो जाती है और कभी मोटर खराब हो जाता है और नतीजा यह होता है कि खास फसल के समय जब जरूरत होती है उनको पानी नहीं मिलता और उससे फसल और पैदावार को नुकसान होता है। इसलिये मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगी कि वह इन किसानों की ओर ध्यान दें कि उन्हें समय से पानी मिले और जब उनको समय से पानी मिलेगा तभी उनकी पैदावार भी बढ़ सकती है।

दूसरे मान्यवर, हमारे यहां कुमरियागन्ज का तराई क्षेत्र है जहां कि नहर नहीं है। वहां दो एक नलकूप हैं लेकिन उनकी हालत यह है कि उनकी नालियां ऐसी बनी हैं कि जिनसे अगर एक किसान पानी लेता है तो पानी उसके खेत में न जाकर दूसरे के खेतों में चला जाता है लेकिन उसको पूरे खेत की सिंचाई देनी होती है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान वहां के किसानों की परेशानी की तरफ दिलाना चाहती हूं।

इसके अलावा और भी सिंचाई के साधन हमारे यहां बनाये जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम छोटी सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दें तो हमारे यहां ट्रान्स राप्ती क्षेत्र में दो बड़े ताल हैं—एक इलदर ताल और दूसरा लेवड़ ताल जिसकी लम्बाई चौड़ाई मीलों में है। यदि इन तालाबों की हदबन्दी करके इनको गहरा कर दिया जाय और उनमें राप्ती नदी का पानी लाकर इकट्ठा कर दिया जाय तो वह सिंचाई के काम में आ सकता है। चन्द मील की दूरी पर राप्ती नदी है। अगर वहां एक बैरेज बनाकर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इन तालों से मिला दिया जाय तो गर्मी के दिनों में बैरेज के द्वारा नदी का पानी लाया जा सकता है और उससे सिंचाई का काम लिया जा सकता है। और इसका एक लाभ यह भी होगा कि बाढ़ के दिनों में इन तालों में काफी पानी एकत्र हो जायगा और वह बाढ़ को रोकने में भी सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर मछली पालने का और कमलगट्टा का उद्योग भी पनप सकता है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस पिछड़े हुये क्षेत्र की तरफ दिलाऊंगी कि वहां पर केवल एकफसली पैदावार ही होती है और पानी न मिलने से वहां के लोगों को कठिनाई होती है। अगर वहां पानी और सिंचाई का प्रबन्ध हो जाय तो लोगों को राहत मिल सकती है। इस योजना के सम्बन्ध में मैंने कई बार प्रार्थना-पत्र भी दिये और ध्यान भी आकर्षित कराया लेकिन उसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न इस दिशा में कोई काम ही हुआ है। इसलिये मैं फिर माननीय मन्त्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि अब मुझे और अधिक नहीं कहना है, वह वहां की गरीब जनता की कठिनाई की तरफ ध्यान दें। वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है राप्ती का किनारा और किसान वहां के परेशान रहते हैं। उनकी तरफ मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिये। इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं विरोधी दल की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करते हुये माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

*श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अपना अनुदान पेश किया उसको पेश करते हुये उन्होंने बताया कि हमने अपने यहां नहरें बढ़ाई हैं, नलकूप बढ़ाये हैं, कुयें बढ़ाये हैं लेकिन मुझे तो उनकी बात सुन कर एक शेर याद आया और वह यह था कि—

आजादिये चमन से असीरों को क्या मिला,
टूटे अगर कफस से तो हैं आशियां से दूर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नलकूप, नहर, तालाब सब कुछ बढ़ा लेकिन किसान को उससे क्या मिला? उसकी पैदावार तो बढ़ी नहीं और जब उसकी पैदावार बढ़ी नहीं तो आप कुछ भी बढ़ाइये, पहाड़ और समुद्र भी बना दीजिये तो उससे क्या लाभ है। अब आप खुद देखिये कि वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उसमें उन्होंने बताया था कि ३२ करोड़ के खर्चे में अंग्रेज के जमाने में ६० लाख एकड़ जमीन की आबपाशी होती थी और आपके जमाने में १२७ करोड़ में ९० लाख एकड़ की होती है। यानी ९५ करोड़ रुपया खर्च करके ३० लाख एकड़ जमीन आप आबपाशी में बढ़ा पाये। इससे क्या फायदा हुआ? अंग्रेजी जमाने में ६० लाख एकड़ जमीन में ६० लाख रुपया मुनाफा होता था और आप क्या करते हैं? आप ९० लाख एकड़ आबपाशी करके साढ़े ३ करोड़ का घाटा उठाते हैं। एक रुपया एकड़ वह गया और चार रुपया एकड़ और गया, पांच रुपया एकड़ का आपने घाटा किया और रेट तिगुना-चौगुना कर दिया। आबपाशी का रेट आज चौगुना हो गया है।

सन् ५७ से जब से मन्त्री जी सिंचाई मन्त्री बने और मैं यहां एम० एल० ए० बना तो मैंने देखा और दिल में सोचा कि मन्त्री जी के क्षेत्र में रहूं तो अच्छा है। लेकिन मजबूरी तो यह है कि मैं तो जाकर बस रहूं, खेती तो वहां नहीं जायगी। मैं क्यों यह बात कहता हूं? वह इसलिये कहता हूं कि जो क्षेत्र है मन्त्री जी का उसी में मन्त्री जी का फार्म भी है। उस क्षेत्र में जो नहर चलती है उसका ५७ से आज तक का हिसाब लगाया जाय कि किस साल कितने दिन चली और शाहजहांपुर ब्रांच जो है उसका हिसाब लगाय जाय कि वह ५७ से आज तक किस साल कितने दिन चली। तो यह मन्त्रित्व का फायदा है.....

श्री उपाध्यक्ष---आपकी शिकायत है कि फार्म के अलावा पानी इधर-उधर नहीं जाता?

श्री बालकराम---जाता है तो उससे वोट तो इन्हें मिलता है।

श्रीमन पैदावार नहीं बढ़ी। क्या वजह है? इस सरकार के बड़े-बड़े अफसर जो कि नहर विभाग के हैं वह हैं बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लड़के। उन्हें यह पता नहीं कि किसान को आबपाशी के लिये पानी कि कब जरूरत है। उन्हें तो अपनी तारीख याद है---जनवरी मार्च और मई। मई में पानी दिया, ईख में एक दफा आबपाशी हो गई। अमोनियम सल्फेट और न मालूम क्या-क्या खादें हैं वह लगा दीं। जून में पानी नहीं मिला तो फसल सूख गई। उसकी मेहनत, लगान, आबपाशी सब गया और बेचारा किसान देखता रह गया। नहर विभाग के बड़े-बड़े अफसरों को यह जानना चाहिये कि किसान को किस वक्त पानी की जरूरत है। उन्हें यह पता नहीं रहता। उसका उम्दा सबूत यह है कि इस साल अक्तूबर के महीने में जब गोमती के पुल टूटे, छतर मन्जिल गिरी, उस वक्त नहर चल रही थी। क्या जरूरत थी? किसान का चाहे खेत भरा या नहीं, पानी चला और आबपाशी लिख दी। नतीजा यह हुआ कि जो धान का खेत नहीं भरा उसपर भी आबपाशी लिख दी गई। मैं खुद अपने गांव की बात बताना चाहता हूं (लाल बत्ती जलने पर) क्या टाइम हो गया? मैं चाहता हूं कि दो-तीन मिनट और मिल जायं। तो पहले पतरौल ने सही-सही खेत भरे। उसके बाद जिलेदार साहब आये, उन्होंने कहा कि सब लिखो। शाहजहांपुर के किसानों ने और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने मिटिंग करके नहर के इन्जीनियर साहब और मन्त्री साहब और जिला मैजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्तें भेजीं कि हमने खेत नहीं भरे फिर भी आबपाशी लिखी गई। लेकिन कोई जवाब नहीं। इन्जीनियर साहब से मैंने बात की तो कहा कि खेत की मेढ़ टूट गई और पानी गया तो कानून है हमें लिखना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि आप यह बताइये कि बड़े-बड़े पुल टूट गये, किले ढह गये तो कच्ची मिट्टी की मेंढ़ की ताकत थी जो पानी के सेलाब को रोक लेती?

[श्री बालकराम]

एक बात और कहना चाहता हूं । इस सूबे के किसानों को आगाह करना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो तीन आने रुपये की छूट १९५४ में छोड़ी थी वह भी ले ली और एक नया टैक्स पानी का और लगने जा रहा है । १९६१ में तो लगायेंगे नहीं क्योंकि १९६२ में चुनाव लड़ना है । और १९६२ में अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो ५ रुपया एकड़ का नया टैक्स लगायेगी चाहे आबपाशी हो और चाहे न हो । इसलिये किसानों को आगाह करना चाहता हूं कि नहर के किनारे के किसान ही नहीं, बल्कि जहां ट्यूबवैल से भी सिंचाई होती है वहां के किसानों पर भी ५ रुपया एकड़ हर किसान पर, चाहे आबपाशी हो या न हो, आबपाशी जो होगी वह तो लेगी ही सरकार, उसके अलावा और ५ रुपया एकड़ अलग से लेगी । अगर सरकार को ऐसा ही करना है तो प्रजातंत्र का ढोंग क्यों रचते हैं, डिक्टेटरशिप कर लीजिये । इसलिये मंत्री जी से कहूंगा कि तीन आने की जो छूट सरकार ने वापस ली है इसको छोड़ा जाय और ५ रुपया एकड़ का भी जो टैक्स लगाने जा रहे हैं इसको भी छोड़ें । हमको और आपको इसी प्रदेश में रहना है और इन्हीं किसानों से वोट लेने हैं । नतीजा जो कुछ होगा आप भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे । सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है । नतीजा यह होगा कि आप तो छोड़ कर चले जायेंगे और इस सूबे का काश्तकार मरेगा ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जिस सफलता के साथ और सुन्दरता के साथ मंत्री जी इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । परन्तु मैं उनका ध्यान पहाड़ी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जो क्षेत्र पानी की एक-एक बूंद को इकट्ठा करके बड़ी-बड़ी नदियों के रूप में बंगाल तक के मैदानों को हरा भरा करता है वहां के इंसान, जानवर, भूमि, पेड़ पौधे प्यासे रहते हैं । जहां प्रकृति ने उन साधनों को नहीं जुटाया है वहां इंसान का फर्ज है कि उन समस्याओं को हल करने के लिये प्रकृति की कठोरता पर विजय प्राप्त करके उन साधनों को वहां की जनता के लिये मुहैया करे । अगर सचमुच में प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, देश की भूमि को हराभरा करना चाहते हैं तो आपको नयार वैली डैम की योजना को अवश्य कार्यान्वित करना चाहिये क्योंकि उससे प्रदेश के कई जिलों को हराभरा किया जायगा और पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों को बिजली मिलेगी । हमारे यहां पौड़ी जिले में एक बूंद पीने को शुद्ध पानी नहीं मिलता, ८ आना कनस्तर पीने के पानी के लिये खर्च करने पड़ते हैं । अगर नयार डैम योजना कार्यान्वित होती है तो हमको पीने का पानी सुविधा से मिल सकता है ।

मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी योजना हमारे देश और प्रदेश के कल्याण में सहायक होगी । उसको नजरअंदाज करना अपने प्रदेश की उन्नति को हमेशा के लिये भुलाना है । इसलिये मैं मंत्री जी से विशेष रूप से नयार वैली डैम योजना की ओर ध्यान आकर्षित करने की प्रार्थना करता हूं । इस योजना को चालू करने के लिये अवश्य प्रयास करना चाहिये ।

नहर विभाग की ओर से जो कुछ रुपया पहाड़ी जिलों में खर्च किया गया उसका मुझे खेद है । इसलिये कि जहां नदियां हैं, जहां की भूमि सींची जा सकती है, जैसे अलखनन्दा वैली में दोनों ओर जो मैदान है वहां कोई भी प्रबन्ध उसकी सिंचाई का नहीं किया गया । मैंने सुझाव रखा कि बिजली द्वारा पानी को नदी से लिफ्ट करके दोनों किनारे की भूमि को नहर द्वारा हरा-भरा कर सकते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि न विभाग की तरफ से और न सरकार की ओर से बताया गया कि इस प्रकार की योजना क्यों नहीं बनाई गयी और अगर बनाई गयी तो उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया । जब भूतपूर्व सिंचाई मंत्री कमलापति त्रिपाठी जी पौड़ी तशरीफ ले गये तो कहा कि अलखनन्दा से जमीन को हरा भरा करने के लिये नहरें बना देंगे लेकिन यह उदासीनता सरकार की क्यों है, हम उसको आज तक नहीं जान पाये । लेकिन साधारण तरीके

से, लेमैन की हैसियत से कह सकता हूं कि नदी के पानी से फीड किया जा सकता है, नहरें खोदी जा सकती हैं, लेकिन पानी का आज तक कोई प्रबंध नहीं किया गया ।

थोड़ी सी नहरें जो हमारे जिले में खोदी गयी हैं उनकी ओर में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गर्मी के दिनों में नहरों में पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है । इसमें मैं विभाग के कर्मचारियों का दोष नहीं समझता । लेकिन चन्द योजनाओं की तरफ मैं सरकार का ध्यान खासतौर से दिलाना चाहूंगा । बांघाट पुल पर नहर बनाई गयी और उस पर ८७ हजार रुपये खर्च कर दिये गये । लेकिन नहर का जो सिरा है वह नदी के पानी के लेविल से ६, ७ फुट ऊंचा है । कोई भी जिम्मेदार विभागीय आफिसर अगर इस चीज को देखता तो कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं हो सकती थी और किस प्रकार यह हो सकता है कि पानी अपने आप नदी से उठकर ऊपर आ जाय ।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । माननीय सदस्य चेयर की तरफ नहीं देख रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---मोतीलाल अवस्थी जी की यह शिकायत है कि आप चेयर की तरफ नहीं देख रहे हैं ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मुझे इस पर अधिक समय दिया जाय क्योंकि पहाड़ों की समस्या भिन्न है और उस पर प्रकाश अधिक पड़ने की जरूरत है ।

आप देखें कि इसी प्रकार चमेठा की नहर है । डेढ़ लाख रुपया खर्च कर दिया गया । गर्मी के दिनों में कोई भी पानी चालू नहीं होता । मुझे उज्रदारी यह है कि जो अधिकारी मौके पर गये उन्होंने यह देखा कि ऐसी स्कीमें क्यों कार्यान्वित की गयीं जिनसे गर्मियों में एक बूंद भी पानी मुहइया नहीं हो सकता ?

एक्स मिनिस्टर श्री नेगी के गांव कांदी में गूल बनाई गयी लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी गर्मी में नहीं मिलता । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इतना रुपया व्यय होने पर भी उस नहर से क्या लाभ अगर पानी नहीं मिलता ? बरसात में पानी की क्वांटिटी बहुत हो जाती है जिससे गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती है ।

जो यह समझते हैं कि यह क्रिटिसिज्म है, वह गलत समझते हैं । जम्हूरियत में इन बातों को सरकार के ध्यान में लाना लाजमी है । जो यह समझते हैं कि इसमें हमारी तौहीन हुई है वे इंसानियत नहीं रखते । हमें यह समझना चाहिये कि हमसे गलतियां हुई हैं और उनको हमें रेक्टिफाई करना चाहिये । मानवता, इंसानियत और इंसाफ मेरी समझ में इसी में है कि पास्ट में जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं उनसे भविष्य के लिये हम गायडेंस लें । अगर हम पहाड़ में गूलें या नहरें बनाने जा रहे हैं तो आपको यह एश्योर करना चाहिये कि उसमें कुछ न कुछ पानी अवश्य चालू होगा । मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार की ओर से इन्क्वायरी हो और जिस किसी अफसर ने हमारे राष्ट्र का इतना रुपया जाया किया है उसकी प्रापर्टी से उसको वसूल करना चाहिये । आखिर इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी के ऊपर अवश्य होनी चाहिये । अगर हम इस तरह से आपने नेशन की एनर्जी और पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो हम अपने राष्ट्र के साथ इन्साफ नहीं करते । जो भी उसके लिये जिम्मेवार हों मैं चाहता हूं कि वह रुपया उनसे अवश्य वसूल होना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उस गरीब टैक्सपेयर के साथ जो अपना पेट काट कर हमें टैक्स देता है, जो हमारी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देने के लिये अपने ऊपर टैक्स को लादता है उसके प्रति कोई इन्साफ करने का माद्दा हमारे अन्दर रह नहीं गया । अगर हमें अपने प्रदेश का इन्तजाम ठीक करना है तो जो इस तरह की मिस्टेक के लिये जिम्मेवार हो उसको अवश्य पकड़ना है और उससे रुपया वसूल करना है । अगर पानी की एक

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बूंद भी उसमें होती तो हमें कोई उज्र न होता लेकिन यह तो एक मखौल है और सारे उत्तर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता की इंटेलिजेन्स पर एक स्लर है कि हमारे यहां लोगों के आंखें नहीं हैं और अगर आंखें हैं तो किसी चीज को देखते हुए भी वे देखना नहीं चाहते ।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामस्वरूप वर्मा के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैंने मंत्री महोदय के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना । मुझे आशा तो यह थी कि वे अपने भाषण में किसी नयी नीति के संचालन के विषय से हमें अवगत करायेंगे, कोई नया दर्शन देंगे परन्तु मुझे निराशा हुई जब उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में ही कुछ ऐसी बातें कहनी आरम्भ कर दीं कि प्रकृति विपरीत काम कर रही है, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती थी वहां कम हुई और जिनमें कम होती थी वहां अधिक हुई, गोमती में बाढ़ आ गयी, इत्यादि । तो परिवर्तन केवल प्रकृति में ही नहीं हुआ बल्कि हमारे सदन में भी हुआ और हमारी सरकार में भी परिवर्तन हुआ । जब गोमती में बाढ़ आयी थी तब हमारी सरकार में भी बाढ़ आयी थी, कितने ही एम० एल० ए० स्वर्ग से नर्क में पहुंच गये और कितने ही नर्क से स्वर्ग में पहुंच गये । अगर मंत्री जी यह कहते हैं कि प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही है इसलिये वह ठीक कार्य नहीं कर पाते तो इन बातों को हम मानने वाले नहीं हैं । आखिर सरकार ने क्या कार्य किया ? हमारी दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकीं जिनमें हम ४ अरब ६ करोड़ रुपया खर्च कर चुके । इस ४ अरब ६ करोड़ रुपये में से सिंचाई के लिये कितना खर्च किया गया ? यद्यपि मैं इस बात को समझता हूं कि नियोजन के रुपये का बंटन सेंट्रल गवर्नमेंट से हो कर आता है, फिर भी मंत्री महोदय को अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये, किसानों की समस्या को चिन्ताजनक देखते हुये सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहना चाहिये था कि हमको सिंचाई के लिये इससे अधिक रुपया दो ।

श्रीमन्, जो आंकड़ों की पुस्तिका उन्होंने दी है इस संबंध में अधिक आंकड़ेबाजी में न जा कर, क्योंकि हमारे रामस्वरूप जी वर्मा ने आंकड़ेबाजी की बहुत सी बातें कह डालीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आजकल जो हमारे यहां कृषि योग्य भूमि है उसकी १/३ सिंचित होती है और उसमें वह भूमि भी शामिल है जो यहां के किसानों ने अपने निजी पैसे से कुंये इत्यादि बना कर सिंचित बनाई है । इस तरह से मैं यह अनुमान लगाता हूं कि कुल कृषि योग्य भूमि का करीब-करीब १५ फीसदी सिंचन हमारी सरकार के कार्य-कलापों से होता है । क्या यह लज्जाजनक बात नहीं है ? सरकार को चाहिये था कि अधिक से अधिक पैसा सिंचाई में लगाती और सिंचाई के साधनों का विकास करती । क्योंकि जब हम यह देखते हैं कि हमारे प्रदेश की ८० फीसदी जनता कृषि पर आधारित है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय निरंतर घटती चली जा रही है जिससे हमारे उद्योग भी रुके पड़े हैं, क्योंकि जब तक किसान मालदार नहीं होगा तब तक किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, उस समय तक सरकार कितना ही पैसा उद्योगों में लगाये उद्योग पनप नहीं सकते हैं । आपके विकास और नियोजन जो हो रहे हैं वह ऐसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ में पानी न लगाकर पत्तों पर पानी छिड़के । वैसे ही हमारी सरकार के कार्य-कलाप हो रहे हैं ।

श्रीमन्, बहुत दिनों से रामगंगा योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा था और हमें आशा थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको कार्यान्वित कर दिया जायगा और हमारे पश्चिमी जिले जिन्हें सरप्लस कहा जाता है उससे लाभान्वित होंगे । लेकिन जब हमने इस पुस्तक को देखा और माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना तो हमारी सारी आशायें, अभिलाषायें और आकांक्षाएं निराशा में परिणत हो गईं । अगर सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर देती तो मैं साहस के साथ कह सकता हूं कि हमारी खाद्य समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता । लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो उन योजनाओं को कार्यान्वित करना है जिनसे शहरों को लाभ पहुंचे । वह यह नहीं सोचते कि खाद्यान्न ऐसी चीज है जिसके ऊपर प्राणीमात्र, मनुष्य,

पक्षी और पशुओं का जीवन आधारित है । इसलिये इस योजना की उपेक्षा कोई अक्लमंदी की बात नहीं है ।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ यह भी है कि उनकी योजनायें दोषपूर्ण हैं । मेरे क्षेत्र में करो, ईशन, अरिन्द और सिसो आदि बहुत सी छोटी-छोटी नदियों की क्षमता को न देखकर नहर विभाग की तरफ से एक एक नदी में ५०-५० नाले डाल दिये हैं इसके अतिरिक्त दूसरी एक बात यह है कि लोअर गंगा कैनाल नदियों के बहाव के विपरीत इस तरह से निकाली गई है कि उसके नीचे होकर यह तीनों नदियां निकल कर आती हैं। उनके साइफन पहले आयोजित पानी के अनुसार बनाये गये थे परन्तु आज दस गुना पानी उनमें डाल दिया गया है । इससे नदियां ऊपर को उफनती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं । इन नदियों के किनारे पर रहने वालों का जीवन नारकीय हो रहा है । इन नदियों ने नये-नये रास्ते बना लिये हैं । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, हमें कुछ ज्यादा समय मिल जाता ।

श्री उपाध्यक्ष––वह तो समय निश्चित है ।

श्री रघुवीरसिंह––पहले इन साइफनों की सर्वे एवं सफाई कराई जाय और इन नदियों की सफाई होनी चाहिये । शायद सरकार इसमें असमर्थ रहे क्योंकि छोटे जिलों के लिये सरकार के पास धनाभाव हो जाता है । गोमती का पुल टूट गया है वह फौरन बन जायगा । मंत्री महोदय को यह अवश्य मान लेना चाहिये कि जब तक इन नदियों की सफाई न हो जाय तब तक भविष्य में दूसरे नाले इनमें न डाले जायं ।

एक बात और उल्लेखनीय है कि हमारे यहां एक नदी अरिन्द है । उसके लिये चाहिये तो यह था कि साइफन के ऊपरसे सफाई आरम्भ कराई जाती । लेकिन उसके विपरीत ऊपरसे अलीगढ़ में सफाई हो गई, एटा, मैनपुरी रह गये । वैसे तो ऊपर से पानी रुक-रुक कर धीरे-धीरे आता था । लेकिन अब जो ५० फुट चौड़ी नहर बना दी गई है इससे एक दम से पानी बड़े वेग से आयेगा । नीचे नदी तंग होने के कारण बाढ़ का कारण बनेगा । मैंने इस संबंध में चीफ इंजिनियर महोदय को सूचना दी थी, एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने भेजा भी था । क्या होगा, यह भविष्य बतलायेगा । लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर बरसात से पहले इस नदी की सफाई साइफन तक न हुई तो २५–३० गांव बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो जायेंगे, जिनके मकान तक नहीं बचेंगे ।

आबपाशी में जो तीन आने की छूट दी गयी थी वह वापस ली जा रही है । इसके संबंध में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सरकार पहले तो किसान की स्थिति से ही अवगत नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री ने एक बार कहा कि किसान गेहूं खाता है । माल मंत्री कहते हैं कि किसान बड़ा धनवान हो गया है, पक्का मकान बनवाता है । वास्तविकता यह है कि आज पचास फीसदी किसान ऐसे हैं जिनको भतपूर्व माल मंत्री, चौधरी चरण सिंह ने यह कहा था कि साढ़े तीन एकड़ से कम अलाभकर जोत वाले हैं । इसी श्रेणी के पचास फीसदी किसान ऐसे हैं जो दो–तीन एकड़ के मालिक हैं । अतः स्पष्ट है कि यह गरीब हैं । बजट भाषण में यह दिया हुआ है कि चूंकि खाद्यान्नों के भाव तेज हो गये हैं, इसलिये हम छूट को समाप्त करते हैं । हमारे मंत्री महोदय इस बात को नहीं समझते कि हमारे आधे से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो अपने गल्ले को बेचकर आबपाशी एवं लगान नहीं देते हैं । वह अपनी अलाभकर जोतों से गल्ला केवल इतना पैदा कर पाते हैं जिससे उनके कुटुम्ब की मुश्किल से गुजर बसर हो सकती है । वह दूसरे साधनों से, मजदूरी से, पशु-पालन आदि से लगान आबपाशी आदि दिया करते हैं । यह कहना कि चूंकि खाद्यान्नों के दाम ऊंचे उठ गये हैं, आबपाशी के रेट बढ़ाना या तीन आने की छूट खत्म करना बड़ी अन्याय की बात है ।

[श्री रघुवीरसिंह]

इस संबंध में मुझे दो बातें और कहनी हैं । जहां सरकार किसान की उपज जिसके चढ़े हुए दामों का हिसाब लगाती है, वहां किसान के प्रयोग में आने वाली चीजों के दामों से, उसके संतुलन से सरकार को कोई मतलब नहीं है । अगर सरकार संतुलन की दृष्टि से देखे तो कदापि इस छूट को किसान के सर पर नहीं लादा जा सकता । मैं इस संबंध में स्पष्ट कहूंगा कि हमारी पार्टी के पास जिले जिले से चिट्ठियां आ रही हैं । अगर इस छूट को सरकार ने फिर से वापस न लिया, किसानों पर दया करके, किसान की गिरती हुई हालत को देखकर, उसकी प्रतिदिन की गिरती हुई पैदावार को देख कर कम न किया, तो संभव है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इस के विषय में आन्दोलन उठाना पड़े ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---श्रीमन्, इस नियोजन के युग में सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा महत्व है । हमारा प्रदेश जिसमें ७३–७४ प्रतिशत जन संख्या खेती पर निर्भर हो, उसमें सिंचाई विभाग का सबसे ज्यादा महत्व है । इसमें जो प्रगति पिछली दो योजनाओं में हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह मानना पड़ेगा कि हमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई में प्रगति दिखलायी पड़ती है---नहरों में, कुंओं में, मैसोनरी वेल्स में, और विशेष प्रकार से मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं अल्मोड़ा जिले में रानीखेत गया था । मैंने देखा कि ६ हजार फीट की ऊंचाई पर गूलें बन रही हैं । यह स्थिति है । परन्तु इस स्थिति को संतोष-जनक या अच्छी कहना एक कम्पेरेटिव चीज हो जायगी । इसके लिये हमें देश और दूसरे प्रदेशों के आंकड़ों से इसकी तुलना करनी पड़ेगी । उसको देखने से मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हमारे यहां प्रगति संतोषजनक नहीं है । यह मेरे पास तृतीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट है । दूसरी योजना के अन्त में, जो इसमें आंकड़े दिये हुये हैं उसके अनुसार, समूचे देश में इर्रीगेशन पोटेंशियल १४ मिलियन एकड़ है । और तीसरी योजना के अन्त में जो उनका अन्दाजा है वह १४ मिलियन से २८ मिलियन एकड़ हो जायगा । इसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं कि १०० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इसमें हो गई । हम अपने प्रदेश के आंकड़ों को यदि देखें तो दूसरी योजना के अन्त में २३ लाख ७५ हजार एकड़ था और तीसरी योजना के अन्त में ३९ लाख ७५ हजार एकड़ होगा । यह बढ़ोत्तरी केवल ६५ प्रतिशत की है । तमाम देश में इर्रीगेशन पोटेन्शियल, सिंचाई की क्षमता १०० प्रतिशत बढ़े और हमारे प्रदेश में वह क्षमता ६५ प्रतिशत बढ़े यह हमारे लिए श्रेय की बात नहीं है । इसको हमें देखना होगा ।

दूसरी बात, इन्हीं आंकड़ों में इर्रीगेशन पोटेंशियल के अतिरक्त यूटिलाइजेशन के आंकड़े भी हैं कि वास्तव में कितनी भूमि में उसका उपयोग हो जाता है । उनको यदि हम देखें तो समूचे देश में उस १४ मिलियन में से दूसरी योजना के अन्त में १०.५ मिलियन एकड़ यूटीला-लाइजेशन में होगा और तीसरी योजना के अन्त में २३ मिलियन एकड़ होगा । इसमें १२८ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और मैं अपने प्रदेश को जब देखता हूं तो यूटीलाइजेशन में दूसरी योजना के अन्त में १५ लाख ६५ हजार एकड़ है और तीसरी योजना के अन्त में २५ लाख ८० हजार एकड़ होगा । यह केवल ६४ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है । यानी समूचे देश में तो यूटिलाइजेशन का प्रतिशत बढ़ रहा है । कूल पोटेन्शियल १०० प्रतिशत बढ़ा तो यूटिलाइजेशन १२८ प्रतिशत हो गया और हमारे प्रदेश में यूटिलाइजेशन और गिर गया । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई भी योजना लाभकारी या अलाभकारी हो सकती है । यह सरकारी मुहकमे हैं कोई तिजारत नहीं है । इसमें हानि भी हो सकती है परन्तु हम जो काम करें उसका वास्तविक उपयोग कम होता चला जाय यह किसी भी सरकार के लिये श्रेय की बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरे प्रकार से और हम देखें और अभी उसका इस सदन में कई भाइयों ने जिक्र किया कि छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाय तो यह जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे यह वृहत् और मीडियम तथा लघु योजनाओं के हैं । कुल योजनाओं में

मैं भी इसी राय का हूं कि हमारे प्रदेश में यदि छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाय, मैसोनरी वेल्स इत्यादि को तो उससे ज्यादा लाभ होगा।

यह पैम्पलेट तकसीम हुआ है सिंचाई विभाग का इसको यदि हम देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम २१ लाख ४४ हजार एकड़ भूमि की क्षमता बढ़ाने के लिये ३८·८ लाख रुपया खर्च करेंगे। इसका अर्थ है कि प्रति एकड़ १७७ रुपया खर्च करेंगे और तीसरी योजना में जो आंकड़े दिये हैं उसमें २६ लाख ८१ हजार एकड़ पर हम ७१ करोड़ ७१ लाख रूपया खर्च करेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम २७० रुपया प्रति एकड़ खर्च करेंगे। तो यह भी देखने की बात है कि हम जितना आगे बढ़ते चले जायं अपनी स्कीम में उतना ही हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो में कम होता जाना चाहिये। लेकिन हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट बढ़ता चला जाय यह कोई सही प्लानिंग नहीं हुई।

और दूसरे प्रकार से भी देखें कि हमारी छोटी योजनायें हैं तो यह २७० रुपया जो प्रति एकड़ हमने तीसरी योजना के लिए रखा है--मैं भी किसान रहा हूं और अब भी कुछ किसानी करता हूं, अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि यदि दो सौ रुपया प्रति एकड़ भी हम छोटी योजनाओं पर व्यय करें, मेसोनरी वेल्स इत्यादि में तो हमारी सिंचाई की समस्या वहीं पूरी हो सकती है। और इसमें जो आप २०० रुपया व्यय करते हैं बड़ी योजनाओं में तो उसके लिए आपको सारे संसार में कर्ज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं और टैक्स भी लगाने पड़ते हैं लेकिन उसमें यदि आप १/५, १/६, १/१० भी सहायता दे देंगे तो उससे भी काम चल जायगा और वह अपना प्रबन्ध कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह देखा है और एक बार पहले भी सदन में मैं इस बात को कह चुका हूं कि ट्यूबवेल्स जो विभाग के द्वारा बनाये जाते हैं, उन पर बहुत बड़ा खर्चा होता है। मैंने अपने यहां एक नलकूप गलवाया था और उस पर थोड़ा रुपया खर्च हुआ था। १५ साल के बाद जब उसको निकाला तो थोड़ा रुपया कम करके मैंने उसको बेच दिया। अगर विभाग के द्वारा नलकूप लगवाये जाते हैं तो उनकी कीमत कई गुना आती है। अगर उनको भी कई साल के बाद निकाला जाय तो उनकी भी वही हालत होगी। मैंने यह भी देखा कि मेरी तहसील में ऐसा भी होता है कि बांस में सूराख करके और उसके ऊपर बान लपेटकर गला दिया जाता है और उसको डाल देते हैं और वह १० साल तक काम करता है। अगर ज्यादा रुपया खर्च नहीं किया जा सके तो इस तरह से भी १० साल तक काम चल सकता है। यह इस तरह से छोटे-छोटे काम हैं जिनसे खर्च कम और लाभ अधिक हो सकता है। १० साल में तो किसान इससे बड़े कुयें के लिए आमदनी कर लेगा।

कोआपरेटिव कुओं का जिक्र किया गया। सरकार की यह कोआपरेटिव कुओं के लिये योजना कई साल से चल रही है, किन्तु उस योजना का अर्थशास्त्र मेरी समझ में नहीं आया। इसमें १२४ सहकारी नलकूपों को सरकार ले रही है और उनके लिये अनुमानित लागत ६५ लाख रुपये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुयें पर खर्च ५० हजार से भी अधिक आकर पड़ता है। हमारी सरकार को जो १,५०० नलकूप बनाने की योजना थी उसके लिये ७२० लाख रुपये का अनुमान था जिसमें एक नलकूप पर ४८ हजार रुपया खर्चा पड़ा। अब प्रश्न यह है कि पुराने कुओं को लेकर इतना व्यय किया जा रहा है जो उसकी असली लागत से भी अधिक है। एक बात मैं मान सकता हूं कि अगर किसी के पास पूंजी व्यर्थ पड़ी हो उसको सरकार ले ले, वह भी, एक सिस्टर डिपार्टमेन्ट है, उसके कुवें हों या निजी सोसायटीज के, उनको लेना ठीक है। लेकिन एक पुरानी चीज का रुपया ज्यादा दे दे यह अर्थशास्त्र मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इस बात को पहले भी सदन में निवेदन किया था।

नरौरा डैम का नवीकरण किया जा रहा है जिसके लिये ४ करोड़ रुपये का अनुमान है। अब इस साल उसके लिये १५ लाख रुपया लगाने का प्रस्ताव है। वहां के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जब से यह नरौरा बांध बना है तब से उस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आने लगी है। उससे गंगा का लेविल ऊंचा उठ गया है, कुछ बालू जमने से भी उसका लेविल ऊंचा हो गया है जिससे हर

[श्री जगदीश प्रसाद]

साल वहां पर बाढ़ आने लगी है। जब उस बांध का नवीनीकरण किया जा रहा है त इस बात का ध्यान रखा जाय कि उसके ऊपर की तरफ जो लोग रहते हैं और जितने गांवपड़ते हैं उनकी रक्षा के लिये भी कोई प्रबन्ध हो। बांध के नीचे की दीवार ऊंची होने से गंगा का बेड ऊंचा हो गया है। इसका ध्यान रखा जाय। इसके साथ उस बांध को कुछ थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। यदि सरकार चाहती है कि उस बांध को और बढ़ाया जाय तो मेरा एक निवेदन है, एक योजना उसको बढ़ाने की रकम के सामने है जिसका २४ लाख का तखमीना है, उसके लिये मैंने निवेदन किया था कि उस क्षेत्र में २०५ गांव हैं। उन गांवों में ८ हजार के लगभग हल हैं। यदि सरकार एक हल के पीछे १०० रुपया तकावी दे दे तो वह ८ लाख रुपया होगा और कुछ चार पांच लाख का हम अपने यहां से श्रमदान के द्वारा प्रबन्ध करा दें तो फिर सरकार को अपने पास से ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा। इससे सरकार को बचत भी काफी होगी।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जो सिंचाई के लिये ट्यूबवैल बनाये गये हैं वह सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जिले में भी जो ट्यूबवैल बनाये गये हैं वह भी सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां जहां पर ट्यूबवैल लगने चाहिये वहां पर नहीं लगे हैं। हमारे जिले में टयूबवैल लगे हुए हैं एक स्थान पर एक ही तहसील में मगर वह ऐसी जगह पर लगे हैं जहां पर कुछ नेताओं के फार्म हैं लेकिन जहां पर जनता की मांग है वहां पर ट्यूबवैल एक भी नहीं लगाया गया है, जैसे कि सकीट क्षेत्र में है।

नहर की आबपाशी के बारे में कहा गया। हमारे यहां नहरें निकाली गई हैं। जनता को जिस समय पानी की जरूरत होती है उस समय पानी नहीं मिलता है। जब तक किसानों को काफी मात्रा में पानी नहीं दिया जायगा तब तक अन्न की पैदावार में तरक्की होने वाली नहीं है और सरकार ने छट का पैसा फिर बढ़ा दिया है। यह गलत है। हमारे यहां नाले खोदने की जो व्यवस्था की गयी थी वह सही तौर पर नहीं खुद पाये हैं। वहां सकीट नाम के कस्बे के चारों तरफ पानी भरा रहता है और उसमें काश्तकारों की सारी जमीन डूब जाती है। काश्तकारों ने कई बार प्रार्थना-पत्र दिये कि नाला निकाल दिया जाय, एक नाला पुराना काली नदी में गिरता है, वह लोगों ने जोत डाला है लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं हुआ और हर बरसात में उनकी जमीन पानी में डूब जाती है। मई, कमालपुर, दत्तपुर, इंसारा, भगवन्तपुर, विलय पुर, नाजपुर आदि के लोगों ने मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र भेजा है और उसमें उनसे मांग की गयी है कि वहां नहरमें से एक बंबा निकाल देना चाहिये। आशा है मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

रहट के लिये जब तकावी मिलती है तो उसके लिये जब किसान अपने लगान की फर्द के लिये भेजता है तो उसमें कानूनगो आदि बहुत देर लगा देते हैं। उसे लगान के २० गुने के हिसाब से रहट की तकावी मिलती है। मेरा सुझाव है कि इस देरी को जिसमें कभी-कभी चार महीने भी लग जाते हैं, समाप्त किया जाय और ब्लाक के मातहत किया जावे। रहट की तकावी बजाय २० गुने के ४० गुना कर दी जाय। बड़े किसान तकावी ले लेते हैं और उससे रहट नहीं लगाते और छोटे किसान, जिनको उसकी जरूरत है, पहले तो उन्हें तकावी मिल नहीं पाती, अगर मिलती भी है तो रहट के लिये वह पैसा कम रहता है और वह बेचारा उससे रहट नहीं लगवा पाता। इस-लिये उसे ४० गुना कर देना चाहिये।

इसी प्रकार मेरा सुझाव है कि कुवों के लिये जो २० गुना तकावी दी जाती है वह भी ४० गुना होना चाहिये। इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि तकावी मिलने पर उस पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। हमारे यहां अलीगंज, जलेसर आदि ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां ३,४ नदियां पास पास बहती हैं और वहां सेलाब आ जाता है। ऐसे साधन नहीं हैं कि जिनसे किसानों को सेलाब से बचाया जा सके। और वहां के जिस गांव से प्रार्थना पत्र आता है, उस गांव का नाला दूसरे गांव तक निकाल दिया जाता है और फिर दूसरे गांव उससे तबाह होते हैं। इन नालों

को नदी तक पहुंचा देना चाहिये । सिंहपुर गांव नहर के किनारे है और उसकी काश्त नहर के दूसरी ओर पड़ती है, लेकिन उन लोगों के पास आने जाने के साधन नहीं हैं। पुल दो, तीन मील पर पड़ता है । उन लोगों के लिये कोई प्रबन्ध आने जाने का होना चाहिये । इसी प्रकार सिपयुर की भी शिकायत है । आबपाशी के जो पहले रेट थे, मेरा सुझाव है, वही रहने चाहियें । माननीय मुख्य मंत्री ने जो भाषण दिया था कि आज गांव का किसान मोटे अनाज को छोड़कर गेहूं की रोटी खाता है और उसका रहन सहन बढ़ गया है, मैं कहता हूं कि यह गलत बात है । माननीय न्याय मंत्री ने कहा किसान मूंछ तानकर चलता है । यह भी बात गलत है । गांवों की ८० फीसदी जनता के पास अगर देखा जाये तो झोंपड़ी तक रहने को नहीं है, एक टाइम खाना खाकर वे लोग सोते हैं । ऐसी हालत में अगर यह कहा जाय कि उनकी हालत में सुधार हुआ है तो यह बड़े दुख की बात है । मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मंत्री लोग गांव में जायं और वहां जाकर देखें कि काश्तकार की हालत कैसी है । इन शब्दों के साथ में श्री रामस्वरूप वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको, जो आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये सुअवसर दिया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं और माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपये की स्कीम जनता के हित के लिये उपस्थित की है । मैं उनके कार्यों की आलोचना करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं बल्कि उनका समर्थन करने के लिये और अपनी कुछ बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मेरे यहां गोरखपुर जिले में जो मेरी बांसगांव तहसील है उसमें ७ लाख आदमी रहते हैं और एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है और प्राविन्शियल सड़क भी एक से अधिक नहीं है । ऐसी हालत में खेती ही वहां के लोगों के लिये एक ऐसा जरिया है जिस पर वहां की जनता अपना जीवन-यापन करती है । खेत भी वहां बहुत छोटे-छोटे हैं और अगर औसत लगाया जाय तो एक किसान के पास पौन एकड़ से अधिक भूमि नहीं होगी । वहां सिंचाई के साधन भी नहीं हैं । कुछ ट्यूबवेल्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाये गये हैं । किन्तु वे वहां लगाये गये हैं जहां उनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी । उनके लगने की सबसे बड़ी आवश्यकता वहां पर थी जो जमीन ऊसर पड़ी हुई थी जैसे उरुवा बाजार से पूरब, मौजा भताड़ी, गजपुर, बाथबुजुर्ग, गौर असलाभार, नेवास, चौरेहरा, विजयी, डेहरीभार, सकरदईया आदि जो इलाके हैं अगर यहां पर ट्यूबवेल्स लगाये गये होते तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता । हमारे इंजीनियर साहब ने वहां ट्यूबवेल्स लगाना मुनासिब नहीं समझा । अगर वहां पर इनको लगाया गया होता तो उनका बराबर इस्तेमाल होता और उससे किसानों का भी फायदा होता और ट्यूबवेल्स की कीमत भी निकल आयी होती ।

इसी तरह से बेलघाट, शाहपुर, मीरपुर, विधनापार, मुकारिमपुर, शंकरपुर, करीबाजार, पिपरसंडी, जो घाघरा और कुवानों के दुआबे के इलाके हैं यहां पर भी ट्यूबवेल्स नहीं लगाये गये । एक फसल अगर बाढ़ से खराब हो जाती है तो दूसरी फसल तो अच्छी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो वहां के लोगों की गरीबी मिटाई जा सकती थी। खजनी थाने के आसपास कटघर, सतुआभार, विहारीबुजुर्ग, बसियाखेत, साखडांड और रामपुर आदि इलाकों में १०-५ ट्यूबवेल्स भी अगर लगाये जाते तो वहां की भूमि बहुत उपजाऊ हो सकती थी।

इसके अलावा हमारे यहां जो तीन ताल हैं रसेततात, कासोताल और नुनुआ ताल उनमें बरसात के दिनों में पानी चढ़ जाया करता है । जिनसे छोटी-सी नहर निकाल करके घाघरा और तरैना नदी से उसको संबंधित कर दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन डूबने से बच जायगी और कुछ गल्ला भी जनता को खाने को मिल सकता है । यह बांसगांव तहसील घनी आबादी

[श्री गणेशप्रसाद पांडेय]

और अन्न की कमी की वजह से तराई के इलाके से अन्न लदा लदा कर खाया करती है। इसलिये मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस तहसील की इन आवश्यकताओं की तरफ विशेष तौर से ध्यान दें।

साथ ही कुछ बांध ऐसे हैं जो बहुत आवश्यक हैं। जैसे कुआनों नदी पर बिबरा से बनकटा तक ४ मील बांध बनाया गया है, अगर उसको एक मील बढ़ा कर के पिड़िया तक बना दिया गया होता तो हजारों एकड़ को जो नुकसान पहुंचता है, वह बच जाता और ५० मील लम्बा बांध हो जाता और उससे आमदोरफत को भी लाभ होता। इसलिये उसको अवश्य बना दिया जाय। इसी तरह से आमी नदी पर शहीदाबाद से बूईकेल तक बांध बनाने की जरूरत है, छतौई से भरवलिया तक, लमती से डनवल तक, गौरसैरा से सरसोंपार तक और कुवानां, नदी पर रामपुर से भिसिया होकर गोरगंज तक ये बांध बनवा दिये जायं तो कई हजार एकड़ जमीन का उद्धार हो सकता है।

इसी प्रकार से धुरिभापार और अराव के दो कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स को सरकार लेले तो ज्यादा अच्छा है। इनको ले लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये गये लेकिन आज तक सरकार का ध्यान उधर नहीं गया। मैं प्रार्थना करूंगा कि दोनों ट्यूबवेल्स ले लिए जायं जिनसे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

धुसिपार से एक सड़क शाहपुर होकर नरगड़ा तक जाती है उससे बहुत से गांव डूबने से बचाये जा सकते हैं बशर्ते कि दो-चार पुलों में रेगुलेटर लगा दिया जाय। इसमें बड़ा खर्च नहीं है थोड़े से खर्च में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

कुछ पुराने कुएं हैं जिनकी मरम्मत के लिए मुहकमा पैसा नहीं देता है इसलिये बेकार पड़े हुए हैं। कुछ पोखर हैं जो सूखे पड़े हैं जिनमें लोग जड़हन की खेती बढ़ाते चले जा रहे हैं और कागज में बंजर या पोखर दर्ज हैं। अगर उनको गहरा करने के लिये थोड़ा अनुदान सरकार दे दे तो जनता की हजारों एकड़ जमीन सिंचाई प्राप्त कर सकेगी।

ऐसे ही कुछ ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जैसे नम्बर ४१, नम्बर ४२, नम्बर ४७, जो बनकर तैयार पड़े हुए हैं लेकिन उनकी नालियां ठीक न होने की वजह से सिंचाई का काम बिलकुल ठीक नहीं हो पाता है और शायद आपरेटर की तनख्वाह भी डांड़ में ही देनी पड़ती होगी। इसलिये उन नलकूपों की नालियों की दुरुस्ती करा दी जाय जिससे जनता का वास्तविक हित हो सके।

बहुत से खेतों में नालियां बनायी गयीं, आजतक न उनका मुआवजा दिया गया और न किसानों के लगान में ही छूट दी गयी। यह भी है कि वह नालियां बेकार पड़ी हुई हैं, उनमें पानी जाता भी नहीं है। या तो उनके खेत छोड़ दिये जायं और नालियां काटकर समतल कर लेने की इजाजत दी जाय या फिर उनकी मरम्मत करा कर उनको मुआवजा दिया जाय और लगान माफ करके राहत दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और प्रस्तावित अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सदन के सभी सदस्यों ने एक रूप से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। यह दूसरी बात है कि उधर के लोग पहले माननीय मंत्री जी के अनुदान के समर्थन में एकाध वाक्य कहकर बाद में उसकी आलोचना करते रहे हों। लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई कि जितनी इस विभाग में खराबी है, जितना लोगों को इस विभाग से असन्तोष है, जितनी इसमें अकर्मण्यता है उसे तमाम सदन ने स्वीकार किया। एक भी वाक्य ऐसा किसी भी भाषण में नहीं मिला जो माननीय मंत्री जी की प्रशंसा में हो।

कुछ हमारे मित्र इस बात पर चकित हैं कि योजना और प्रबन्ध खराब है, क्यों? सन् १९५७-५८ की जो प्रशासनिक रिपोर्ट हमको मिली है इसमें लिखा है कि ११ अफसर ऐसे हैं जिनके लिये विभाग ने कहा है कि उन्हें इसलिये रखे हुये हैं कि उनका काम अच्छा है, वे काबिल हैं। मेरे विचार से यह कारण इस विभाग का प्रबन्ध खराब होने का है। इन लोगों को रिटायर किया जाय। अगर वे काबिल हैं तो वे बाहर जाकर भी नेशन का काम करेंगे। एक चीफ इंजीनियर जो सबसे बड़े हैं वह १६ अप्रैल सन् १९५५ को रिटायर होनवाले थे। वे अभी तक चल रहे हैं और यह कहा जाता है कि ३१ मार्च या रिहन्द बांध बांधने में जो पहले तिथि होगी तभी वह रिटायर कर दिये जावेंगे। ३१ मार्च तो हो चुका है मगर रिहन्द बांध अभी चल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि उनके रहने के लिये बांध भी बढ़ जाय संतुलन जनहित में होना चाहिये। जैसे रेलवे में है कि अधिक समय के अनुसार गार्ड को और अधिक मीलों के अनुसार ड्राइवर को भत्ता मिलेगा। यहां यह है नहीं। जितना अधिक समय रिहन्द बांध पर लगेगा उतने ही अधिक समय यह चीफ-इंजीनियर साहेब भी यदि रहे तो हानि होगी। ऐसी दशा में उनकी दिलचस्पी तो इसी में होगी कि बांध देर से पूरा हो। हमारी मुश्किल यह है कि जिसके लिये हम कहते हैं कि यह अफसर अयोग्य और बेकार है या खराब है उसकी उलटे तरक्की हो जाती है। पिछले साल मैंने जी० के० अग्रवाल के लिये सप्रमाण यही कहा था मगर दूसरी जगह वह फिर सरकारी नौकर हो गये। तो यहां हटने का काम ही नहीं है। यह नहीं होता कि नये नये इंजीनीयर आवें नया-नया टैक्नीक आवे जो नयी बातें निकाले। मंत्री जी के लिये पुरानों को ही बनाये रखना बहुत रुचिकर है क्यों कि जब वे मंत्री जी की इच्छा पर ही बने रहेंगे तो उनकी इच्छा के अनुसार उचित और अनुचित काम भी करते रहेंगे। जैसा मैंने ९ लाख के बेरुगा के रेगुलेटर का उदाहरण दिया है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देने की तैयारी की फिक्र में होंगे, यद्यपि उसका कोई उत्तर है नहीं। मैं चाहूंगा कि यदि उनकी समझ में कोई उत्तर है तो वह उसे जरूर देने की कृपा करें। अगर कोई अफसर अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसे फिर कतई नहीं रखना चाहिये।

इस विभाग में इतना आलस्य है कि जितना इस सरकार के किसी भी विभाग में शायद ही हो। हमने एक चिट्ठी लिखी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लोअर गंगा नहर, भोगनीपुर डिवीजन को कि ३ कोलाबे मिलाकर एक जगह कर दिये जावें क्योंकि उससे जो डाल इलाका है वह तोड़ हो जायगा। तीन साल होने को आए परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। जवाब मिलता है कि जांच हो रही है। इसी तरह हमने कहा कि जहां कुआं या तालाब से सिंचाई सम्भव नहीं और नहर उतने के लिये बन नहीं सकती जो वहां कुलाबा चाहते हैं वहां दिया जाय और उस जगह को लिखा, तो कहने लगे कि साहब, पानी ही नहीं है। जहां पर पलेवा करने की बात है, जहां पानी की जरूरत है, वहां इस विभाग के पास देने के लिये पानी नहीं है।

कुओं की तकावी देता है रेवेन्यू विभाग। एक कुवां कानपुर के एक सज्जन ने बनवा लिया। गजना (बिल्हौर) में। कुयें के लिये उनसे तकावी तुरन्त वापस करने को कहा गया यद्यपि कुल १/४ डिसचार्ज है कुयें के पानी का परन्तु उनसे तकावी वसूल हो रही है जबरदस्ती के साथ, वसूली में उन बेचारों का माल-टाल भी चला गया। यह गजना (बिल्हौर) का केस है। हम चाहते हैं कि पूरा काम सिंचाई विभाग करे। कुवों के लिये तकावी भी इस विभाग से मिलनी चाहिये ताकि जनता की परेशानी को भी तकावी वसूली के समय ध्यान में रखा जाय। सिंचाई विभाग पूरी जिम्मेदारी कुवों के बनवाने की लें।

पैसा लेने में तो यह विभाग इतना माहिर है कि किसी न किसी तरह से, पैसा वसूल कर ही लेंगे। हमारे ३,००० आदमी किसानों के लिये जेल गये, ताकि उनके हितों की रक्षा नहर रेट घटा कर की जाय, लेकिन यह सरकार उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करना चाहती है। तीन आना रिबेट खत्म करके कर रही है। यही नहीं घाटे को पूरा करने के लिये वाटर-लेवी के नाम

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

का एक टैक्स और आगामी आम चुनाव के बाद चलेगा । इसके लिये हम निश्चित रूप से कहते हैं कि अगर माननीय मंत्री जी एलेक्शन बाद इन टैक्सों को लगाने का विचार रखते हैं तो हमारी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उनका जम कर मुकाबला करेगी । सबसे पहले वह टैक्स लगाने की हैसियत तो रखें और किसानों के हित में काम करें । अनुरक्षण और मरम्मत पर बेकार खर्च बढ़ाकर, इंजीनियरों के लिये बड़े-बड़े बंगले बना कर करोड़ों रुपये का नुकसान किया जा रहा है और उसके लिये टैक्स का बोझ किसान के ऊपर लादा जाता है । यह हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं और इसका डटकर विरोध करेंगे ।

अनुचित रूप से किसानों से रुपया वसूलने में यह विभाग गीध वृत्ति से काम लेता है । कानपुर का एक केस है कि खाली झावर में पानी भर गया । बरसात के दिनों में नहर का पानी ज्यादा होने के कारण झाबर में चला गया । सिंचाई विभाग ने वहां के लोगों पर टैक्स लगा दिया, यद्यपि किसानों को न पानी की जरूरत थी और न उन्होंने नहर से पानी ही लिया । हंसिया डालकर साझा करना इसी विभाग को आता है, जो वह कर रहा है । वहां के किसानों से पैसा वसूल किया गया यद्यपि उन्होंने उससे पानी नहीं लिया ।

२, ३ साल की बात है । अमरौधा ब्लाक, कानपुर जिले में यह प्रस्ताव पास हुआ कि उर्द बोया जाता है कपास के बाद, जब बरसात हो जाती है । परन्तु उस पर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने कपास का नहर रेट न लगाकर उर्द की आला जिसका महसूल लगा दिया। प्रस्ताव के बाद यह छोड़ दिया गया था लेकिन पिछले साल फिर लगा दिया, जब कहा गया तो उत्तर मिला कि ठीक समझेंगे तो वापिस हो जायगा । ये न तो पिछले निर्णय देखते हैं और न वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं यह खेद की बात है।

इसी प्रकार सीतापुर की बात है । वहां पलेवा का अधिक पैसा सात वर्ष तक वसूल किया गया । वह भी थोड़ा नहीं शायद तीन गुना । कहा कि सर्क्यूलर में गलती हो गई । इसका सीतापुर के लिये अलग सर्क्यूलर है और बाकी जिलों के लिये अलग निकलता है । एक मशीन से एक साथ निकलने पर सर्क्यूलर में कैसे गलती हो गई। मालूम नहीं इनकी ऐसी कौन सी मशीन है जो एक साथ सर्क्यूलर छापने पर भी अलग-अलग जिलों के लिये अलग-अलग सर्क्यूलर निकाल देती है ?

कहते हैं कि सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं की ओर अब अधिक ध्यान दे रहे हैं । हमारे जिले में चार नदियां हैं । नदियों के किनारे की भूमि असिंचित रह जाती है । अगर उसका कोई प्रबन्ध करने की सरकार सोचे तो मैं समझता हूं कि हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो जाय । लाखों रुपये का राष्ट्रीय फायदा हो जाय पैदावार बढ़ाने से । लेकिन यह योजना तो सरकार के विचाराधीन हो ही नहीं सकती चूंकि इसमें इंजीनियर के खाने के लिये पैसे की गुंजायश नहीं है । माननीय होरीलाल जी ने कहा कि सिंचाई के निर्माण कार्यों पर परसेंटेज बढ़ गया है। मैं कहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है । यह जो हमारी योजनाओं का खर्चा कई गुना बढ़ता जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण नहर कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मुनाफे का परसेंटेज बढ़ना ही है ।

अब जरा इनकी योग्यता देख ली जाय । बड़े-बड़े लोग हैं । पलड या कटाव को रोकना इसी विभाग का काम है । कानपुर में अन्तरिम जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास करके कहा कि पानी निचले स्थानों से निकाल दिया जाय । यह जल निकासी की समस्या सूबे भर की समस्या है । पानी निकालने का सुभीता करने से बहुत से हिस्से में बाढ़ आना बन्द हो सकता है । लेकिन इस विभाग के लोग कहते हैं कि ३ साल सर्वे में लगेंगे, ओवरसियर सर्वे करेगा । इसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता है । अगर कहीं साइफन बनने को हो तो उसमें कुछ नहीं कहेंगे । अगर कहीं मिट्टी उठाने का सवाल आ जाय तो उसमें बड़ी जल्दी पैसा अनाप-शनाप खर्च कर देंगे । क्योंकि मिट्टी गड्ढे से उठने लगी तो फिर चाहे जितनी लिख दी जाय उसकी जांच-पड़ताल का कोई सवाल ही नहीं उठता है । जहां जनता का हित साधन होता है वहां

तो विभाग मौन हो जाता है और जहां जनता का हित साधन न होकर उनका हित साधन होता है वहां विभाग बड़ी भारी कर्मठता दिखाता है । यह मैं नहीं कहता कि इसमें सभी लोग बेईमान हैं । इसमें ईमानदार भी हैं लेकिन जो विशस सर्किल बन गया है, जो पुराने भ्रष्ट लोग इकट्ठे हो गये हैं उनके कारण विभाग में भ्रष्टाचार और दुराचार फैला हुआ है। जनहित के कार्य तो बिलकुल ही बंद हो गये हैं । जब से यह सरकार आई है कोई भी लाभप्रद काम नहीं हो पाया है । कोई भी अच्छी योजना नहीं बनाई गई है और न तुलनात्मक अध्ययन करके ही कोई योजना बनाई गई है । आपके सामने कोई ऐसा नक्शा तैयार नहीं है जिसके द्वारा यह जाना जा सके कि प्रदेश की कितनी जमीन को सरकार सिंचाई करना चाहती है । कितनी नहरों से सिंचाई होगी और कितनी ट्यूबवेल्स से । हालत यह है कि कहीं तो नहरों के कारण गर्की की समस्या बनी हुई है और कहीं पानी ही नहीं पहुंच रहा है। दो करोड़ एकड़ का कमांड एरिया सरकार ने मुकर्रर कर दिया लेकिन यह नहीं बताया कि २० या ३० वर्षों में भी वह उसको पूरा कर लेगी। सरकार केवल नारा लगाती है 'अधिक अन्न उपजाओ' का, लेकिन इस प्रकार से वह उपज बढ़ा नहीं सकती है । सरकार ने यह भी नहीं सोचा है कि सघन खेती कैसे होगी। गन्ने की अच्छी खेती के लिये या धान के लिये काफी पानी की जरूरत होती है लेकिन वे बिना पानी के सूखते रहते हैं । मटर और गेहूं के लिये पानी की जरूरत है लेकिन पलेवा के बाद पानी मिल ही नहीं पाता है । आखिर इस विभाग को यह देखना है कि किस प्रकार से इन समस्याओं का हल हो सकता है ।

जलकुंडी योजना के बारे में बार-बार कहा गया है लेकिन इस सरकार को तो ऐसी कोई योजना सूझती ही नहीं है जो सस्ती हो और अच्छी हो । एक इंजीनियर थे जिन्होंने शारदा नहर की अच्छी व सस्ती डिजाइन की थी लेकिन ये जो वर्तमान इंजीनियर हैं कामन सेंस को बिलकुल लैक करते हैं । करोड़ों रुपया बेकार खर्च करते हैं। इनको यह भी पता नहीं है कि फतेहपुर कैनाल इलाहाबाद को भी सींचेगी या नहीं। जब इलाहबाद जिले को सींचने का सवाल आयेगा तो दूसरी कैनाल बना दी जायगी या उसी को चौड़ा किया जायगा और पुल फिर से टूटेंगे, फिर से बनेंगे । एक बार क्यों नहीं सदा के लिये सोच लिया जाता है और बार-बार नहर चौड़ा करने में जो खर्चा होता है उसको क्यों नहीं बचा लिया जाता है । अनेक इसी प्रकार की और भी बातें होती हैं, इसका एक मात्र कारण यही है कि यहां बहुत ऐसे अफसर जुड़े हुये हैं जिनका समय बीत गया है। लेकिन बराबर सरकार उनको ओबलाइज करती जाती है और वे सरकार को ओबलाइज करते हैं, परस्पर आब्लीगेशन चल रहा है ।

अन्त में मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अनुरक्षण विभाग पर जो खर्चा होता है वह चरम सीमा पर है । आप कहेंगे कि इसमें हमने कुछ कमी की है लेकिन ट्यूबवेल्स पर जो आप दो करोड़ से अधिक अनुरक्षण व मरम्मत पर कर रहे हैं उसको भी देखिये । उस पर काफी रुपया बढ़ गया है । वास्तव में बचत नहीं हो पाई है ।

देहरादून में डिवीजन कायम कर शोध कार्य के लिये आपने इंजीनियर रखे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई शोध कार्य करके दिया नहीं है। जैसा कि मेरे द्वारा मंत्री जी से हिमालय की सम्भावनाओं पर पूछा गया लेकिन वे कोई जवाब दे नहीं पाये क्योंकि वहां तो कोई काम हुआ ही नहीं न उन्हें यह मालूम है कि हिमालय में कहां पर बांध की योजना बनाने पर सिंचाई भी होगी और बिजली भी मिलेगी । न यह मालूम है कि कितना किस नदी का कहां पर डिस्चार्ज है । असल बात यह है कि कौन जाय हिमालय में कष्ट सहने और परेशानी उठाने । जनता के पैसे पर ये अधिकारी लोग ऐश करते हैं । उनके लिये सरकार जनता पर और टैक्स लगाना चाहती है । सरकार अपने ऐश जनता के खर्चे पर पूरे करे, यह नहीं हो सकता । असंभव बात है। मैं मंत्री जी को सावधान कर देना चाहता हूं कि वे सिंचाई कर न बढ़ावें या वाटर लैवी आदि न लगावें अन्यथा प्रदेश की जनता उसे सहन न कर सकेगी। अच्छा तो यह हो कि आज ही मंत्री

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जी घोषणा कर दें कि वे भविष्य में चुनाव के बाद सिंचाई पर कोई टैक्स नहीं बढ़ायेंगे, क्योंकि लोगों के अन्दर बड़ा भारी डर है कि अगर तीन आने रिवेट वाले निर्णय को पूरी तरह से सह गये तो ५ रु० वाला टैक्स भी आ जायगा । विकास टैक्स की बात तो होनी ही नहीं चाहिए ।

बिजली की कमी को सरकार ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है लेकिन जब यही बात मैं ट्यूबवेल्स के लिये कहता हूं तो सरकार उसकी सुनवाई ही नहीं करती ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द के समय की ही तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है उसमें से मैं निम्नलिखित अंश पढ़ देना चाहता हूं जिससे स्थिति साफ हो जायगी । वह इस प्रकार है:—

"उचित बिजली न मिलने के कारण पिछली रबी फसल में सरकारी नलकूपों को पारी से चलाने के लिये बाध्य होना पड़ा जिसके फलस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां साल में ६,००० घंटे तक नलकूप चलते रहे हैं, पिछली रबी फसल में दिन में केवल ६, ८ घंटे तक ही नलकूप चलाये जा सके । यही नहीं बहुतेरे नलकूपों के लिये तो बिल्कुल बिजली न दी जा सकी । इस स्थिति से किसानों की हिम्मत पस्त हो गई है और उनकी निराशा से कृषि उपज को काफी धक्का पहुंचा ।"

तो इस तरह सिंचाई योजना के नाम पर प्रदेश का करोड़ों रुपया व्यर्थ खर्च किया जा रहा है । ३१ करोड़ तो पूंजी लागत केवल इस वर्ष ट्यूबवेलों पर ही हो जायेगा। फिर चाहे बिजली मिले या न मिले वे चलें या न चलें ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राममूर्ति—उपाध्यक्ष महोदय, आज की बहस में लगभग १८—२० माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और मुझे इस बात से खुशी है कि इस आदरणीय सदन में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा किये हुये कामों की बहुत प्रशंसा की और कितनेही ऐसे हैं जिन्होंने प्रशंसा के साथ अपनी तकलीफात को भी जाहिर किया और कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें सिंचाई विभाग की कोई भी बात पसन्द ही नहीं आई और वह इसलिये नहीं कि दरअसल उनको पसन्द नहीं आई बल्कि इसलिये कि उनकी अपनी कुछ ऐसी आदत ही बन गई है कि वे किसी बात को पसन्द करते ही नहीं । एक शेर है :—

"इलाजे दर्द दिल, मुझसे मसीहा हो नहीं सकता,
तू अच्छा कर नहीं सकता, मैं अच्छा हो नहीं सकता ।"

जब इस किस्म की आदत लोगों की बन गई हो तो उनसे क्या बहस की जा सकती है ? मुझे इसको मानने में कोई एतराज व तकल्लुफ नहीं है कि मुहकमें के अन्दर १८—२० हजार आदमी काम कर रहे हैं और उनके जरिये ही इस सारी योजना का सम्पादन होता है, तथा अपनी जगह पर यह बात सही है कि काम करने में गलतियां भी होती हैं । कितना ही अच्छा काम क्यों न हो लेकिन उसमें खराबी रह सकती है, लेकिन अगर कोई खराबी निकालने का इरादा ही कर ले तब तो बात ही दूसरी है । जैसे कोई अच्छी पगड़ी बांधे हो फिर भी मैं कह दूं कि अच्छी पगड़ी नहीं बंधी है । अब इसका तो कोई उपाय ही नहीं है ।

मुझे इस बात से भी तकलीफ हुई कि वर्मा जी जो अभी नौजवान हैं, कभी-कभी सीमा के बाहर की बात भी करते हैं । एतराज करना कोई बुरी बात नहीं है । लोगों ने एतराज किया कि हमारे विभाग के अन्दर ४ चीफ इंजीनियर हैं लेकिन सदन को मालूम होना चाहिये कि पंजाब में ९ चीफ इंजीनियर हैं बिहार तथा आंध्र में भी ७—७ चीफ इंजीनियर्स हैं । हिन्दुस्तान में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां हमारे यहां से कम चीफ इंजीनियरर्स हों । साथ ही जिस अच्छी ढंग की योजना हमारे यहां चल रही है वैसी हिन्दुस्तान के किसी सूबे में भी नहीं चल रही है । और जगह के फीगर्स

मैंने इकट्ठे किये हैं जिनको आगे चल कर बतलाऊंगा । हिन्दुस्तान में कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जहां यहां से सस्ते रेट में काम हो रहा हो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिये कि हमारे प्रदेश में इस विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं (व्यवधान) अभी जब इस सदन में सुबह से माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं बड़ी शान्ति से सब की बात सुनता रहा और नोट करता रहा मैंने बीच में एक शब्द भी नहीं निकाला और चुपचाप सुनता रहा । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी संसदीय प्रथा के अनुसार मेरी बातों को सुनें और शान्ति से सुनने की आदत डालें । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब के बारे में जो बात कही उस के विषय में मैं उन को बताना चाहता हूं कि वे कितनी ही बार इस बात की कोशिश करते हैं कि वह इस स्टेट से चले जांय पिछली बार उनके रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर हो कर जाने की बात आई, बाहर की कई स्टेटस हैं कि जो उनको लेना चाहती हैं हमारा जो सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन है वह उनको लेना चाहता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां ऐसे काबिल आदमी को पसन्द न किया जाता हो । जो कुछ एमालूमेटन्स हम उनको देते है उससे भी अधिक और कितना ही ज्यादा देकर बाहर के लोग उन्हें लेने के लिये तैयार हैं । हमारे देश में जो ऊपर के ४-६ इने-गिने योग्य इंजीनियर हैं उन चोटी के लोगों में उनका नाम है । अब आप सोचे कि उनको हम जाने दें तो यह इस प्रदेश के हित में कहां तक अच्छा होगा ? यह भी सही है कि उन के अलावा और लोग भी अच्छे हैं । उनके अलावा इस विभाग में एक्जिक्यूटिव इंजिनियर्स में भी और बहुत से योग्य व्यक्ति हैं । अगर मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं तो कहा जा सकत । है कि We have got a galaxy of good engineers. हमारे यहां दर्जनों बेहतरीन इन्जीनियर्स मौजूद हैं। खैर उन की बात तो जाने दीजिये, हमारे यहां के कुछ असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स इंजीनियरिंग के अमरीका गये वहां उनके डायरेक्टर का उनके बारे में कहना था कि हिन्दुस्तान के लड़कों के दिमाग इतने तेज हैं कि जैसे छुरी की धार तेज होती है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां अच्छे आदमियों की कमी हो लेकिन हो सकता है कि इतने बड़े समूह में कोई मन्द बुद्धि के भी हों, सब एक ही से और अच्छी बुद्धि के लोग नहीं होते । क्या हम सब यहां एक ही सी बुद्धि रखते हैं ? हमारे यहां अच्छे ही लोग अधिक हैं, खराब कम हैं ।

माननीय वर्मा जी का कुछ ऐसा खयाल बन गया है कि सूबे की बहबूदी उनके अलावा और कोई नहीं सोचता । उन्होंने कहा कि गंगा जी पर एक बांध बनाया जाय जो कहीं देवप्रयाग के पास बने । उन्होंने जिक्र किया था और सवाल भी पूछा था तो मैंने उनको बता दिया था कि पहाड़ी क्षेत्रों के नक्शे हमारे यहां प्राहिबिट कर दिये गये हैं, वह अब गोपनीय हैं इसलिये मैं अभी उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाता हूं । मैं तो जहां तक होता है दो एक दिन में ही जवाब मंगाने की कोशिश करता हूं और माननीय मैम्बरों को जवाब दे दिया करता हूं । मैं फौरन महकमें से पूछता हूं और कभी-कभी तो मैं जबरदस्ती जवाब मंगाकर देता हूं । कोई भी सदन के आदरणीय सदस्य अगर मुझसे अपनी कोई दिक्कत जाहिर करते हैं तो मैं उस पर सो नहीं जाता, मेरा तो तरीका यह है कि जैसे ही कोई चीज मेरे नोटिस में आती है तो मैं फौरन ही जानकारी के लिये उसे विभाग के पास भेजता हूं--हालांकि मेरा यह तरीका जरा गैरमुनासिब सा भी है क्योंकि कायदे में तो सेक्रेटेरियट के द्वारा ही कागज जाना चाहिये लेकिन देरी कम करने के लिये मैं सीधे सम्बन्धित अफसर को भेज देता हूं और जवाब मंगा लेता हूं ताकि जवाब जल्दी से दे सकूं और देर न हो । वर्मा जी ने जो गंगा के बांध का जिक्र किया उसके सम्बन्ध में मेरे पास एक कागज है जिसमें जिक्र है वह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि एक बार इस प्रकार का सर्वे हुआ था और उसकी यह रिपोर्ट थी कि देवप्रयाग के नीचे एक स्थान है जहां पर ५५० फुट ऊंचा एक बांध बनाया जाय लेकिन साथ में यह भी रिपोर्ट आई की हिमालय पहाड़ बहुत कमजोर पहाड़ है और उसके मुकाबले में जो सेन्ट्रल प्लेटो मध्यप्रदेश या झांसी की तरफ के

[श्री राममूर्ति]

इलाके का है या जो विन्ध्याचल और अरावली रेन्ज की चट्टानें हैं वह मजबूत ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। उस हैसियत से उस रिपोर्ट का नतीजा यह है कि अगर यहां पर बांध बनाया जाएगा तो बहुत मजबूत नहीं समझा जायगा, इसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी और साथ ही साथ उतना ऊंचा बांध बना देने से देवप्रयाग का तीर्थस्थान डूब जायगा। अलखनन्दा के ऊपर जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि ७५ मील ऊपर बांध बनाएं तो वहां पर रुद्रप्रयाग का तीर्थ डूबा जाता है। हमने एक नानकसागर बनाया है। वहां पर एक मंदिर बना हुआ है। इत्तफाक से कभी गुरु नानक जी वहां गये थे। पानी की कमी होगी। उन्होंने फावड़े से खोद दिया और पानी निकल आया तो वहां फावड़ी गंगा हो गई, ऐसी जनश्रुति है। कहा गया कि यहां बांध बना लेने दें तो उन लोगों ने कहा कि नहीं। बड़ी मिन्नतों से और बड़ी खुशामदों से उन्होंने बांध बनाने दिया और उसमें भी यह शर्त रखी कि बीच में एक बड़ा भारी कुए की तरह का हौज बनाया जाय और उसमें पानी दिया जाय बाहर से ताकि लोग नहा सकें, उसमें लाखों रुपया खर्च करना पड़ा क्योंकि बांध बनाना था। तो यह मजहबी सेन्टीमेन्टस हैं। ऐसे विचारों को कैसे रौंद सकते हैं। अभी हम कह दें कि बांध बनाएंगे तो तमाम पहाड़ के लोग और देश के लोग नाराज हो जाएंगे कि तीर्थों को डुबायें दे रहे हैं। तो यह दिक्कतें थीं वरना वह बांध निगाह में और उसका मजहबी पहलू भी सामने था, इसलिये वह नहीं बनाया गया।

रिहन्ड डैम का जिक्र किया गया। उसका सब पानी खराब हो रहा है। सही है। रिहन्द ऐसी जगह पर है जहां हमारे प्रदेश का आखीर है और ५-६ हजार क्यूसेक्स पानी बिहार प्रदेश में जाएगा। हमने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और बिहार सरकार से भी बहुत कोशिश की कि जो पानी वहां जाय और जो वह इस्तेमाल करें उसका रुपया हमारे यहां मुजरा कर दिया जाय ताकि हमारी स्कीम सस्ती हो जाय लेकिन बिहार की सरकार ने देखा कि यह तो बन ही रहा है तो पैसा क्यों दिया जाय। आखिर वह तैयार नहीं हुए फिर या तो हम उसे न बनाते और बनाते हैं तो जो नुक्सान है उसको बर्दाशत करें। लेकिन वह बेहतरीन योजना है प्रदेश की। ऐसी नेचुरल जगह और कहीं अपने प्रदेश में नहीं है। इसलिये डैम बनाया गया और उसी के सिलसिले में नीचे दो योजनायें बिजली बनाने की बनाई जा रही हैं जिनसे हमारे प्रदेश के लिये दो-चार लाख किलोवाट बिजली और मिलेगी। यह भी जानकर आपको खुशी होगी कि उस क्षेत्र के अन्दर एक अलयूनियम का प्लान्ट लगेगा और अब एक दूसरा प्लान्ट लगने की बात हो रही है, रेलवे डिपार्टमेन्ट भी बिजली ले रहा है। अगले १०-१५ साल के अन्दर ज्यों ज्यों बिजली बढ़ेगी हो सकता है कि वह क्षेत्र कानपुर से भी बढ़कर जगह हो जाय इतने कारखाने वहां लगने वाले हैं। आजकल बिजली की जरूरत है। जहां बिजली है वहां पर इंडस्ट्री बढ़ रही है।

वर्मा जी ने जलकुन्डी रिजर्वायर के बारे में जिक्र किया कि बड़ी बढ़िया योजना है। मैं जानता हूं और सन् १९५२ के जमाने से जानता हूं। मेरे जमाने में ही सर्वे हुआ लेकिन जलकुन्डी है नैपाल के अन्दर, तो कैसे बनाएं, सर्वे होते हुए ऐसा, भी वक्त आया कि हमारे लोगों की गिरफतारी शुरू हो गई कि आप घुस नहीं सकते। अब इन चीजों को देखना पड़ता है। आज कुछ ऐसा प्रोपेगैन्डा नैपाल के अन्दर हिन्दुस्तान के खिलाफ हो रहा है जो हमारे हक में नहीं है। हमारा कार्य अभी पूरा नहीं हो रहा है।

एक बात का और जिक्र किया, शायद अपने दिल की खुशी के लिये, या और क्या मंशा रहा होगा, कि इंजीनियर साहब को मंत्री जी अपनी इच्छा के मुताबिक इसलिये रखते हैं ताकि उनकी मर्जी का काम हो। मैं नहीं जानता इस विभाग के अन्दर मेरी क्या मर्जी का काम है? मैं तो समझता हूं जहां ट्यूववेल बन रहे हैं उससे वहीं के लोगों का हित होता है, जहां रिजरवायर बने हैं उनसे वहां के लोगों का हित होगा। मेरी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं मैं स्वयं नहीं जानता। मैं तो नदी के किनारे रहता हूं, वहीं मेरी खेती है और प्राइवेट इंजिन मैंने अपना लगा रखा है उसी से पानी ले लिया करता हूं। इसलिये माननीय सदस्यों को ऐसा

नहीं सोचना चाहिये कि मंत्री के निजी स्वार्थों से इंजीनियरों को रखा जाता है। मैं यह भी बताता हूं कि हमारे विभाग के इंजीनियर साहबान सभी सेल्फ रेस्पेक्टिंग लोग हैं अगर मैं किसी काम को कहता हूं तो उसकी रिपोर्ट मंगाता हूं और जो सही बात होती है वही वह लिखते हैं।

कहा गया कि हमारी स्कीमें बड़ी अनप्रोडक्टिव हैं। असल में शब्द अनप्रोडक्टिव गलत है, अनरेमुनरेटिव लिखना चाहिये। क्योंकि जब कुछ पानी जाता है तो उससे कुछ तो लाभ होता ही है, यह जरूर है कि जितना रुपया लगता है उस हिसाब से सूद नहीं आता।

इस सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब गंगा कैनाल बनी तब १३ साल के बाद एक जांच कमेटी बैठायी गई और उस कमेटी की ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनी तो उसमें लिखा गया कि गंगा कैनाल बनाकर कर्नल काटली ने जितनी बड़ी बेवकूफी की है उतनी बड़ी बेवकूफी दुनिया में कभी नहीं हो सकती है और कहा कि ऐसी बेहूदा स्कीम है जिससे प्रदेश को कर्जे का भारी भार उठाना पड़ेगा और न मालूम कब तक उठाना पड़ेगा। यह रिपोर्ट थी। आज मैं बताता हूं कि उस कैनाल की बदौलत हर तीन साल में जितना रुपया लगा है वह वसूल हो जाया करता है। इसी तरह शारदा कैनाल जब बनी वह अनप्रोडक्टिव बतायी गई। ४ साल पहले जो काम बनता है उससे खर्चे में भी तो फर्क हो जाता है। ईंट सीमेन्ट का भाव पहले से कितना ज्यादा हो गया। पहले १४ आने को सीमेंट की बोरी मिलती थी आज सवा सात रुपये की मिलती है। ईंट का भाव कितना बढ़ गया है? मिट्टी के काम को देखिये वह भी महंगा पड़ता है पहले की बनिस्बत। तो जब महंगी है और जिसको समझ रहे हैं कीमती स्कीम है, थोड़े दिनों बाद देखें गे कि जो चीज खूब बन गई। सुबह मैंने उस बात की तरफ इशारा किया था कि शुरु में जितनी अच्छी स्कीमें थी वह सब ले ली गई और उन्हें बनाया गया और रिटर्न भी मिला। लेकिन जब मुल्क को आजादी मिली उसके बाद उन तमाम इलाकों में जहां पहले सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, या पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, उन्होंने भी मांग की उनके यहां पानी की सुविधा की जाय। जो माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन में पुराने बैठने वाले हैं, पिछले १०, १५ साल से हैं, जानते हैं कि उस जमाने से बराबर पूर्वी जिलों से तथा पहाड़ी जिलों से यह मांग थी कि उनके यहां भी सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में बनाये जायं। जब इंजीनियर्स की राय हुई कि पूरब के जिलों के अन्दर नहरें अच्छी नहीं बनायी जा सकतीं क्योंकि जमीन का ढाल अच्छा नहीं था तो यह मांग हुई कि ट्यूबवेल लगाये जायं। आपने पढ़ा होगा रिहन्ड डैम के सिलसिले में यह भी एक नोट बना था कि पूरब में जो हजारों ट्यूबवैल हैं उनको बिजली दी जायेगी। ट्यूबवैल की इकोनामी ऐसी है, आप सब ने पढ़ा होगा जो प्रोफारमा एकाउन्ट आपके सामने है। आज हमारे यहां साढ़े ६ हजार ट्यूब वैल हैं और एक ट्यूबवैल से तीन, साढ़े तीन हजार रुपये का नुकसान साल में होता है। अगर ट्यूबवैल ४,००० घंटे चले तो २००, २२५ रुपये का नुकसान होगा। लेकिन हमारे यहां हजारों ट्यूबवैल हैं जो दो हजार घंटे भी नहीं चलते। तीन, चार सौ ट्यूबवैल ऐसे हैं जो ४०, ५० घंटे ही चलते हैं। आधा इंच पानी बरस गया तो पानी की जरूरत नहीं है। २ करोड़ ७० लाख रुपये के नुकसान हमारे प्रदेश में ट्यूबवैल से हो रहा है। हर साल यह नुकसान बढ़ा है।

जो नहरें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। तीन लाख रुपये का नुकसान है। नुकसान क्यों है? पिछले १०, १२ साल के अन्दर करीब १२, १४ करोड़ रुपये का काम बाढ़ के सिलसिले में तथा ड्रेनेज के सिलसिले में हुआ। बाढ़ की जो योजनायें हमने बनाई हैं उनके बदले में कोई पैसा हम लेते नहीं हैं। बहराइच जिले में जाने का मुझे अवसर हुआ। एक बहुत लम्बा चौड़ा बांध ५२ मील का वहां बनाया गया। दूसरे साल जाने का मौका हुआ। वहां लोगों ने बतलाया कि उस बांध से जो फसल मक्का की वहां हुई उसकी वह ७२ लाख रुपये कीमत

[श्री राममूर्ति]

थी। ४८ लाख का बांध और ७२ लाख पहले साल में पैदावार यह कुछ है ही नहीं, कोई अच्छा काम नहीं है ? लेकिन हमारे माननीय सदस्य इसे मानने को तैयार नहीं हैं। यह मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूं, उनको दोष नहीं बतलाता। १४ करोड़ रुपये का काम हुआ। ६०, ७० लाख रुपया सूद हुआ। यदि उसमें से यह भी काट दिया जाय तो क्या नुकसान है ? तो इस तरह से हम नुकसान में नहीं चल रहे हैं।

इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत कायदे से १,३०० ट्यूबवैल बनाने चाहिये लेकिन मैं देख रहा हूं कि ट्यूबवैल की वजह से हमारे नुकसान बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने सज्जन बोले तीन-चार को छोड़कर हर सज्जन ने ट्यूबवैल की पहले मांग की। मुझे जहां कहीं दौरे पर जाना होता है हर जगह इस बात की मांग है कि उनके इलाके में ट्यूबवैल ज्यादा बनाये जायं। लेकिन मैं यह कोशिश करता हूं कि हम उन इलाकों में मेसनरी वेल्स बनायें। दो, डेढ़ हजार रुपये में एक मेसनरी वेल बन जाता है। बनारस जिले में २० कुवों पर मने एक्स-पेरीमेन्ट भी कराया। वह अच्छा है उम्मीदअफजा है। एक कुवें से १०,१२ एकड़ की सिंचाई हो जाती है। इससे बढ़िया इकोनामी कोई है नहीं। लेकिन जमाने की रफतार ऐसी है कि हर इंसान आराम चाहता है। इंसान ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें उसे जरा भी तकलीफ हो। आप किसी महकमें को उठा कर देख लीजिये। पहले के जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये कि चलने फिरने में १०,५ मील बात करते करते ही चले जाते थे लेकिन अब २ मील चलना है तो इन्तजार करेंगे रोडवेज की सर्विस का। पानी रहट चलाने में मेहनत कौन करे। ट्यूबवैल का पानी आसानी से मिलता है।

मेसनरी वेल से पानी लिया जा सकता है लेकिन जरा मुश्किल है। साथ-साथ घूमते चले जा रहे है घंटों और बैलों को भी घुमा रहे हैं। बहरहाल, हमने इरादा किया है कि बजाय १,३०० ट्यूबवैल के हम ७०० ही बनायें और जो रुपया बचे उसे माइनर इरिगेशन स्कीम्स में लगायें जैसे मेसनरी वेल्स हैं और पहाड़ों में छोटी-छोटी बन्दियां है और इस तरह से सिंचाई के साधन ज्यादा बढ़ायें।

मैं पहले कह चुका था कि हमारा खर्चा प्रति एकड़ कितना होता है और अन्य स्टेट्स में कितना खर्चा प्रति एकड़ होता है। यह मैं उन स्कीम्स के बारे में बता रहा हूं जो १ करोड़ या उससे ज्यादा की हैं।

उत्तर प्रदेश—

माताटीला बांध, कुल लागत ११ करोड़ ६६ लाख रुपया। आबपाशी ४ लाख १२ हजार एकड़, परसेंटेज ३४४ रुपये प्रति एकड़। राम गंगा मल्टी परपजेज प्रोजेक्ट—कुल लागत ३४ लाख ५५ हजार, आबपाशी १७ लाख एकड़, ऐवरेज २०३ रुपये प्रति एकड़।

शारदा सागर स्टेज २—कुल लागत ६ लाख ३५ हजार, आबपाशी १ लाख ८५ हजार एकड़, ऐवरेज ३४३ रुपये प्रति एकड़।

नानक सागर —कुल लागत ३ लाख ८० हजार रुपया, आबपाशी एक लाख ३१ हजार रुपया ऐवरेज २८६ रुपया प्रति एकड़।

भेजा रिजरवायर —कुल लागत २ लाख १० हजार, आबपाशी ७० हजार एकड़, ऐवरेज २६७ रुपया प्रति एकड़।

दोहरी घाट पम्प्ड कैनाल —टोटल लागत १ लाख ७५ हजार रुपया, आबपाशी १ लाख १८ हजार एकड़, ऐवरेज १४७ रुपया प्रति एकड़।

जिरगो रिजरवायर ---कुल लागत १ लाख २१ हजार , आबपाशी ६४ हजार एकड़, ऐवरेज १९० रुपया पर एकड़।

हमारा ऐवरेज आता है २३७ रुपये प्रति एकड़। इसी तरह से औरों का भी है अब आप देखिये ---

आन्ध्र प्रदेश---

नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट---कुल लागत ९१ लाख १२ हजार, आबपाशी २० लाख ६४ हजार एकड़, ऐवरेज ४४२ रुपया प्रति एकड़।

तुंगभद्र प्रोजेक्ट---कुल लागत १३ लाख रुपये, आबपाशी ३ लाख ८८ हजार एकड़, ऐवरेज ३३५ रुपया प्रति एकड़।

वसंधरा प्रोजेक्ट---कुल लागत १२ लाख ५५ हजार, आबपाशी २ लाख २८ हजार एकड़, ऐवरेज ५५० रुपये प्रति एकड़।

पोचम्पाद प्रोजेक्ट ---कुल लागत १५ लाख २५ हजार, आबपाशी ३ लाख ६० हजार एकड़, ऐवरेज ४२४ रुपये प्रति एकड़।

इसी तरह से और भी हैं। उन सबका ऐवरेज आता है ३९३ रुपये पर एकड़।

सब पढ़ने में बहुत वक्त लग जायगा इसलिये अब मैं सिर्फ टोटल कास्ट और ऐवरेज आपको बताऊंगा।

मैसूर---इनकी कुल लागत है २२५ करोड़ १ लाख, आबपाशी होगी ३९ लाख ९ हजार एकड़, ऐवरेज आता है ५७६ रुपया प्रति एकड़।

महाराष्ट्र---इनकी टोटल कास्ट लगेगी १०० करोड़ ३७ लाख, आबपाशी होगी ११ लाख ७३ हजार एकड़, ऐवरेज आता है ८५६ रुपये पर एकड़।

गुजरात---टोटल लागत लगेगी १२२ करोड़ १६ लाख रुपये, आबपाशी होगी २१ लाख ५९ हजार एकड़, ऐवरेज आता है ५६६ रुपये पर एकड़।

मैंने कोशिश की थी कि हर स्टेट के आंकड़े मंगाऊं लेकिन एक दिक्कत यह होती है कि हर प्रदेश के आफीसर जल्दी अपनी चीज देने में इन्कार करते हैं। एक इंजीनियर भेज कर मैंने यह सब मंगवाया। अब बताइये कि भला कौन सी स्टेट हिन्दुस्तान की है जिससे हमारा काम गिरा हुआ है।

दूसरी बात जिसकी चर्चा बहुत हुई वह रिबेट के सिलसिले में कि रिबेट वापस की जाय। सही बात है, मैं माननीय सदस्यों के सेन्टीमेन्ट को समझ सकता हूं, मैं भी एक वर्कर हूं और करीब ३०-३२ साल मुझे बहैसियत एक मामूली वर्कर के काम करते हो गये हैं, कोई ऊपर का बिठाला हुआ लीडर टाइप आदमी नहीं हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि हमसे कोई भी इन्सान ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो कि टैक्सेज लगायें जांय और हमको इससे खुशी भी नहीं होती, लेकिन देखने की बात यह है कि मौजूदा जमाने की गरानी को देखते हुए हम चीजों को बनायें या न बनायें। उन पुरानी बातों को जाने दीजिये जब गंगा और यमुना कैनाल्स बनी थीं। आज तो हर चीज की कीमत चार, पांच गुना ज्यादा है। या तो हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जांय या फिर इस महंगी के जमाने में भी किसी न किसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ायें। ये जो रेट्स कायम हुए थे ये सन् १९४८ में एक रेट्स कमेटी बैठाली गयी थी उसने तय किये थे। उस कमेटी में इस आदरणीय सदन के भी १२ मेम्बर साहबान थे अलावा मिनिस्टर व उनके डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब के। उस कमेटी ने तमाम बहस मुबाहिसे के बाद, तमाम विचारों को जानने के बाद ये रेट्स तय किये और तब

[श्री राममूर्ति]

ये हमारे प्रदेश में लागू किये गये। बीच का जमाना कुछ ऐसा होगया कि जिसमें गल्ले के दाम गिर गये, प्रदेश में बाढ़ आई, हमारे प्रदेश में सूखा भी पड़ा। अब इसकी मांग हुई कि किसानों को कुछ रियायत दी जाय। लिहाजा तीन आने की रिबेट वापस कर ली यानी उनको दे दी गई। अब हमने देखा कि चार साल में कुछ सूखे की इल्लत से बचे, नहर का पानी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, कुछ कुदरत की आफत भी कम हुई, उनकी वजह से हमारी हालत अच्छी हुई, धान की और गेहूं की पैदावार भी अच्छी हुई। इसलिये सोचा गया कि प्लान के लिये इतनी बड़ी रकम की जरूरत है रुपया कहां से लायें। लिहाजा यह सोचा गया कि जो कन्सेशन हमने दिया था उसको वापस लें। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आप भाइयों को खयाल पड़ता होगा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि वह ४९५ करोड़ रुपया उसी समय देंगे जब १४७ करोड़ रुपया हम फराहम करेंगे। जब प्रदेश को बनाना है तो रुपया कहीं न कहीं से लाना ही होगा। यह बात तो दूसरी है कि बगैर जिम्मेदारी से कह दें कि यहां से निकाल लेंगे, वहां से निकाल लेंगे। यह जो लोग कह दिया करते हैं कि फैक्टरी वालों के ऊपर जो रुपया है उसको वसूल कर लिया जाय। आपके जो प्रोफारमा एकाउन्टस हैं क्या उनमें उनका जिक्र नहीं है? यह तो सब से वसूल किया जाता है। जो देने में नाकाबिल होते हैं उनसे अगले साल वसूल किया जाता है और उसका सूद भी लिया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---दो अरब रुपया इन्कम टैक्स का बाकी है।

श्री राममूर्ति---जी हां है। वह वसूल किया जाता है। लिहाजा यह कह देना गैर-मुनासिब बात है कि वसूल किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि सिंचाई के काम बने और उनमें करोड़ों रुपये लगे और उनसे लोग फायदा उठा रहे हैं, आबपाशी अपने खेतों की कर रहे हैं, ट्यूबवेलों के जरिये, नहरों के जरिये और अन्य साधनों के जरिये। यह कौन-सी दुनिया का इंसाफ है कि आबपाशी आप अपने खेतों में करें और जो तीन करोड़ रुपये का नुकसान हो वह सारी जनता पर बांटा जाय, जो पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके ऊपर बोझा डाला जाय। इस तरफ और उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य जनता के नुमायन्दे हैं लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अगर उनके क्षेत्र में ७५-८० हजार वोटर हैं तो उनमें से ४० हजार वह हैं जो अपने यहां आबपाशी करने के लिये सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि कुवां खोदकर या परमात्मा के आसरे पर अपनी फसल पैदा कर रहे हैं। अब आप लोग यहां बैठकर हिमायत तो कर रहे हैं जिनके लिये रुपया खर्च किया गया है और उससे वह फायदा उठा रहे हैं और उनकी हिमायत करने के लिये तैयार नहीं हैं जो एक पैसे का फायदा नहीं उठा रहे हैं लेकिन टैक्स देने के लिये तैयार हैं और तीन करोड़ रुपये का वजन अपने सर पर लादे हुए हैं। गवर्नमेन्ट तो इस उत्तर प्रदेश की सात करोड़ जनता की है और उसी के द्वारा चुनकर हम और आप लोग यहां आये हैं। हम सब लोग पब्लिक भी हैं और गवर्नमेन्ट भी हैं। कल भी उधर के लोग गवर्नमेन्ट में जा सकते हैं। क्या आप सारे टैक्सों को छोड़ देंगे? आप कौन सा तरीका निकाल लेंगे जो हमने सोचा नहीं है। ऐसी बात कह देने से काम बनता नहीं है अगर आप अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तकलीफात उठानी होंगी, गरीब को भी, अमीर को भी। लेकिन यह इंसाफ नहीं कि जो आदमी सिंचाई के साधनों का फायदा नहीं उठाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का उन लोगों का भार डाला जाय तो सिंचाई का फायदा उठाते हैं।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---ईस्टर्न यमुना कैनाल के लिये बता दीजिये।

श्री राममूर्ति---ईस्टर्न यमुना कैनाल जिन्दाबाद और आप जिन्दाबाद।

करीब १०० साल पहले यह कैनाल बनी थी । इतनी आमदनी इसकी होती है कि हर तीन सालों में अपने खर्चे को पूरा कर देती है । उसके पुनरुद्धार में करीब ८४ लाख रुपया खर्च किया गया और माननीय सदस्य इस बात को भी जानते हैं कि उसकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। रबी के जमाने में पानी कम होता है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जब पंजाब और उत्तर प्रदेश का बटवारा हुआ तब एक ऐग्रीमेन्ट बना, कि इतने परसेंट पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा और इतने परसेंट पंजाब को मिलेगा । अगर पानी बढ़ जायगा तो इतना पंजाब को और इतना उत्तर प्रदेश को मिलेगा उस मुआहदे के मुताबिक जितना पानी बढ़ता है उसे हम और पंजाब बांटते हैं । हमने एक कमेटी बिठा रखी है। उसकी रिपोर्ट आने वाली है । हम इस बात की कोशिश में हैं कि जो बम्बला का मोहाना है, जहां से नहर उत्तर प्रदेश की तरफ आती है उसको रिमाडेल किया जाय और जितना पानी ज्यादा से ज्यादा आ सके लें। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो क्षमता बढ़ी है उसका पूरा फायदा बरसात में उठाया जाता है । मुंजी की पैदावार पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गयी है । यही नहीं बल्कि लोअर गंगा के ऊपर मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, पांच जिले ऐसे हैं जहां पर अगर एक मन धान पैदा होता था तो आज २५–३० गुना पैदा हो रहा है । मैं पिछले दिनों इटावा गया था । जब कि १०–१२ साल पहले वहां की मंडी में १ लाख मन धान आया करता था आज लगभग ४४ लाख मन आता है । तो यह बात नहीं है कि बरसात में जो पानी आता है वह किसी काम का नहीं होता । जब राम गंगा का रिजर्वायर बन जायगा तो धान और रबी दोनों का फायदा उठा लिया जायगा ।

एक सदस्य––माननीय मंत्री जी यह बात साफ करें कि जो आदमी एक बार पानी लेता है और जो आदमी ६,६ बार पानी लेता है, सब से बराबर महसूल क्यों लिया जाता है ?

श्री राममूर्ति––नहर का नियम यही है कि जब नहर का पानी आता है तो जो भी कुलाबा नहर पर लगा हो उससे जितना चाहें पानी लें । (व्यवधान) ट्यूबवेल में यह कायदा नहीं है, लेकिन नहर का कायदा यह है कि चाहे जितनी बार पानी लगाएं उतना ही लगान पड़ेगा ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)––ट्यूबवेल में ऐसा क्यों नहीं है ?

श्री राममूर्ति––ट्यूबवेल का कायदा यह है कि १ रुपया का १६ हजार गैलन पानी दिया जाता है । रिबेट जब नहीं बिदड़ा हुआ था उस वक्त तक १९ हजार मिलता था। शुक्ल जी ने एक बात और पैदा कर दी है तो नहर के इलाके के और उन्होंने ट्यूबवेल का सवाल उठा दिया । बहरहाल, सब बातों का जिक्र तो अब नहीं हो सकता क्योंकि समय नहीं है । लेकिन मैं एक बात का जिक्र और कर देना चाहता हूं । कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के बारे में बड़ी चर्चा है और यह सही है कि पिछले आठ दस सालों से वह लोग बड़े परेशान हैं । वह इस माने में कि वह इसकी एकोनामी को तो समझते नहीं । लोगों ने कह दिया कि १५ हजार में टी० डब्लू० बन जायगा और वह समझे कि चलो इतने में काम पूरा हो जायगा । जब कि असल बात यह है कि १५ हजार में तो वह पहले भी नहीं बनते थे और अब तो वह बनते हैं ४८–५० हजार में । लेकिन उसके साथ-साथ ट्यूबवेल बनाना ही काफी नहीं होता । उसके साथ-साथ एक मील की पक्की नाली भी बनानी पड़ती है । हमने तो कई कई जगह दो दो मील की नालियां बना दी हैं । फिर मुहकमे के जरिये से जब पानी लिया जाता है तो आपने उसको ले लिया और फिर महीनों बाद उसका पैसा दे दिया । कोआपरेटिव ट्यूबवेल में जब चलाने का वक्त आता है तो डिजिल से चलता है तो डिजिल की जरूरत है, तेल से चलता है तो तेल की जरूरत है, बिजली से चलता है तो फौरन ही महीने भर बाद उसका महसूल आ जाया करता है । यह सब दिक्कतें हैं जो किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते । तो कई सालों से उसके लिए इसरार चल रहा था उनको लेने के लिए ।

[श्री राममूर्ति]

मैंने जांच करायी। उसके बाद १३ एक दफा लिया, ४४ एक दफा लिया और अब इस कोशिश में हैं कि ८० ट्यूबवेल इस साल भी लें।

यद्यपि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं और भी बातों का जवाब देता लेकिन टाइम नहीं रह गया है जिससे मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि जिन्होंने भी अपने जिलों के बारे में यहां दरख्वास्तें की हैं वह मेरे यहां तशरीफ ले आयें या वह मुझसे कहें तो मैं उनके यहां आने को तैयार हूं। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा, और हमारे इंजीनियर साहबान भी तथा सेक्रेटेरियट भी बराबर इस बात की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम उनकी तकलीफों को दूर करें। आखिर, यही हमारी मंशा है, और हम इसीलिए यहां आये हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया और उनसे और वर्मा जी से खासतौर से यह अनुरोध करूंगा कि जिस मुहकमें में रचनात्मक काम हो रहा है उसमें एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, इसको सभी माननीय सदस्य मिलकर पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

अनुरक्षण व भवन निर्माण आदि पर होने वाले अपव्यय व भ्रष्टाचार का पर्दाफाश पर चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ११,५४,१७,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य— नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

सिंचाई शोध आदि के अधिकारियों द्वारा कार्यों के सम्पादन में आलस्य एवं अन्य अपव्ययों के उद्घाटन आदि पर चर्चा करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११, सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ५,०३,२९,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिए स्वीकार की जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अनुत्पादक सिंचाई कार्यों पर अधिक और उत्पादक कार्यों का सम्पादन न करने पर चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६, सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १२,३५,७३,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६१-६२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग को भंग करने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद (क्रमागत)†

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश को बड़ी खुशी हुई थी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित किया गया है और कालेजों में जो बढ़ता हुआ अनाचार है, अनुशासनहीनता है, उसको समाप्त किया जायगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यह सुनकर कि आयोग को तोड़ दिया गया है बड़ा दुख हुआ क्योंकि ७ करोड़ प्रदेश की जनता की शिक्षा का और उनके नैतिक स्तर का कोई मामूली महत्व नहीं है। बहुत बड़ा महत्व होता है। इस वक्त जब कि इस आयोग को तोड़ा गया है कम से कम हर शिक्षा प्रेमी को ठेस पहुंची है। जो हालत आज है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। यह हमारे सारे प्रदेश के लिये शर्म की बात है कि स्वर्गीय श्री एम० एन० राय की मिसेज एलेन राय का हत्यारा एक विद्यार्थी है। यह हमारे सब के लिये खासतौर से शिक्षा प्रेमियों के लिये बड़े शर्म की बात है। इस वक्त जब कि करोड़ों रुपया और चीजों में बहाया जा रहा है, नाच, गाना और कल्चरल प्रोग्रेस में खर्च किया जा रहा है, उस वक्त आयोग को सिर्फ बचत के नाम पर तोड़ देना हर एक राष्ट्रप्रेमी के लिये, शिक्षा प्रेमी के लिये, एक बहुत जबरदस्त आघात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कायम रखा जाय। उसको न तोड़ा जाय। चूंकि आज अनुशासनहीनता बढ़ रही है और नैतिक ह्रास हो रहा है, इसके लिये जरूरी है कि आयोग को कायम रखा जाय बल्कि इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाय। जरूरत इस बात की है और मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर हम विद्यार्थियों का सही निर्माण नहीं कर सके तो भविष्य और भी अन्धकार में आ जायगा। हमारे चरित्र का निर्माण और हमारी शिक्षा की बुनियाद इसी माध्यमिक शिक्षा के ऊपर निर्भर है। तो मेरी बड़ी नम्रता के साथ यह प्रार्थना है कि इस आयोग को कायम रखा जाय और इसके साथ-साथ अगर बचत का, या किसी किफायतशारी का महत्व हमारी शिक्षा से ज्यादा हो, हमारी तालीम से ज्यादा हो और किफायत और बचत की इम्पार्टेन्स हमारी शिक्षा से अधिक हो तब हम यह मान लेंगे कि वाक़ई इस आयोग को खत्म कर दिया जाय लेकिन अब जब कि ज्यादा जरूरत है अपने ऊंचे चरित्र की और राष्ट्र निर्माण की उस समय इस आयोग को खत्म करना राष्ट्र विरोधी है और कम से कम शिक्षा प्रेमियों को आघात पहुंचाने वाला है। सब से अधिक उस शिक्षा की आज जरूरत है जो चरित्र निर्माण में सहायक हो। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो ऐसा चरित्र बनाव कि "यदन्तरम् तद् वाह्यम् और यद् वाह्यम् तदन्तरम्"। मनुष्य का सार्वजनिक जीवन भी वही हो और मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन भी वही हो। आज मनुष्य जीवन की दो धारायें हैं। जो मनुष्य यह समझता है कि उसकी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी है और प्राइवेट लाइफ की तरफ से बेपरवाह है वह राष्ट्र निर्माण में योग नहीं दे सकता। राष्ट्र निर्माण में कम से कम जो लोग बापू के सिद्धान्त को मानते हैं और वैदिक कल्चर को मानते हैं उनके लिये जरूरी है कि प्राइवेट जीवन उनका सादा हो, उच्च हो, पवित्र हो। तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। शैले ने कहा था:

"The most fatal error that ever happened in the world was the separation of political and ethical science."

---

†५ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री यशपालसिंह]

सब से बड़ी गलती जो की गयी है वह यह कि हमने धर्म और राजनीति को अलग-अलग कर दिया है। अगर हमारे जीवन में पवित्रता आ जाय तो कोई कारण नहीं कि हमारी शिक्षा इतनी गिर सके। जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो देखता हूं कि चारित्रिक ह्रास होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन १४ सालों के बाद भी लखनऊ की दीवारों पर पोस्टर लगे हुए मैंने देखे हैं और उनमें लिखा है कि "४० करोड़ दिलों पर हुकूमत करने वाली नरगिस", "३६ करोड़ दिलों पर हुकूमत करने वाली सुरैया", और इन्हें देख कर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। इसका मतलब यह है कि हम १०० फी सदी दुश्चरित्र हैं। हमारा चरित्र १०० फीसदी गिरा हुआ है। क्यों न उन हाथों को काट दिया जाय जो इन दीवारों को अश्लीलता से रंगते हैं। इंडिविजुअल चरित्र की जो तालीम आज दी जा रही है, यह सही है कि उससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और इस तालीम से कभी आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इस देश का निर्माण कर सकेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि जिसे आप इखलाकी तालीम, मारेल एजूकेशन कहते हैं वह दी जाय। अगर आज नैतिकता की शिक्षा न दी गयी तो देश की उन्नति नहीं हो सकती। यह आयोग इसलिये कायम किया गया था कि यह इस प्रदेश पर, इसकी शिक्षा पर नियंत्रण रखे, अच्छी सलाह और मशविरा दे, लेकिन उसके खात्मे से और ज्यादा ह्रास होगा। राष्ट्र का निर्माण भारतीय कल्चर पर होगा, लेकिन आज जो वैदेशिक शिक्षा है वह हमारे बच्चों को पतन की ओर ले जा रही है।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस कोरम की जिम्मेदारी विरोधी दलों की है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—जब कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है तो हम लोग आते हैं इसी तरह से उनको भी आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये आपस में आपको समझौता करना चाहिये।

श्री प्रताप सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि बजट सेशन में बहुत से लोग बिजी हैं, इसलिये इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोरम का प्रश्न न रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जब कोरम नहीं है तो यह प्रस्ताव पास कैसे हो सकता है।

चूंकि काफी समय से घंटी बज रही है और कोरम नहीं हो रहा है, इसलिये अब यह समाप्त किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन को ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७२ पर)

उत्तर प्रदेश में स्थापित परिवार नियोजन केन्द्रों की सूची

नगर परिवार नियोजन केन्द्र

१—बलिया
२—मेरठ
३—लखनऊ
४—बरेली
५—वाराणसी
६—आगरा
७—इलाहाबाद
८—लाला लाजपत राय अस्पताल कानपुर
९—यू० एच० एम० अस्पताल कानपुर
१०—सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा
११—फैजाबाद
१२—झांसी
१३—गोरखपुर
१४—अलीगढ़
१५—सहारनपुर
१६—रायबरेली
१७—मिर्जापुर
१८—मुरादाबाद
१९—फिरोजाबाद
२०—फर्रुखाबाद
२१—औरई
२२—आजमगढ़
२३—बहराइच
२४—देवरिया
२५—बस्ती

ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र

केन्द्र का नाम	जिला	केन्द्र का नाम	जिला
१—बाह	आगरा	२०—कायमगंज	फर्रुखाबाद
२—खेरागढ़	,,	२१—जलालपुर	फैजाबाद
३—टप्पल	अलीगढ़	२२—निचलौल	गोरखपुर
४—हसायन	,,	२३—ऐट	जालौन
५—चैल खास	इलाहाबाद	२४—डकौर	,,
६—मांडा	,,	२५—चिरगांव	झांसी
७—चम्पावत	अल्मोड़ा	२६—कल्यानपुर	कानपुर
८—लालगंज	आजमगढ़	२७—घाटमपुर	,,
९—कैशरगंज	बहराइच	२८—सरोजिनी नगर	लखनऊ
१०—तजवापुर	,,	२९—बख्शी का तालाब	,,
११—गरवार	बलिया	३०—लोनी	मेरठ
१२—रुदौली	बाराबंकी	३१—दूधी	मिर्जापुर
१३—धनवापुर	बस्ती	३२—खटीमा	नैनीताल
१४—जनमई	बदायूं	३३—सैदनगर	रामपुर
१५—डनकौर	बुलन्दशहर	३४—ननौता	सहारनपुर
१६—भोजीपुरा	बरेली	३५—कूंडेभार	सुल्तानपुर
१७—साहसपुर	देहरादून	३६—गरूर बैजनाथ	अल्मोड़ा
१८—कैप्टेनगंज	देवरिया	३७—नवाबगंज	बरेली
१९—पहावर	एटा	३८—मझ गवां	,,

केन्द्र का नाम	जिला	केन्द्र का नाम	जिला
३९—नगर बहादुरपुर	बस्ती	८२—कसिया	देवरिया
४०—फाजिल नगर	देवरिया	८३—तमकोही	,,
४१—डीकापुर	फैजाबाद	८४—महेवा	इटावा
४२—खरखौंदा	मेरठ	८५—अलीगंज	एटा
४३—लादर	,,	८६—जलेसर	,,
४४—देवबन्द	सहारनपुर	८७—टांडा	फैजाबाद
४५—चन्दौली	वाराणसी	८८—भीटी	,,
४६—अरजो लाइन्स	,,	८९—फरेंदा	गोरखपुर
४७—काशी विद्यापीठ	,,	९०—गंजमुरादाबाद	उन्नाव
४८—रामनगर	बाराबंकी	९१—औरास	,,
४९—चौबेपुर	कानपुर	९२—अमरौधा	कानपुर
५०—जयसिंहपुर	सुल्तानपुर	९३—गोसाईंगंज	लखनऊ
५१—दोईवाला	देहरादून	९४—निघासन	खेरी
५२—सदवा चन्द्रिका	प्रतापगढ़	९५—बांकेगंज	,,
५३—कछौना	हरदोई	९६—अफजलगढ़	बिजनौर
५४—हरचन्दपुर	रायबरेली	९७—पूरनपुर	पीलीभीत
५५—अकोला	आगरा	९८—लखौरी खेड़ा	,,
५६—फूलपुर	इलाहाबाद	९९—मिसरिख	सीतापुर
५७—रुद्रपुर	नैनीताल	१००—बिसवां	,,
५८—सुआर	रामपुर	१०१—महरोनी	झांसी
५९—रत्नापुर	बलिया	१०२—मऊरानीपुर	,,
६०—उसावन	बदायूं	१०३—लालगंज	रायबरेली
६१—चुनार	मिर्जापुर	१०४—तिलौई	,,
६२—घोसी	आजमगढ़	१०५—छाता	मथुरा
६३—नौगांव	टेहरी गढ़वाल	१०६—नन्दगांव	,,
६४—पोअइआं	शाहजहांपुर	१०७—मोधा पांडे	मुरादाबाद
६५—पुरकाजी	मिर्जापुर	१०८—बिलारी	,,
६६—मलिहाबाद	लखनऊ	१०९—मडियाहूं	जौनपुर
६७—गुरसराय	झांसी	११०—कुदान	,,
६८—माट	गोरखपुर	१११—हथियागढ़	गोंडा
६९—पनारा	,,	११२—मनकापुर	,,
७०—दादामंडी	गढ़वाल	११३—गाजीपुर ब्लाक	गाजीपुर
७१—हवलबाग	अल्मोड़ा	११४—ददरौल	शाहजहांपुर
७२—लाडीखेत	,,	११५—मुजफ्फराबाद	सहारनपुर
७३—कारा	इलाहाबाद	११६—लक्सर	,,
७४—बिचपुरी	आगरा	११७—सिम्भोली	मेरठ
७५—दोहरीघाट	आजमगढ़	११८—काशीपुर	नैनीताल
७६—छर्रा	अलीगढ़	११९—माधौगंज	हरदोई
७७—गुलौठी	बुलन्दशहर	१२०—अखंडनगर	सुल्तानपुर
७८—लखौटी	,,	१२१—औराई	वाराणसी
७९—बहेरी	बरेली	१२२—विलासपुर	रामपुर
८०—बहादुरपुर	बस्ती	१२३—मौरना	मुजफ्फरनगर
८१—आसफपुर	बदायूं	१२४—विसंडा	बांदा

केन्द्र का नाम	जिला	केन्द्र का नाम	जिला
१२५—धाता	फतेहपुर	१३८—कासिमाबाद	गाजीपुर
१२६—कुरारी	हमीरपुर	१३९—मौदहा	हमीरपुर
१२७—एका	मैनपुरी	१४०—बिलग्राम	हरदोई
१२८—श्रीनगर	पौरी गढ़वाल	१४१—बादशाहपुर	जौनपुर
१२९—जखोली	टेहरी गढ़वाल	१४२—बेहजम	खेरी
१३०—शिवपुर	बहराइच	१४३—गोवरधन	मथुरा
१३१—भवनबहादुर नगर	बुलन्दशहर	१४४—सुल्तानगंज	मैनपुरी
१३२—नजीबाबाद	बिजनौर	१४५—जोया	मुरादाबाद
१३३—मऊ	बांदा	१४६—असरिया	पीलीभीत
१३४—अजीतमल ब्लाक	इटावा	१४७—लक्ष्मनपुर	प्रतापगढ़
१३५—बहुआ	फतेहपुर	१४८—सलदन	रायबरेली
१३६—कमालगंज	फर्रुखाबाद	१४९—हरगांव	सीतापुर
१३७—इटिया ठोंक	गोंडा	१५०—नवाबगंज	उन्नाव

विद्युत परिषद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७६ पर)

जिलेवार पेन्शनरों की संख्या

क्रम-संख्या	जिला	पेन्शनरों की संख्या
१	आगरा	२३७
२	नैनीताल	९८
३	अलीगढ़	२९०
४	अल्मोड़ा	३४
५	पिथौरागढ़	१०
६	बुलन्दशहर	१०९
७	सहारनपुर	१७९
८	एटा	१३७
९	मथुरा	१८५
१०	मेरठ	२७०
११	बहराइच	१११
१२	गोंडा	१३७
१३	देहरादून	१४२
१४	इटावा	१८०
१५	फतेहपुर	१५६
१६	कानपुर	४२५
१७	पीलीभीत	६१
१८	बरेली	२२३
१९	रामपुर	९३
२०	हरदोई	१०४
२१	मुजफ्फरनगर	१९२
२२	फर्रुखाबाद	१६१
२३	मैनपुरी	५२
२४	टेहरी गढ़वाल	४५
२५	उत्तर काशी	५
२६	लखनऊ	१३२
२७	हमीरपुर	१८३
२८	सुल्तानपुर	८१
२९	फैजाबाद	१५०
३०	देवरिया	४८
३१	खेरी	१६७
३२	झांसी	८४
३३	जालौन	१०९
३४	वाराणसी	३९६
३५	बस्ती	१०५
३६	मिर्जापुर	९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला					पेन्शनरों की संख्या
३७	बांदा	..	..	..	..	१५४
३८	बलिया	..	..	..	..	१८४
३९	गाजीपुर	..	..	..	..	१२४
४०	आजमगढ़	..	..	..	..	१२२
४१	बदायूं	..	..	..	..	९८
४२	शाहजहांपुर	..	..	..	..	१६८
४३	प्रतापगढ़	..	..	..	..	४१
४४	इलाहाबाद	..	..	..	..	३३४
४५	बिजनौर	..	..	..	..	११०
४६	बाराबंकी	..	..	..	..	७०
४७	गोरखपुर	..	..	..	..	७६
४८	गढ़वाल	..	..	..	..	२०
४९	चमोली	..	..	..	..	६
५०	उन्नाव	..	..	..	..	११०
५१	रायबरेली	..	..	..	..	१२३
५२	सीतापुर	..	..	..	..	९१
५३	जौनपुर	..	..	..	..	१४०
५४	मुरादाबाद	..	..	..	..	२२६
				कुल योग	..	७,३८३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर)

नत्थी 'क'

तहसीलदार हाटा, सलेमपुर तथा सदर जिला देवरिया के समक्ष उन तहसीलों के ओला पीड़ित क्षेत्रों के प्रदर्शनकारी किसानों ने क्रमशः दिनांक २२, २४ तथा २५ फरवरी को जो स्मृति-पत्र प्रस्तुत किये हैं उनमें दी गई मुख्य-मुख्य बातें संकलित रूप में इस प्रकार हैं:—

१—उपरोक्त तहसीलों में ओला पीड़ित गांवों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय।

२—रबी की मालगुजारी में छूट तथा ओला पीड़ित गांवों की मालगुजारी, तकावी एवं ट्यूबवेल की सिंचाई माफ की जाय।

३—बेकारों को बांध, सड़क और नहर इत्यादि पर १ रु० रोज मजदूरी पर काम दिया जाय।

४—छोटे-छोटे धन्धे खोले जायं।

५—जरूरत-मन्दों को तकावी दी जाय।

६—छात्रों की फीस नवम्बर तक माफ की जाय।

७—असहायों को मुफ्त भोजन की एवम् व्यापक पैमाने पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं।

८—चारे की व्यवस्था हो।

९—गोरखपुर से धान लाने एवं गुड़ की बुकिंग की व्यवस्था हो।

१०—जायद फसल अभियान चलाया जाय और ट्यूबवेल का पानी दिया जाय।

११—आने वाली खरीफ की फसल को बाढ़ से बचाने की व्यवस्था की जाय।

१२—तहसील हाटा के ओला पीड़ितों के गन्ने को १५ दिन के अन्दर बेचवाने की व्यवस्था हो, गन्ने की कीमत रोजाना भुगतान की जाय तथा सरैया मिल से खोइया बैगन से लादकर ओला पीड़ितों को २ रु० डनलप दिया जाय।

नत्थी 'ख'

नत्थी 'क' में उल्लिखित मांग संख्या १, २ (मालगुजारी व तकावी में छूट से सम्बन्धित) ३, ५, ६ और ८ पर की गई कार्यवाही का विवरण—

मांग संख्या १—इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

मांग संख्या २—(मालगुजारी व तकावी में छूट से सम्बन्धित) क्षति ग्रस्त गांवों में से नियमानुकूल जिन ग्रामों में मालगुजारी व लगान में सहायता दी जा सकती है उनमें रबी १३६८ फसली के सहायता के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर मालगुजारी व लगान में आवश्यक छूट दी जायगी। तकावी में छूट देने से सम्बन्धित मांग अस्वीकार कर दी गई है।

मांग संख्या ३—बेकारों को काम दिलाने के लिए ओला पीड़ित क्षेत्रों में ६ टेस्ट वर्क खोल दिये गये हैं। नियमित दर से मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है। मजदूरी की दर बढ़ाकर १ रु० प्रति दिन कर देना सम्भव नहीं पाया गया।

मांग संख्या ५—जरूरत-मन्दों को तकावी बराबर दी जा रही है।

मांग संख्या ६—यह मांग अस्वीकार कर दी गई है।

मांग संख्या ८—जिले में चारे की कोई कमी नहीं है, अतः चारे की व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७७ पर)

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में १९५७–५८ से १९६०–६१ तक के सीमेन्ट उत्पादन तथा विक्रय के आंकड़े

वर्ष	उत्पादन	विक्रय
	टन	टन
१९५७–५८	२,३९,६३३	२,३९,९७०
१९५८–५९	२,१५,०८४	२,१६,३९७
१९५९–६०	२,०३,८९१	२,००,०७९
१९६०–६१ (३१–१–६१ तक)	१,९९,६९७	२,०१,२४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८१ पर)

लखनऊ जिले में जनवरी १, १९६० से फरवरी २८, १९६१ तक निम्नलिखित १० ग्राम सेवकों की पदोन्नति हुई जिनका सेवा काल उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित है इनमें कोई भी हरिजन नहीं है ।

नाम ग्राम सेवक	सेवा काल		
	वर्ष	माह	दिन
१—श्री शिव कुमार गुप्त	७	९	१२
२—श्री श्रवण कुमार	४	३	५
३—श्री सभाजीत सिंह	८	१०	२
४—श्री रामपाल सिंह	३	१०	२६
५—श्री लोलरख मिश्र	५	३	२९
६—श्री बी० एन० पांडेय	३	१०	५
७—श्री विश्वनाथ राम	८	७	२
८—श्री चन्द्र भूषण सिंह	४	३	१८
९—श्री लाल जी सिंह	४	२	२७
१०—श्री काशी बख्श सिंह	८	५	२५
११—श्री रण विजय सिंह	२	९	१
१२—श्री रामभरोसे सिंह	२	९	३
१३—श्री रामनरेश यादव	३	७	१९
१४—श्री उमा शंकर अवस्थी	३	१०	२३
१५—श्री फतेह बहादुर सिंह	३	१०	१९
१६—श्री मन्शा राम	२	९	४
१७—श्री राम राज सिंह	३	१०	२२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८१ पर)

जिला बस्ती में १९६० में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण तथा सरकार द्वारा दी गयी सहायता

नाम तहसील	ग्रामों की संख्या जिनको क्षति पहुंची	जीव हानि		क्षति ग्रस्त तथा ध्वस्त मकानों की		फसलों को हुई क्षति का अनुमानित मूल्य	दी गई सहायता का विवरण	
		मनुष्य	पशु	संख्या	अनुमानित मूल्य		मकान बनाने के लिये या मरम्मत कराने के लिये अनुदान	ऐक्ट १२ के आधीन तकावी
१	२	३	४	५	६	७	८	९
(१) बांसी ..	३०४	..	..	३२८	३५,४२५	१०,२०,०००	१९०	१०,०००
(२) नौगढ़ ..	३०१	२	३	१,७१८	४,३०,०००	१०,५०,०००	२४,५००	३०,०००
योग	६०५	२	३	२,०४६	४,६५,४२५	२०,७०,०००	२४,६९०	४०,०००

अन्य प्रकार की सहायता तथा सुविधाओं का विवरण

१—बांसी—१२५ मन चना, ८ मन नमक, २४ टिन मिट्टी का तेल तथा २२ दर्जन दियासलाई मुफ्त अहेतुक सहायता के रूप में बांटे गये।

२—नौगढ़ — २५७ मन चना, १५ मन नमक, २६ टिन मिट्टी का तेल, दो बोरा दूध का पावडर मुफ्त अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया। १०० परिवारों को मकान बनाने के लिये मुफ्त लकड़ी दी गई, टेस्ट वर्क्स खोले गये ।

इसके अतिरिक्त मकान बनाने या मरम्मत कराने के लिये कृषकों को ऋण की अब तक अधिक से अधिक सीमा २५० रु० प्रति परिवार थी। इसको बढ़ाकर १,००० रु० कर दी गई। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिये या मरम्मत कराने के लिये अधिक से अधिक २५ रु० अनुदान दिया जा सकता था। इस सीमा को बढ़ा दिया गया और कच्चे मकानों के लिये सीमा ५० ० तथा पक्के मकानों के लिये सीमा १०० रु० कर दी गई।

नियमानुसार मालगुजारी में भी छट दिये जाने का प्रस्ताव है। अन्य सभी प्रकार की सुविधायें जिसकी आवश्यकता समझी गई दी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९–८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७–६८८ पर)

जिला कानपुर तहसील सदर के उन ग्रामों की सूची जिनमें खरीफ १३६८ फसली में बाढ़ व अति वर्षा से क्षति हुई है तथा उनमें मालगुजारी व लगान में दी गई छट तथा तकावी व अहेतुक सहायता जो बांटी गई, उसकी तालिका

क्रम संख्या	क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	दी गई छूट की धनराशि			
		मालगुजारी	लगान	तकावी जो बांटी गई	अहेतुक सहायता व मकान बनाने के लिये जो सहायता दी गई
१	२	३	४	५	६
		रु० न०पै०	रु० न०पै०	रु० न०पै०	रु०न०पै०
१	खांदेपुर ..	३०२.१२	..	..	..
२	गरौली ..	६५०.६१	..	६१०	३००
३	आर्रा ..	५६१.८४	..	..	..
४	कटारो खेवरा ..	२,१९१.१८	..	..	..
५	हंसपुर ..	४०३.७४	..	..	..
६	खेवरा बंजर ..	३०३.१५	..	..	..
७	खेवरा कछार ..	३७.१९	..	..	..
८	बिसायकपुर बंजर ..	६२४.५२	..	..	..
९	हसनपुर ..	४.५०	..	..	..
१०	मोहसीनपुर ..	१,४१७.४१	..	..	..
११	न्यूरो ..	२८८.४२	..	६२०	..
१२	मर्दानपुर ..	१४०.२८	..	..	३३५
१३	खडेसर ..	३६३.८८	..	..	..
१४	गुसारा ..	२४१.०३	..	१,०३५	५
१५	घरारा ..	९०७.०४	..	४,०७०	१,०४०
१६	टिकार मघन ..	४४३.२४	..	..	..
१७	चकद्वारी ..	२१९.९१	..	..	..
१८	सम्भूवा ..	२,१५६.१३	..	..	..
१९	बकौलो ..	४२१.०९	..	७६५	५५
२०	अटवा ..	४२४.६२	..	..	९०
२१	खुजौली ..	६१७.४७	..	..	..
२२	तिरेमा ..	६४१.२०	..	..	..
२३	रामापुर ..	२,००९.८७	..	..	..

क्रम संख्या	क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	दी गई छूट की धनराशि			
		मालगुजारी	लगान	तकावी जो बांटी गई	अहेतुक सहायता व मकान बनाने के लिये जो सहायता दी गई
१	२	३	४	५	६
२४	मगरसा ..	८७६.१४	..	..	..
२५	सेमरूवा ..	५५७.८३	..	..	..
२६	सूरजपुर ..	१,०४६.२३	..	..	..
२७	विगवान ..	८२३.८३	..	१,०६०	५३०
२८	उरियारा ..	७६४.५८	..	४६०	..
२६	तऊघातपुर ..	२८५.८०	..	..	..
३०	गढ़वामौसनपुर ..	३८१.७८	..	..	..
३१	फतेहपुर दक्खिन ..	३४०.३३	..	..	२६
३२	सेनपुरब पारा ..	१,५२६.०२	..	..	..
३३	पिपरा गांव ..	३४०७.८६	..	..	१,०४०
३४	कदारो चम्पतपुर ..	१,३०४.०४	..	..	..
३५	पिपौरी ..	७२१.१६	..	१,६७०	१,०७४
३६	सेन पच्छिमपारा ..	१,६६३.५१	..	..	..
३७	कुमलनपुर ..	५६५.२७	..	७१०	..
३८	काशीगांव ..	६०३.२६	..	१,७८०	७१५
३६	इमलीपुर ..	५६३.१३	..	..	२५०
४०	नगवान ..	६६८.१०	..	..	७३
४१	छौंकी ..	६४०.०३	..	..	..
४२	भारू ..	४१८.२७	..	..	..
४३	कठरा ..	३,८६६.८३	..	..	..
४४	गुजेनी ..	१,०१८.१६	..	२,११५	२,५६६
४५	जमुई ..	४०५.६२	..	..	..
४६	प्रतापपुर सरसई ..	१६४.६६	..	..	१००
४७	पतरासा ..	२४४.०२	..	३४०	४१५
४८	सिंहपुर काथर ..	८६.८२	..	..	..
४६	टिकारी ..	२२७.००	..	..	..
५०	लोहार खेरा ..	२६५.५६	..	..	..
५१	झखारा ..	३२८.४७	..	..	..
५२	रेकेपुर ..	८३१.१७	..	५८०	५०
५३	रैंतेपुर ..	७५०.०२	..	१,४६०	११०
५४	पंका गंगागंज ..	१,५५१.६३	..	५६०	३००
५५	रमेल बंगर ..	६६.६७	..	..	..
५६	रमेल कछार ..	८२.७०	..	६५०	..
५७	ईश्वरी गंज ..	२४४.२६	..	..	७७

क्रम संख्या	क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	मालगुजारी	दी गई छूट की धनराशि: लगान	तकावी जो बांटी गई	अहेतुक सहायता व मकान बनाने के लिये जो सहायता दी गई
१	२	३	४	५	६
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
५८	वरहर बंजर	..१७९.३५	..	..	..
५९	पैगूपुर बंजर	..४४.६८	..	..	..
६०	पैगूपुर कछार	..९५.८०	..	..	..
६१	हिंगपुर कछार	..२३०.७४	..	३१०	..
६२	हिंगपुर बंजर	..१०५.२०	..	..	..
६३	कुशलगंज	..२२.२४	..	..	..
६४	बरहत कछार	..६३५.७०	..	..	..
६५	टिकारा	..१,०१३.०५	..	२,०६०	६५५
६६	नसेमियां	..२९२.१४	..	१,११०	३७०
६७	पंक बहादुर नगर	..२६१.८३	..	१,५२५	८०
६८	पंकी भहुसिंह	..५७५.३४	..	१,१७५	..
६९	छितेपुर	..३०३.९९	..	..	..
७०	पत्तरो	..३४२.७४	..	१,७७५	४४४
७१	गदन खेरा	..३२१.९७	..	..	..
७२	हिरदयो पुर	..५५.९०	..	..	..
७३	फतेहपुर उत्तर	..१९३.१८	..	..	..
७४	किरतपुर	..३१९.१५	..	..	..
७५	एनतो	..२६१.४४	..	..	६५
७६	ललहेपुर	..५५८.०४	..	..	..
७७	रैंयपुर कथार	..२२८.१६	..	..	७५
७८	गंगपुर चोकवादा	..२०८.४२	..	१५५	..
७९	सम्भरपुर	..३५५.४०	..	१,१४०	..
८०	बैंरो अकबरपुर कछार	१,३३६.०२	..	६६०	२७५
८१	धर्मपुर	..२९३.१२	..	३२५	..
८२	कतरा घनश्याम	..८०६.८२	..	..	..
८३	हिन्दूपुर	..३३२.९१	..	१९५	..
८४	भौती प्रतापपुर	..८६३.८१	..	..	..
८५	भौती खेरा	..२८१.२८	..	१,१७५	७९
८६	धिरेंथी गंज	..२२७.८४	..	..	..
८७	पलरा	..६०१.२०	..	१,८८०	२६५
८८	धोघार	..२६५.९४	..	..	२०

क्रम-संख्या	क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	दी गई छूट की धनराशि: मालगुजारी	लगान	तकावी जो बांटी गई	अहेतुक सहायता व मकान बनाने के लिये जो सहायता दी गई
१	२	३	४	५	६
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
८९	बिनौर ..	४,१७३.०९	..	३,६७५	९००
९०	सपाई ..	१,९२९.४८	..	..	..
९१	गम्भीरपुर कछार ..	५१५.६६	..	..	५८
९२	चिरन ..	१४६.३८	..	२६०	..
९३	सुरर ..	१,५८१.४९	..	९४५	८३०
९४	भटकुथपुर ..	१,०६२.९०	..	..	२५
९५	कापेलो ..	४५४.९८	..	१,३६५	२४०
९६	बहेड़ा ..	४०२.६५	..	..	..
९७	सिंहपुर कछार ..	१,०८०.२३	..	४५०	४२
९८	प्रतापपुर मंजरा रामपुर ..	१६३.५९	..	..	१००
९९	पल्हेपुर ..	४८१.३२	..	..	३३५
१००	गंजमझो ..	२०६.३६	..	..	..
१०१	शिशुपुर ..	१,८४४.४१	..	७२५	१८०
१०२	पोहार ..	२१३.४४	..	..	..
१०३	हरेन्द्र खेरा ..	९०८.६५	..	६७५	१५५
१०४	अखारी ..	३९६.३७	..	६४०	२३०
१०५	धर्मगदपुर नरवाल	१४१.२७	..	..	..
१०६	नसरा ..	३९३.७०	..	१,३५५	१७०
१०७	हजरतपुर ..	७०	..	५५०	२९५
१०८	प्रतापपुर नवगांव ..	१,५९५.७३	..	..	६२०
१०९	प्रतापपुर हरी ..	३१२.७८	..	१,८१०	३६०
११०	हसनपुर ..	४४.०९	३३०.१०	..	४९
१११	मोहसानपुर ..	१७७.९१	६५०.३८	..	२३
११२	मकसूदाबाद ..	..	..	७४०	५२
११३	बरसिरोही ..	..	..	५६०	२२८
११४	धूल ..	..	..	१,६००	१,२४२
११५	सिरही ..	..	..	..	१२५
११६	इटारा ..	..	..	..	१६०
११७	सिकथइया पुरवा ..	..	..	..	५६५
११८	सरसौल ..	..	..	..	२३०
११९	नेरवाले ..	..	..	..	११०
१२०	वारागांव ..	..	..	..	१००

क्रम-संख्या	क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	दी गई छूट की धनराशि: मालगुजारी	लगान	तकावी जो बांटी गई	अहेतुक सहायता व मकान बनाने के लिये जो सहायता दी गई
१	२	३	४	५	६
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१२१	नागपुर ..	..	..	..	८०
१२२	तिवारीपुर ..	..	.	..	१०५
१२३	फुफवार सिथोकी ..	..	..	..	५५०
१२४	कमलपुर ..	..	..	..	१००
१२५	पूरनपुर ..	..	..	..	८५
१२६	फुफवार मंझाखोर ..	..	..	..	१६०
१२७	पुरवामिर ..	..	..	..	५१०
१२८	कँथोंगर ..	..	..	..	१३५
१२९	लोधार ..	..	..	..	२०
१३०	बंसर ..	..	..	..	८०
	योग ..	७३,५००.७६	९८०.४८	४७,६५०.००	१८,७९६.००

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर)

तालिका जिसमें वर्तमान सीजन में प्रदेश के चीनी मिलों के क्षेत्र के जिलों की अनुमानित उपज और जितना अनुमानित गन्ना मिलों को सप्लाई होगा उसका विवरण दिया हुआ है

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की अनुमानित उपज (करोड़ मनों में)	अनुमानित गन्ना जो चीनी मिलों को सप्लाई होगा (करोड़ मनों में)
१	देहरादून	०.५०	०.२८
२	सहारनपुर	६.६०	३.१६
३	मुजफ्फरनगर	१०.६८	४.११
४	मेरठ	१३.०२	३.७६
५	बुलन्दशहर	३.३६	०.५४
६	नैनीताल	५.०४	२.०४
७	बदायूं	०.८०	०.१८
८	एटा	०.८६	०.२७
६	मुरादाबाद	७.४२	१.७३
१०	बरेली	३.७३	१.१६
११	पीलीभीत	३.२६	०.८८
१२	बिजनौर	६.१७	२.५०
१३	शाहजहांपुर	१.६४	०.२३
१४	रामपुर	२.८५	१.०६
१५	बाराबंकी	२.००	०.५७
१६	लखनऊ	०.१४	०.०६
१७	कानपुर	०.०१	०.०१
१८	हरदोई	१.१८	०.३१
१६	फैजाबाद २० जौनपुर	२.८३	०.६८
२१	सीतापुर	४.२३	१.३६
२२	खेरी	६.१०	३.६६
२३	बस्ती	४.०५	१.७३
२४	गोंडा	२.२७	०.६८
२५	बहराइच	०.५२	०.२३
२६	देवरिया	६.२०	५.१६
२७	गोरखपुर	३.६०	२.१४
	.. योग ..	१११.३६	३८.६६

टिप्पणी—यह अनुमानित गन्ने की उपज के आंकड़े में संशोधन संभव है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९० पर)

तालिका जिसमें देवरिया जिले में पैदा होने वाले अनुमानित गन्ने की इस जिले तथा अन्यत्र स्थित चीनी मिलों में मिलवार खपत और मिलों के बन्द होने की अनुमानित तारीख का विवरण दिया है

क्रम संख्या	मिल का नाम	नाम जिला या प्रान्त	देवरिया जिला के सुरक्षित तथा अभ्यर्पित स्थानों में पैदा होने वाले गन्ने की मात्रा जो स्तम्भ २ पर दी गई मिलों द्वारा पेरे जाने की आशा है (लाख मनों में)	मिलों के बन्द होने की अनुमानित तारीख
१	२	३	४	५
१	देवरिया	देवरिया	४०.८५	१०-५-६१
२	बैतालपुर	,,	४४.०५	८-५-६१
३	गौरीबाजार	,,	३८.५०	३०-४-६१
४	प्रतापपुर	,,	२४.५०	२१-५-६१
५	भटनी	,,	२८.१५	१०-४-६१
६	स्योराही	,,	४३.००	१५-६-६१
७	कप्तानगंज	,,	३७.६०	३१-५-६१
८	छितौनी	,,	३१.००	१५-५-६१
९	खड्डा	,,	२८.००	१५-५-६१
१०	लक्ष्मीगंज	,,	३२.००	२०-५-६१
११	रामकोला (पी)	,,	५५.००	१५-५-६१
१२	रामकोला (के)	,,	३७.५०	१५-५-६१
१३	पडरौना	,,	३७.००	१५-५-६१
१४	कठकुइयां	,,	२७.००	१५-५-६१
१५	सरदारनगर	गोरखपुर	५२.७५	२०-५-६१
१६	पिपराइच	,,	१.८०	२५-५-६१
१७	सासामूसा	बिहार	३.५०	क्रमांक १७ व १८ पर दी गई मिलें राज्य के बाहर की हैं अतएव इनकी कार्य अवधि नहीं दी गई है। अनुमानतः यह भी मई के पहिले या दूसरे सप्ताह में बंद होंगी।
१८	हरखुवा	,,	०.२०	

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९६ पर)

क्षेत्र का नाम	सदस्य का नाम तथा पता
१—मिनिस्ट्री आफ साइन्टिफिक रिसर्च ऐन्ड कल्चरल अफेयर्स	१—श्री एस० सी० सेन प्रिन्सिपल, देहली पालीटेक्नीक, देहली ।
२—मिनिस्ट्री आफ लेबर ऐन्ड इम्पलायमेंट	२—डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग (या मनोनीत व्यक्ति), डी० जी० आर० ई०, मिनिस्ट्री आफ लेबर ऐण्ड इम्प्लायमेंट, नई दिल्ली ।
३—मिनिस्ट्री आफ रेलवेज	३—डिप्टी चीफ मेकैनिकल इन्जीनियर । वर्कशाप, नार्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स आफिस, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली ।
राज्य तथा संघीय क्षेत्र	
४—पंजाब	४—डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन, पंजाब, चंडीगढ़ ।
५—उत्तर प्रदेश	५—दि डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर (या उनका मनोनीत व्यक्ति) ।
६—राजस्थान	६—श्री वी० जी० गोर्डे, प्रिंसिपल, एम० बी० एम० इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर ।
७—जम्मू तथा काश्मीर	७—श्री खां, प्रिंसिपल, काश्मीर गवर्नमेंट पालीटेक्निक, श्रीनगर ।
८—देहली	८—श्री बी० डी० भट्ट, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, देहली एडमिनिस्ट्रेशन, देहली ।
९—हिमाचल प्रदेश	९—श्री के० एल० सेठी, डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
१०–१२—इंडस्ट्री, कामर्स तथा लेबर से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति	१०—लाला श्रीराम (चेयरमैन), २२, कर्जन रोड, नई दिल्ली ।
	११—श्री आई० पी० आनन्द, थापर हाउस, १२४ जनपथ, नई दिल्ली–१ ।

क्षेत्र का नाम	सदस्य का नाम
	१२—श्री काशीनाथ पांडेय, एम० पी०, प्रेसीडेंट, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शहन्शाह मंजिल, गोलागंज, बारुद खाना, लखनऊ ।
१३—१६—टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन तथा यूनीवर्सिटी जिनमें टेक्नोलोजिकल डिपार्टमेंट हैं ।	१३—वाइस चांसलर, रुड़की यूनीवर्सिटी, रुड़की ।
	१४—श्री एम० सेन गुप्त, प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कालेज, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, वाराणसी–५।
	१५—श्री वी० लक्ष्मी नारायनन, प्रिंसिपल, बिड़ला कालेज आफ इंजीनियरिंग, पिलानी (राजस्थान) ।
	१६—कर्नल बी० एच० जैदी, वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ ।
१७—एसोसियेशन आफ प्रिंसिपल्स् आफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स (इंडिया) ।	१७—श्री तारासिंह, प्रिंसिपल, सुरजानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना (पंजाब) ।
१८—इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) ।	१८—ब्रिगेडियर के० बी० राय, एम० आई० इ०, चीफ टेक्निकल इंजीनियर आफ वर्क्स, आर्मी हेड-क्वार्टर्स, नई दिल्ली ।
१९—आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन ।	१९—श्री बी० डी० लारौइया, डेवलपमेंट आफीसर (एस० ऐन्ड टी०) यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओल्ड मिल रोड, नई दिल्ली ।
२०–२१—कोआप्टेड मेम्बर	२०—श्री के० सी० गुप्ता, जनरल मैनेजर, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर
	२१—डाइरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर ।
राज्यों के टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड	
२२—उत्तर प्रदेश	२२—चेयरमैन, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (या उनका मनोनीत व्यक्ति) ।

क्षेत्र का नाम	सदस्य का नाम
२३—राजस्थान	२३—चेयरमैन, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, राजस्थान, जयपुर (या उनका मनोनीत व्यक्ति)
२४—पंजाब	२४—डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन, पंजाब, चंडीगढ़ ।
२५—जम्मू तथा काश्मीर	२५—चेयरमैन, स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, जम्मू तथा काश्मीर, श्रीनगर ।

श्री टी० सी० अजमानी—सेक्रेटरी
असिस्टेन्ट एजूकेशनल एडवाइजर (टेक०),
मिनिस्ट्री आफ साइन्टिफिक रिसर्च ऐण्ड
कल्चरल अफेयर्स, नार्दर्न रीजनल आफिस,
७ १६६, स्वरूपनगर, कानपुर ।

सत्यमेव जयते